लोक सभा

सोमवार,
१३ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५-४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६-४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०३, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५-४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३-४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४-४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९-५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५-५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८-५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . . . ५६५-५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७ . . . १२४३—१२८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ . १२८६—१२९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४६[illegible] . . . . . १२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . . १३१५—१३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५ . . . . . . १३५९—१३७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ . १३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९ . १३९३—१४४२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ १४४२—१४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . . . १४४६—१४६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११ १४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६१, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५६२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ — १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक-सभा

सोमवार, १३ सितम्बर १९५४

लोक सभा ११ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साबुन उद्योग

*८१९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि साबुन की मांग की कितनी प्रतिशत पूर्ति कुटीर उद्योग द्वारा होती है तथा कितनी कारखानों द्वारा;

(ख) साबुन उद्योग के विकास के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या इस उद्योग को पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) तत्सम्बन्धी प्रतिशतों का कोई ठीक-ठीक प्राक्कलन सम्भव नहीं है । संगठित उद्योग में ८३,००० से ८७,००० टन के बीच वार्षिक उत्पादन होता है । कुटीर उद्योग के उत्पादन का मोटे तौर से प्राक्कलन ३०,००० टन आंका जा सकता है।

(ख) तथा (ग). साबुन उद्योग में यंत्रसज्जित इकाइयां भली प्रकार संगठित हैं और उन को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न अभी तक नहीं उठाया गया है । अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा छोटी-छोटी इकाइयों को सहायता तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी गई थी, जो इस प्रकार है :—

	सहायता	ऋण
	रु०	रु०
१९५३–५४	९७,०००	१,६५,०००
१९५४–५५ (अप्रैल से ३१ अगस्त १९५४ तक)	१९,५५०	३७,७५०

श्री डी० सी० शर्मा : देश में साबुन तैयार करने वाले कारखानों में से कितने विदेशी हैं और कितने देशी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास देशी कारखानों की सूची नहीं है । विदेशी मालिकों के कारखाने तीन हैं, अर्थात् इन में कुछ विदेशी पूंजी लगी हुई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस देश में प्रति व्यक्ति साबुन का कितना उपभोग होता है और यह अन्य देशों के उपभोग की तुलना में कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह केवल गणित का मामला है । कारखानों में ८७,०००

टन साबुन बनाया जाता है और कुटीर उद्योग के द्वारा ३०,००० टन। कुल १०७,००० टन बनता है। निस्सन्देह कुछ देशों को छोड़ कर विश्व के अन्य सभ्य देशों की तुलना में भारत में साबुन का उपभोग बहुत कम होता है।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार को विदित है कि कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार किये हुए धोने के साबुन और नहाने के साबुन बहुत घटिया होते हैं और यदि हां, तो क्या सहायता देते समय सरकार ने इन की किस्म में सुधार कर ने की ओर ध्यान दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य इन छोटे छोटे उद्योगों को न केवल अखाद्य तेलों को साबुन बनाने के लिए प्रयोग करने में सहायता देना है, बल्कि यह भी कि साबुन की किस्म में सुधार किया जाये।

श्रीमती इला पालचौधरी : कुटीर उद्योगों के लिए रसायन थोक की दरों पर प्राप्त करने के लिए कितना साबुन बनाना आवश्यक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से कभी विचार नहीं किया गया। इसलिए मैं इस का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

इंजीनियरिंग कर्मचारी

*८२१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सिचाई तथा योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने सब राज्यों से कहा है कि प्रत्येक राज्य में सब इन्जीयरिंग कर्मचारियों की एक सूची तैयार की जाये; और

(ख) टेकनिकल इन्जीनियरिंग कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या पग उठाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने एक समिति स्थापित की है जो कि क्रियान्वित की जा रही और अगले १५ वर्षों में क्रियान्वित की जाने वाली नदी घाटी परियोजनाओं को कार्यकुशलता और शीघ्रता से पूरा करने के लिए अपेक्षित विभिन्न श्रेणियों के टेकनिकल कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इस समिति से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं पर ३० नये इन्जीनियरिंग स्नातकों और राज्यों के १५ सेवायुक्त इन्जीनियरिंग पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक योजना शुरू की गई है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या योजना आयोग ने आज तक कभी देश में टेकनिकल कर्मचारियों की संख्या में कमी का अनुमान लगाया है ?

श्री हाथी : इन्जीनियरों का एक रजिस्टर है किन्तु परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना आवश्यक समझा गया है।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि योजना आयोग में एक कार्यकारी या अध्ययन दल है जो कि विभिन्न मंत्रालयों में और विभिन्न उद्योगों में कर्मचारियों की कमी के बारे में आंकड़े इकठ्ठा कर रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : हमारा नदी घाटी परियोजनाओं में इस समय कुल कितने गैर-भारतीय टेकनिकल कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री हाथी : लगभग ६४।

कुमारी एनी मैस्करीन: क्या यह सत्य है कि नदी घाटी परियोजनाओं में अब जो

कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन में से ९० प्रतिशत केवल पंजाब से आये हैं ?

श्री हाथी : नहीं, यह सत्य नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : त्रावनकोर-कोचीन से नहीं ।

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री ने कहा था कि योग्य व्यक्तियों की कमी है । क्या यह समझा गया है कि यह काम ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि योग्य नहीं हैं । इसलिए विभिन्न परियोजनाओं में बहुत हानि हुई है ?

श्री हाथी : जी नहीं, ऐसा नहीं है । यह बात नहीं है कि काम ऐसे लोग कर रहे हैं जो अनुभवी नहीं हैं, बल्कि यह है कि काम की प्रगति के साथ साथ हमें अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है ।

आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त

*८२२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार का ध्यान २१ जून, १९५४ को ब्रिस्बेन में आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा दिये एक वक्तव्य की आलोचना की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह वक्तव्य पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि हां, वे कौन से विषय हैं, जिन पर आलोचना की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) उन के वक्तव्य की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । तथापि उच्चायुक्त ने जो कुछ कहा था, उस का संक्षेप उन्हों ने हमारे पास भेजा है । यह बहुत से मामलों के बारे में था, जिन में से मुख्य आस्ट्रेलिया के फार्म और कारखाने हैं और जिन से वह काफी प्रभावित हुए हैं । इन्टरव्यू के दौरान में उन्हों ने कहा था कि वहां की आप्रवास नीति को जारी रखने से सरकार के राजनैतिक विरोधियों को इस बात पर आग्रह करने में सहायता मिलेगी कि राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिए । समाचार देते समय इस वक्तव्य में बहुत परिवर्तन कर दिया गया था और इस में आस्ट्रेलिया सरकार की "व्हाइट आस्ट्रेलिया" नीति की ओर कुछ निर्देश किया गया था । उच्चायुक्त ने "व्हाइट आस्ट्रेलिया" नीति के बारे में कुछ नहीं कहा था ।

(ग) इस गलत समाचार की प्रैस में और अन्य स्थानों पर इस आधार पर कुछ आलोचना की गई थी कि उच्चायुक्त को उस देश की नीति की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिस में वह भेजा गया हो ।

इस गलत समाचार की ओर आस्ट्रेलिया के वैदेशिक कार्य मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया था, जिस के फलस्वरूप उस ने एक वक्तव्य जारी किया था कि किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या वक्तव्य में कोई ऐसी चीज़ थी जिस से राजनयिक प्रतिनिधियों की किसी प्रख्यात प्रथा का उल्लंघन होता हो ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारी राय में नहीं होता ।

श्री एस० एन० दास : क्या उन का वक्तव्य मौखिक था या लिखित ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह एक मौखिक इन्टरव्यू था, जो कि ब्रिस्बेन में एक संवाददाता को दिया गया था ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि रायटर्ज़ द्वारा भेजा गया यह समाचार भारतीय समाचारपत्रों में विभिन्न रूपों में प्रकाशित किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम ने इस समाचार को विभिन्न रूपों में पढ़ा है ।

स्टोर क्रय समिति

*८२३. **श्री डाभी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री २ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या अब सरकार को स्टोर क्रय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन में से कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) स्टोर क्रय समिति की एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है; अन्तिम रिपोर्ट की दिसम्बर १९५४ में प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) तथा (ग). सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और विचार यह है कि अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर सब सामग्री पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री डाभी : सरकार निर्णय में कितना समय लेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : दिसम्बर, १९५४ में प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है और उस के प्राप्त हो जाने पर सिफारिशों पर निर्णय करने में सरकार को लगभग दो महीने से अधिक समय नहीं लगेगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : जांच के वे कौन से पहलू थे जिन के सम्बन्ध में अन्तर्कालीन प्रतिवेदन की आवश्यकता अनुभव की गई और जो प्रस्तुत किया गया ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जिन बातों के सम्बन्ध में भांडार क्रय समिति जांच कर रही थी उन की संख्या बहुत थी अतः उन्हों ने उन में जो कुछ के सम्बन्ध में एक अन्तर्कालीन प्रतिवेदन भेज दिया ताकि सरकार उन पर पहले ही विचार कर सके और जब अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो तो उसे निर्णय करने में अधिक समय न लगे ।

हाथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति

*८२४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारत हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति के निर्माण की क्या स्थिति है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अखिल भारत हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति के निर्माण के सम्बन्ध में अखिल भारत हथकरघा बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या देश में हथकर्घे की मंडी का शीघ्र विस्तार करने के हेतु इस विषय पर शीघ्र विचार करना आवश्यक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय पर विचार करना है क्योंकि इस विशेष समस्या के भिन्न पहलू हैं । सरकार इस बारे में ढिलाई से काम नहीं ले रही है । इस की ओर ध्यान दिया जा रहा है किन्तु इन सभी बातों पर समय लगता है क्योंकि प्रस्थापना की कार्यान्विति के बहुत बड़े भाग के लिए आवश्यक वित्त की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

बनारसी रेशम का माल

*८२५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में बनारस के रेशमी माल तथा स्कार्फों का आयात यू० एस० ज्वलनशील वस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत निषिद्ध है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने यू० एस० सरकार को इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए कहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) यू० एस० ए० में रेशम के माल और स्कार्फों का आयात हो सकता है, किन्तु शर्त यह होती है कि इस सम्बन्ध में यू० एस० ए० सरकार द्वारा यू० एस० ज्वलनशील वस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित ज्वलनशीलता परीक्षा में ऐसा माल ठीक उतरता हो ।

(ख) भारत सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया है कि भारतीय रेशमी साड़ियों, किनारी तथा स्कार्फों को इस प्रकार की परीक्षा से मुक्त किया जाय ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या ज्वलनशील वस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध बनारस के रेशमी माल को पूर्णतया लागू होता है, और क्या इस बात की कुछ संभावना है कि यू० एस० ए० सरकार भारत सरकार की प्रेरणा पर इस अधिनियम में संशोधन कर देगी ?

श्री करमरकर : यह विधेयक सेनेट द्वारा पारित हुआ है और इस के अन्तर्गत ज्वलनशीलता का प्रतिमान चार सैंकड़ों से घटा कर साढ़े तीन सैकंडे कर दिया गया है । एक दो इंच चौड़े और छः इंच लम्बे टुकड़े पर परीक्षा की जाती है । यदि इसे जलने में लगभग ७ सैकंड लग जाते हैं तो इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगता, किन्तु यदि वह चार सैकंडों में ही जल जाता है तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है । सभी कुछ इस बात पर निर्भर है कि कोई विशेष प्रकार का माल इस ज्वलनशीलता परीक्षा में पूरा उतरता है कि नहीं ।

श्रीमती तारकश्वरी सिन्हा : इस प्रतिबन्ध के लगने से पूर्व संयुक्त राज्य को कितना रेशम निर्यात किया जा चुका था ?

श्री करमरकर : मेरे पास सामान्य आंकड़े हैं । उदाहरणतया, १९५३–५४ में हम ने संयुक्त राज्य अमरीका को ९,२०० गज़ कपड़ा निर्यात किया और १९५४–५५ (अप्रैल से जून) में १,५०० गज़ ।

श्री टी० एन० सिंह : बनारस का रेशम अन्य श्वेत किये हुए रेशम की तुलना में कितना अधिक ज्वलनशील होता है ?

श्री करमरकर : यह तो अपने अपने मत की बात है । यदि मेरे माननीय मित्र हमें कोई नमूना भेजें तो हम इसे परीक्षा के लिए भिजवा देंगे ।

भारत अमरीका समझौता

*८२६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बहुमुखी नदी योजनाओं में प्रयोग होने वाले मिट्टी को हटाने के तथा निर्माण के अन्य बड़े यंत्रों का प्रयोग करने तथा उन्हें चालू रखने में भारतीय लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु एक संयुक्त परियोजना के लिए भारत तथा अमरीका की सरकारों में एक समझौता हुआ है; और

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दो प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निश्चय हुआ है जिन में से एक राजस्थान में कोटा में होगा और दूसरा उड़ीसा में हीराकुड में होगा । इन केन्द्रों में प्रयोग होने वाले यन्त्रों के लिए, जिन का मूल्य लगभग २१·९१ लाख रु० होगा और जिस की व्यवस्था इस समझौते के अधीन अमरीकी सरकार करेगी, क्रयादेश दे दिये गये हैं । इस समझौते के अधीन रखे जाने वाले चार शिक्षकों की अमरीकी सरकार से मांग की गई है । स्थान, कर्मचारियों आदि

की व्यवस्था सम्बन्धी ब्यौरा किया जा रहा है। इन केन्द्रों को इस वर्ष के अन्त में या आगामी वर्ष के आरम्भ में चालू करने का विचार है।

श्री के० पी० सिन्हा : परियोजना के प्रथम वर्ष में कुल कितना व्यय होगा ?

श्री हाथी : यन्त्रों पर कुल २१ लाख रु० और अन्य वस्तुओं पर १४ लाख रु० व्यय होगा।

मद्य निषेध

*८२७. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग ने उन राज्यों से, जहां मद्य निषेध कार्यान्वित है, मद्य निषेध के परिणामों की सूचनायें मांगी हैं;

(ख) राज्यों ने क्या क्या मत प्रकट किये हैं; और

(ग) क्या अन्य राज्यों ने, जिन्हों ने अभी तक मद्य निषेध कार्यान्वित नहीं किया है, इस सम्बन्ध में अपनी नीति विषयक कोई निश्चित सूचनायें दी हैं।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). राज्यों से अब तक प्राप्त हुए उत्तरों का एक संक्षिप्त वर्णन पटल पर रखा जाता है। (**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७**).

श्री जेठालाल जोशी : विवरण से यह प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में मद्य निषेध पूर्णरूप से कार्यान्वित हो गया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मद्य निषेध को धीरे धीरे लागू करने का विचार है। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया कब समाप्त होगी ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : योजना आयोग इस बात की जांच करेगा। आंकड़ों के संकलन के लिए एक अधिकारी नियुक्त हो चुका है और एक जांच समिति स्थापित होने वाली है। वे इन सारी बातों की जांच करेंगे।

श्री जेठालाल जोशी : क्या सरकार सभा को यह बता सकती है कि बम्बई तथा अन्य राज्यों में—जहां मद्य निषेध कार्यान्वित है—इस के कार्यान्वित होने से १९५३–५४ में लोगों को कितने रुपयों की बचत हुई है ?

श्री नन्दा : इस के लिए पूर्व सूचना चाहिये।

बहुत से माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

सिंगापुर में व्यापार प्रदर्शनी

*८२८. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२–५३ में सिंगापुर में एक भारतीय व्यापार प्रदर्शनी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या था; और

(ग) प्रदर्शनी के लिए भारत में कितने व्यापारियों से वस्तुयें एकत्रित की गई थीं और उन का कुल मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते।

पूर्वी बंगाल से प्रव्रजन

*८२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** ३१ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी बंगाल से प्रव्रजन क्यों होता है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : इस वर्ष के प्रथम सात मासों मे

पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल को लगभग ५००० से ६००० तक व्यक्ति प्रति मास आते रहे हैं। प्रत्यक्षत: इस के मुख्य कारण ये हैं कि उस प्रदेश में लोगों को, विशेषकर हिन्दुओं को, आर्थिक कठिनाइयां होती हैं। वहां बहुसंख्यक जाति के लोग उन को नाना प्रकार से परेशान करते हैं और स्थानीय प्राधिकारी उन का पर्याप्त प्रतिसमाधान करने में असफल हैं। पिछले मासों में पूर्वी बंगाल में बहुत सी गिरफ्तारियां होने तथा वहां प्रेस प्रचार होने से भी अल्पसंख्यक जाति के लोगों की असुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर में कहा गया है कि २५,००० व्यक्ति आ गये हैं। पिछले वर्ष के क्या आंकड़े हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं प्रश्न नहीं सुन सका।

अध्यक्ष महोदय : वह २५,००० की अपेक्षा विगत वर्ष की तुलनात्मक संख्या जानना चाहते हैं।

श्री अनिल के० चन्दा : पिछले अवसर पर हम ने जो आंकड़े दिये थे वही मेरे पास हैं। वे प्रव्रजन-प्रमाणपत्रों के हैं। मेरे पास विगत वर्ष के आंकड़े नहीं हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या वर्तमान सैनिक राज्यपाल का शासन भी इस प्रव्रजन के लिए उत्तरदायी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है। वहां कोई सैनिक राज्यपाल का शासन नहीं है। जहां तक पूर्वी बंगाल के राज्यपाल का सम्बन्ध है, वह पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के सचिव होते थे। अल्पसंख्यक जाति के लोगों में असुरक्षा की भावना तथा अति अधिक आर्थिक परेशानी बढ़ रही है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या अल्पसंख्यक जाति के लोगों में असुरक्षा की भावना है, और इसलिए वे भारत आ रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह स्पष्ट है। अन्यथा, वे अपने घरबार नहीं छोड़ते।

श्रीमती खोंगमेन : क्या प्रधान मंत्री उसी काल में अर्थात् जनवरी से अगस्त १९५४ तक आसाम राज्य में आये हुए पाकिस्तान के पहाड़ी भागों की संख्या तथा इस प्रव्रजन का कारण बता सकते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : अनुमानित आंकड़े निम्न हैं : जून तथा जुलाई में १२०१ लोग पूर्वी बंगाल से आसाम आये और विगत वर्ष की तत्सम्बन्धी संख्या जून में ९८२ तथा जुलाई में ७९७ थी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री अमजद अली : प्रश्न पहाड़ी लोगों के बारे में पूछा गया था। माननीय मंत्री ने जो कहा है, यह उस से भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह चाहे कुछ भी हो। मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूं।

श्री अनिल के० चन्दा : पहाड़ी लोगों तथा मैदान के लोगों के आंकड़े पृथक् नहीं किये जाते।

चन्द्रनगर

*८३०. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का चन्द्रनगर उप-प्रदेश बनाने का विचार, उप-प्रदेश के लिए विशेष क्षेत्रों को चुन कर, अन्तिम रूप से निश्चित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र क्या क्या हैं; और

(ग) इस उप-प्रदेश के क्षेत्रों को किस आधार पर चुना गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) इन क्षेत्रों में सेरमपुर उप-क्षेत्र के चार थाने भद्रेश्वर, सिंगूर, हरियाल तथा तारकेश्वर सम्मिलित हैं । ये नया उप-प्रदेश बनाने के लिए चन्द्रनगर में मिला दिये जायेंगे ।

(ग) छांटने का आधार प्रशासकीय सुविधा तथा प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रफल जनसंख्या, संचार तथा संसाधनों के मामलों में स्थिर रहने की शक्ति का होना है ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या इस मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों का मत जान लिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस मामले पर पश्चिमी बंगाल को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

कोयले का निर्यात

***८३१. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३–५४ में कोयले के निर्यात में पर्याप्त कमी हुई है और चालू वर्ष में भी और अधिक कमी हो रही है; और

(ख) क्या सरकार ने कोयले के निर्यात व्यापार में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) १९५३–५४ में निर्यात १९५०–५१ के पहिले के वर्षों की अपेक्षा अधिक था परन्तु पिछले दो वर्षों अर्थात् १९५१–५२, १९५२–५३, की अपेक्षा, जिन में संसार की असाधारण स्थिति होने के कारण भारत के माल की असाधारणतया अधिक मांग थी, थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात हुआ। भारत से कोयले के निर्यात की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि दृढ़तापूर्वक यह कहना कि चालू वर्ष में और अधिक कमी होगी या नहीं, कठिन है ।

(ख) कोयले के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार पहिले ही कुछ कार्यवाही कर चुकी है । उन्हों ने ११–५–१९५३ से कोयले के निर्यात पर वाणिज्यिक कर समाप्त कर दिया है । निर्यात आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है । इस के अतिरिक्त, निर्यात पर श्रेणी अनुसार प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया गया है । कोयले के निर्यात में वृद्धि करने की कार्यवाहियों पर सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति विचार कर रही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि कोयले के निर्यात में कमी के लिए रेलवे भाड़े की वृद्धि भी उत्तरदायी है और यदि हां, तो क्या उत्पादन मंत्रालय ने इस मामले को लेकर रेलवे मंत्रालय से भाड़े में कमी करने की बात की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): रेलवे भाड़े का प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है जो कोयले के निर्यात पर प्रभाव नहीं डालता । यह प्रश्न आन्तरिक यातायात को प्रभावित कर सकता है । मैं सुझाव रखूंगा कि प्रश्न के इस स्वरूप को कोयले के निर्यात के प्रश्न के साथ न मिलाया जाय । यह भी संभव है कि रेलवे भाड़े की कमी उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक हो पर वह दूसरी बात है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो कोयला निर्यात किया जाता है उसे पत्तनों तक जहाज़ों से या केवल रेलों से भेजा जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे: कई प्रकार से भेजा जाता है; एक सामुद्रिक तथा रेलवे मार्ग, दूसरा रेलवे मार्ग और रेलवे तथा नदी मार्ग भी है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सा देश सब से अधिक परिमाण में कोयले का आयात करता है ?

श्री आर० जी० दुबे : आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होगा कि जापान और पाकिस्तान हमारे यहां से सब से अधिक मात्रा में कोयले का आयात करते हैं ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात के लिए जो कोयला तैयार है उस का परिमाण क्या है और हमारे कोयले का आयात करने वाले अन्य कौन कौन से देश हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं ने अभी उत्तर में बताया है कि निर्यात में कमी हो गई है । १९५१-५२ में वास्तविक निर्यात ३३,३८,००० टन है । यह वास्तविक आंकड़े हैं ।

केन्द्रीय गवेषणा संस्थायें

*८३३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष उद्योगों के शिल्पिक विकास हेतु किन किन स्थानों पर केन्द्रीय गवेषणा संस्थाओं की स्थापना की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मेरा विचार है कि सदस्य महोदय प्रादेशिक प्रोद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं जो फोर्ड फाउण्डेशन इन्टरनेशनल टीम की सिफारशों पर स्थापित की जाने वाली है । यह स्थान फरीदाबाद, कलकत्ता, पूना या बम्बई और मदुरा हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इन में किस प्रकार का गवेषणा कार्य किया जा रहा है और संभवतः कब उन में सफलता मिलने वाली है ।

श्री करमरकर : यह विभिन्न स्थानों पर प्रचलित छोटे उद्योगों पर निर्भर है और ऐसे विषयों पर गवेषणा की जायेगी जो वहां के सम्भाव्य उद्योगों के विकास के लिए लाभदायक हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इन में अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री एस० एन० दास : इन गवेषणा संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हो चुकी है ?

श्री करमरकर : मदुरा की दक्षिणी संस्था के सम्बन्ध में एक संचालक नियुक्त किया जा चुका है और अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में, मामला विचाराधीन है । ज्यों ही सम्पूर्ण संगठन तैयार हो जायेगा यह संस्थायें कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह संस्थायें उद्योगों के गैरसरकारी क्षेत्रों के लिए भी गवेषणा करेंगी या केवल सरकार के ही लिए ?

श्री करमरकर : मुख्यतया उद्योगों के गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए करेंगी ।

फिलिपाइन्स

*८३४. **श्री राधा रमण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलीपाइन्स सरकार ने अभी हाल में कोई फुटकर व्यापार राष्ट्रीयकरण विधेयक पारित किया है जिस के अनुसार उस देश में विदेशी लोगों को फुटकर व्यापार की अनुमति न रहेगी;

(ख) क्या इस विधेयक के द्वारा बहुत से भारतीय फुटकर व्यापारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने फिलीपाइन्स सरकार से इस मामले के सम्बन्ध में कोई बात की; और

(घ) यदि हां, तो परिणाम क्या रहे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग ४०० भारतीयों पर प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) और (घ). विधेयक के संतोषजनक पुनरीक्षण हेतु मनीला स्थित भारतीय राजदूत ने इस मामले पर फिलीपाइन्स सरकार से बात की । यह बात उन देशों के कूटनीतिज्ञ-मण्डलों के प्रमुखों द्वारा, जिन के राष्ट्रीय लोगों पर इस का प्रभाव पड़ा, कूटनीतिज्ञ दल के अधिकारी की मार्फत प्रदर्शित सामूहिक विरोध के अतिरिक्त की गई थी । विधि के अधिनियमन के पश्चात् हमारे राजदूत को उत्तर में सूचित किया गया कि फिलीपाइन्स के प्रेजीडेण्ट ने कांग्रेस की एक समिति बनाई है जो उस अधिनियम के समुचित संशोधनों पर विचार करेगी ताकि उस के अवगुण दूर हो जायें और वह सभी सम्बन्धित लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाय और उन्हें भारतीयों के हित से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए आमंत्रित भी किया गया था । समिति के सुझावों पर कांग्रेस के आगामी सत्र में विचार किया जायेगा जो १९५५ में होगा ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार के पास उस अधिनियम की एक प्रति उपलब्ध है, और यदि हां, तो उस के उपबन्ध क्या हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : अवश्य ही हमारे पास अधिनियम की प्रति है । साधारण रूप से दस वर्षों में कोई विदेशी राष्ट्रीय, अमेरिकन लोगों को छोड़ कर, फिलीपाइन्स में फुटकर व्यापार नहीं कर सकेगा ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने उस अधिनियम में अपने कुछ सुझाव दिये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : अपने उत्तर में मैं बता चुका हूं कि फिलीपाइन्स के प्रेसीडेण्ट ने हमारे राजदूत का भारतीय जनता की ओर से सुझाव प्रस्तुत करने को आमंत्रित किया है और हमारे राजदूत यह काम कर रहे हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि यह विधेयक कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने अपने उत्तर में बताया है कि फिलीपाइन्स के प्रेसीडेण्ट ने हमारे राजदूत को बताया है कि १९५५ में होने वाले कांग्रेस के सत्र में कुछ उपबन्धों पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन का आशय यह है कि विधि का अधिनियमन हो गया है पर क्या उसे कार्यान्वित भी कर दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसा मालूम होता है कि उसे अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

औद्योगिक गृहनिर्माण योजना

*८३५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य को सहायता प्राप्त औद्योगिक गृहनिर्माण योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि दी गयी है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : दिल्ली राज्य सरकार को १३७६ गृहों के निर्माण हेतु ३७,१५,२०० रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो मकान बनेंगे वह किस प्रकार के होंगे, एक कमरे वाले या दो कमरे वाले ?

सरदार स्वर्ण सिंह : दिल्ली स्टेट जिस किस्म की प्लैन भेजेगी उस के मुताबिक यह बनाये जायेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत

दिल्ली राज्य सरकार ने जो योजना भेजी थी उसे केन्द्रीय सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : औद्योगिक गृह-निर्माण की किसी भी योजना को अस्वीकृत नहीं किया गया है ।

हाथ-करघों के सम्बन्ध में गवेषणा

*८३७. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में नादिऊ द्वारा अन्वेषित करघे के सम्बन्ध में अखिल-भारतीय करघा बोर्ड के अधीक्षण में जो प्रयोग किये जा रहे थे उन का क्या परिणाम रहा; और

(ख) क्या भारतवर्ष में कहीं भी चार तकलियों वाले अम्बर चरखे की परीक्षा की गई है और यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों ने जिन्हों ने प्रयोग किया है, अपना विचार प्रकट किया है कि नादिऊ करघा व्यापारिक प्रयोग के लिए अलाभ-दायक सिद्ध होगा ।

(ख) हां, श्रीमान्, दक्षिण में । परिणामों के सम्बन्ध में ठीक ठीक प्रतिवेदन अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस देश में ऐसे कितने करघे हैं और प्रत्येक का मूल्य लगभग कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लगभग एक हजार रुपया प्रति करघा के मूल्य पर उन में से १२ का आयात किया गया था ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : गत सप्ताह वैज्ञानीकरण के संकल्प पर भाषण करते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि वह बुनाई के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में है । क्या सरकार की नीति कताई के विकेन्द्रीकरण की भी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है और यह कैसे संभव होगा ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या अंबर चर्खों के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव है ताकि गांवों में उनका वितरण सूत बनाने के लिए किया जा सके ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन अम्बर चर्खों की सफलता के सम्बन्ध में ठीक ठीक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है अतः मैं प्रश्न का स्वीकारात्मक या नकारात्मक उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

तुगभद्रा नियन्त्रण बोर्ड

*८३९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तुंगभद्रा नियंत्रण बोर्ड का पुनर्संगठन करना चाहती है; और

(ख) क्या यह भी विचार है कि पुन-र्संगठित बोर्ड को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये जायें ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा विचार किया जाता है कि जो बोर्ड अभी तक मुख्य इन्जीनियर के अधि-कारों का प्रयोग कर रहा था उसे पुनर्संगठन के पश्चात् राज्य सरकार के अधिकार दिये जायें ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बोर्ड को सरकार द्वारा इन विशेष अधिकारों के प्रदान करने का क्या कारण है जब कि देश में अन्य बोर्डों को ऐसे अधिकार नहीं प्राप्त हैं ?

श्री हाथी : यह विशेष अधिकारों के देने का प्रश्न नहीं है। यह बोर्ड मुख्य इन्जीनियर के अधिकारों का प्रयोग कर रहा था। अनेक बातों का निर्णय सरकार द्वारा कराना पड़ता था और अनेक कार्यों में विलम्ब भी हो जाया करता था क्योंकि बोर्ड के पास सरकार के अधिकार नहीं थे। अतः यह विचार किया गया कि बोर्ड को केवल मुख्य इन्जीनियर के ही अधिकार नहीं बल्कि राज्य सरकार के अधिकार भी दिये जायं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि बोर्ड को अपने कामों में क्यों विलम्ब करना पड़ता था ?

श्री हाथी : स्वभावत : जब बोर्ड के पास केवल मुख्य इन्जीनियर के अधिकार थे तो अनेक मामलों को निर्णय के लिए सरकार के पास भेजना पड़ता था क्योंकि बोर्ड के पास सरकार के अधिकार नहीं थे और कुछ विलम्ब हो ही जाता था।

श्री रघुरामैया : क्या मैं जान सकता हूं कि आंध्र, हैदराबाद और मैसूर की सरकारें बोर्ड के पुनर्संगठन पर सहमत हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : हां, श्रीमान्।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सम्बन्धित चारों राज्यों ने अपने सभी अधिकारों या केवल कुछ विशेष अधिकारों को ही इस बोर्ड को समर्पित किया है ?

श्री हाथी : बोर्ड का संगठन हो रहा है, संगठित होने के पश्चात् यह किया जायेगा।

बर्मी मिशन

*८४२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सामाजिक कल्याण तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अध्ययन करने और उन का पर्यालोकन करने के लिये सितम्बर, १९५४ के प्रथम सप्ताह से एक बर्मी मिशन भारत का दौरा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस मिशन को भारत में दौरे के काल में क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां; वह मिशन भारत में सितम्बर के प्रथम सप्ताह में आया है।

(ख) पुनर्निर्माण एवं विकास योजनाओं का अध्ययन करने के लिये उस मिशन को प्रत्येक सुविधा दी जा रही है और उस के साथ सामान्य सौजन्य बरता गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस पर सरकार की तरफ से क्या खर्च होगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस का कोई हिसाब तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो खातिर तवाज़े में खर्च होता है वह खर्च होगा।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच है कि इन विकास परियोजनाओं का दौरा करने के लिये दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य देशों से भी ऐसे ही मिशन आ रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, अक्सर आया करते हैं। आते हैं, देखते हैं और जाते हैं।

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

*८४३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की क्रय तथा उत्सर्जन शाखा ने १९५३–५४ में कितने क्रय और उत्सर्जन दर्ज किये हैं;

(ख) क्या सरकार उस कार्यालय को बन्द कर देने का विचार कर रही है; और

(ग) १९५३–५४ में उस कार्यालय की रख रखाव पर कितना व्यय हुआ ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार. स्वर्ण सिंह) : (क)

क्रय के आदेश	९५६
उत्सर्जन के आदेश	१३४

(ख) इस कार्यालय को बम्बई के संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय में मिला देने के प्रश्न पर स्टोर क्रय समिति, जो संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय और उस की शाखाओं के संगठन एवं संचालन की जांच कर रही है, के प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

(ग) ५·४७ लाख रुपये ।

तिजोरियां

*८४४. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान के भिन्न भिन्न बैंकों में पड़ी हुई तिजोरियों की व्यवस्था के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : जी नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या दावेदारों ने सरकार को इन तिजोरियों में रखी हुई वस्तुओं के मल्य का कोई अन्दाज दिया है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी नहीं ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त होने वाला अनुदान

८४७. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खादी उत्पादकों के नाम क्या हैं, जिन्हें अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुदान प्राप्त होते हैं; और

(ख) किसी भी उत्पादक से खादी खरीदने वालों को छूट देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]**.

(ख) खादी की बिक्री पर तीन आना प्रति रुपया की छूट दी जा रही है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल शुद्ध खादी पर ही छूट दी जाय, यह रियायत केवल उन्हीं फुटकर क्रयों को दी जायेगी जो प्रमाणित उत्पादकों और भण्डारों से किये गये हों ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : सच्चे फुटकर विक्रेताओं के सम्बन्ध में कौन सा प्राधिकार प्रमाणपत्र देगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ये प्राधिकार वे हैं, जो अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किये गये हैं, और वह निकाय है जिस ने अखिल भारतीय चर्खा संघ को अपने अधिकार में ले लिया है ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : क्या यह सच नहीं है कि ऐसे भी कुछ उत्पादक हैं, जिन का अखिल भारतीय चर्खा संघ से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: ऐसे उत्पादक हो सकते हैं, परन्तु प्रमाणित करने वाले प्राधिकारों को अखिल भारतीय चर्खा संघ से कोई सम्बन्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह : छूट देने के बाद खादी के उत्पादन और उस के विक्रय में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि मैं यह बता चुका हूं । वृद्धि लगभग १७ प्रतिशत है ।

आणुविक शक्ति संबंधी सम्मेलन

*८४८. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार दिल्ली में आणुविक शक्ति सम्बन्धी एक सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब करने का विचार है; और

(ग) उस सम्मेलन में किन किन मुख्य विषय पर विचार विमर्श होगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) नवम्बर १९५४ में किसी समय ।

(ग) भारत में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये आणुविक शक्ति का विकास ।

श्री बुचिकोटैय्या : इस सम्मेलन को बुलाने के हेतु अभी तक क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है वह यह है : लोगों से परामर्श करना, एक उपयुक्त तिथि निश्चित करना---उपयुक्त तिथियां निश्चित करना कठिन काम है क्योंकि बहुत से प्रमुख सदस्य बार बार भारत से बाहर जाते रहे हैं---और फिर आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्तियों की और विषयों की अस्थायी सूचियां बनाना ।

श्री के० के० बसु : क्या विदेशों से भी लोग आमंत्रित किये जायेंगे, यदि हां, तो किन किन देशों से कितने व्यक्ति आमंत्रित किये जायेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे मालूम है, इस सम्मेलन विशेष में किसी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित करने का विचार नहीं है ।

श्री अमजद अली : क्या इस सम्मेलन द्वारा भारतीय आणुविक शक्ति मिशन के गत पांच वर्षों के कार्य पर विचार किये जाने की संभावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस सम्मेलन का यह प्रयोजन नहीं है, परन्तु उस काम के विषय में कुछ चर्चा अवश्य होगी---ऐसा मैं समझता हूं ।

छोटे पैमाने की इंजीनियरिंग संस्थायें

*८४९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा में और उस के निकट की छोटे पैमाने की इंजीनियरिंग संस्थाओं के विकास की कोई योजना स्वीकार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). इस प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल की सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इन संस्थाओं में काम करने वाले बहुत से लोगों के बेकार हो जाने का जो भय है, उस को बचाने के सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिन सुझावों पर आजकल विचार हो रहा है, उन के अतिरिक्त और कोई विशिष्ट योजनायें नहीं हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार के साथ बातचीत करने से

पूर्व, सरकार ने इन उद्योगों की दशाओं के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार को इन उद्योगों की दशाओं के सम्बन्ध में काफी मालूम है ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि सांख्यकी सूचनालय ने एक प्रारम्भिक जांच में यह बताया था कि लगभग ४५ प्रतिशत स्थापित सामर्थ्य बेकार पड़ा हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं कई बार कह चुका हूं कि स्थापित सामर्थ्य का अर्थ विद्यमान सामर्थ्य नहीं होता और इसलिये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

रुरकेला योजना को विद्युत

*८५०. **श्री संगण्णा** : क्या **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुड से रुरकेला योजना को विद्युत देने का निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस की दर क्या होगी तथा इसे देने में कितना व्यय होगा; और

(ग) किस तारीख से यह निर्णय कार्यान्वित होगा ?

सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). निर्णय यह हुआ है कि प्रारम्भ में तो रुरकेला स्थित हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स को, अपने कारखाने में उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले गैसों का उपयोग कर के ७५०० किलोवैट विद्युत उत्पन्न करने वाला ताप जनित्र स्थापित करना चाहिये । और इस के बाद जो कमी रहेगी वह हीराकुड में विद्युत उपलब्ध होते ही वहां से लेनी चाहिये । इस बात पर उड़ीसा सरकार की विद्युत दर समिति विचार कर रही है कि स्टील वर्क्स को किस दर पर विद्युत दी जाये ।

श्री संगण्णा : हीराकुड से विद्युत कब उपलब्ध होगी ?

श्री हाथी : जुलाई १९५६ के लगभग इस की आशा है ।

श्री संगण्णा : क्या हीराकुड से बिजली देने के कुछ वचन पहले ही से दिये गये हैं ?

श्री हाथी : बिजली देने के सम्बन्ध में अन्य कम्पनियों से भी बातचीत हो रही है ।

श्री संगण्णा : रुरकेला योजना की प्रगति किस अवस्था में है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि रुरकेला योजना इस समय किस अवस्था में है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना चाहिये । दूसरे एक प्रश्न के उत्तर में, जो सभा के सामने उठाया जाने की संभावना है, विभिन्न दिशाओं में की गई प्रगति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने का मेरा विचार है ।

चलचित्र

*८५१. **श्रीमती जयश्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विदेशों में प्रदर्शित करने के लिये क्या कोई चलचित्र बनाये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : चलचित्र विभाग के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष ऐसे छः प्रलेख चित्र समाविष्ट किये जाते हैं जो मुख्यतः विदेशों में प्रदर्शित करने के लिए होते हैं और जिन के विषय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा सुझाये जाते हैं । साधारण प्रचार के लिए बनाये गये प्रलेखचित्रों में से कुछ चुने प्रलेखचित्र भी भारतीय दूतावासों को भेजे जाते हैं । विदेशों को भेजे गये प्रलेखचित्रों

की सूची पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९**].

विनिमय व्यवस्था के अनुसार विदेशीय वृत्तचित्र संस्थाओं तथा टेलीवीजन संस्थाओं को दिये जाने वाले समाचारों के अलावा, विदेशों में प्रदर्शित करने के लिए यहां के वृत्तचित्रों की छंटनी कर के एक मासिक आवृत्ति बनायी जाती है ।

श्रीमती जयश्री : श्रीमान्, क्या मैं इन चलचित्रों के प्रदर्शन का तरीका जान सकती हूं और क्या लोगों को ये प्रलेखचित्र देखने का अवसर मिलता है ?

डा० केसकर : विदेशों में दूतावासों को भेजे जाने वाले प्रलेखचित्रों के बारे में, उन के प्रदर्शन का प्रबन्ध करने की जिम्मेवारी उन दूतावासों की होती है । मेरी राय है कि वे यथासंभव अधिकतम प्रदर्शन का प्रबन्ध करते हैं । इस के अलावा अब हम ने यूरोप के कुछ विदेशी वितरकों के साथ करार कर लिये हैं जहां वे अपने अन्य चलचित्रों के साथ हमारे प्रलेखचित्रों का भी वितरण कर देते हैं । अभी इस समय मेरे पास विस्तृत विवरण नहीं है ।

श्री के० के० बसु : अभी दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि हम ने कितने देशों के साथ निजी वितरकों द्वारा प्रलेखचित्रों के प्रदर्शन के बारे में करार किये हैं ?

डा० केसकर : बिना पूछताछ किये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा, किन्तु हम किसी देश के साथ करार नहीं करते हैं । हम ने कुछ एक या दो वितरक संस्थाओं से करार किये हैं, जो, यदि मुझे ठीक तरह विदित है, एक साथ अनेक देशों में हमारे प्रलेखचित्र प्रदर्शित करती हैं ।

दमिश्क में अन्तर्राष्ट्रीय मेला

*८५२. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत, दमिश्क में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेगा; और

(ख) यदि हां, तो मेले में प्रदर्शन के लिये कौन कौन सी वस्तुएं भेजी जायेंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०**]

श्री जी० एल० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह चुनाव किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थान का या प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं का ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे वस्तुओं के लिये पूछ रहे हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अन्य प्रदर्शनियों के अनुभव से लाभ उठा कर वस्तुओं का चुनाव किया जाता है और उस में भाग लेने वाली संस्थाओं की इच्छा पर भी यह निर्भर होता है कि वे अपनी वस्तुओं को प्रदर्शन के लिये दे सकेंगे या नहीं ।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक आवास

*८५३. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मध्य-प्रदेश को कुल कितना धन दिया गया;

(ख) जो धन दिया गया था, क्या उस का पूरा उपयोग किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य-प्रदेश में अभी तक केवल १०० मकान ही औद्योगिक मजदूरों के लिये बनाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सन् १९५१-५२ से १९५३-५४ तक कुल ३०,०६,५००) रुपये दिये गये ।

(ख) नहीं श्रीमान्; अभी नहीं ।

(ग) अगस्त १९५४ के अन्त तक १६४ मकान बनाये गये हैं । अन्य ५९० मकान निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं ।

(घ) भूमि प्राप्त करने की कठिनाई से प्रगति कुछ मन्थर है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को जो रकम खर्च करने के लिये दी गई थी वह पूरी की पूरी रक़म मध्य प्रदेश की सरकार ने खर्च की है या उस में से कुछ बाकी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बाकी है ।

नये मध्यतंरग ट्रांसमीटर

*८५४. **श्री रघुरामैया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में विविध स्टेशनों पर नये मध्य-तरंग ट्रांसमीटर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ? जिन जिन तारीखों तक प्रत्येक स्थान पर नये ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे उन का भी उल्लेख किया जाय ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) मांगी गई सूचना का विवरण पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११**]

श्री रघुरामैया : विवरण से मुझे पता चला कि विविध स्थानों पर विभिन्न विद्युत-शक्तियों के ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे । बंगलौर में ५० किलोवाट का लगेगा और विजयवाडा में, जिस का क्षेत्र बंगलौर से कम नहीं है, केवल २० किलोवाट का ही ट्रांसमीटर लगेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस विभेदपूर्ण आचरण का क्या आधार है ?

डा० केसकर : यह कहना तो पूर्णरूपेण संभव नहीं है कि विभिन्न स्थानों पर यह विभिन्नता क्यों है ? उन के क्षेत्र, आदि अनेक बातों पर उस समय विचार किया जाता है । इन के अतिरिक्त यह भी सोचा जाता है कि अमुक स्टेशन केवल उस राज्य के ही लिये है या उस ओर के समस्त क्षेत्र के लिये । ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं ।

श्री रघुरामैया : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशालांध्र की पुकार की जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विजयवाड़ा का क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा ?

डा० केसकर : मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र को पता है कि आंध्र-निर्माण के उपरान्त हम ने पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करके आंध्र को २० किलोवाट का ट्रांसमीटर देने का विशेष प्रयत्न किया है ।

श्री के० के० बसु : क्या यह च नहीं है कि २० किलोवाट के स्टेशन, ५० किलोवाट के स्टेशनों की अपेक्षा, अधिक संख्या में बनाना अधिक सुविधाजनक है ?

डा० केसकर : इतना सामान्यीकरण अनुचित है । यह सब उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, और जितना आवर्तक प्रशासनीय व्यय हम उस के लिए उठाना चाहते हैं । कुछ मामले ऐसे हैं जहां एक बड़ी शक्ति वाला स्टेशन रखने के बजाय २० किलोवाट के अनेक स्टेशन रखना अधिक श्रेयस्कर है ।

गृह निर्माण योजनाएं

*८५५. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २१ अप्रैल १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विभिन्न राज्यों को विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी गृह निर्माण योजनाओं के लिये किन शर्तों पर रुपया दिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : जिन शर्तों पर रक़म दी गई है उस का विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या यह सच है कि विन्ध्य प्रदेश में जो शरणार्थियों के क्वार्टर्स तैयार किये गये हैं, उस सिलसिले में किसी किस्म की शिकायत वहां के शरणार्थियों ने दो हफ्ते पहले केन्द्रीय सरकार से की थी ?

श्री जे० के० भोंसले: हां की होगी, लेकिन मेरे पास तो उस का जवाब नहीं है।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हां, श्रीमान्, शिकायत की थी।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या यह सच है कि एक क्वार्टर के बनाने में २,३०० रुपये खर्च किये गये हैं जिस के सिलसिले में रेफ्यूजीज़ ने कहा है कि यह बहुत अधिक रुपया ख़र्च किया गया है, मकानों की लागत हज़ार, बारह सौ से ज्यादा नहीं है, इसलिये हम उन मकानों को लेने से मजबूर हैं, फिर भी वहां की सरकार ने उन पर फोर्स डाल कर उन्हें मकान लेने पर मजबूर किया है और मकान ज़बर्दस्ती दिये जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मकान देने में किसी पर ज़ोर नहीं दिया जाता, अलबत्ता उन्हों ने यह ज़रूर कहा था कि इस की कीमत ज्यादा है लेकिन यह उन का कहना ग़लत था।

हिन्दी की जनपदीय बोलियों में प्रसारण

*८५६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैथिली, ब्रजभाषा, राजस्थानी और गढ़वाली आदि हिन्दी की जनपदीय बोलियों में रूपक आदि के प्रसारण के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) आल इंडिया रेडियो से मुख्यतया प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होता है। सामूहिक संगीत तथा साहित्य पर आधारित कार्यक्रमों में नाटकीय आवश्यकताओं के अनुसार जनपदीय बोलियां प्रयुक्त की जाती हैं। अतः हिन्दी की इन बोलियों के रूपक ग्रामीण कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं। ये रूपक कार्यक्रम-योजना तथा प्रतिमान के लिये आवश्यक पाण्डुलिपियों की प्राप्ति पर निर्भर करते हैं। जहां गढ़वाली और राजस्थानी बोली जाती है, वे क्षेत्र वर्तमान ट्रांसमीटरों की सीमा में नहीं आते हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अभी तक इन जनपदीय भाषाओं का जो कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है वह बहुत कम है और उस को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है ?

डा० केसकर : जी हां, आल इंडिया रेडियो इस बात को महसूस करता है कि जो भिन्न भिन्न बोलियां हैं उन के अन्दर सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां तक हो हम बढ़ावें लेकिन जैसा मैं ने आप को इस जवाब में कहा है, ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां हमारे आजकल जो ट्रांसमीटर हैं उन की वहीं तक पहुंच नहीं है और जब तक ट्रांसमीटर्स की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचती उस समय तक कितने भी प्रकार के कार्यक्रम करने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या कभी इस सुझाव पर भी विचार किया गया है कि इस कार्यक्रम को और अधिक सफल और आकर्षक बनाने के लिये परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की जाय ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हों ने कभी इस सुझाव पर भी विचार किया है कि इस कार्यक्रम को और अधिक सफल और आकर्षक बनाने के लिये परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की जाय ?

डा० केसकर : हर एक स्टेशन के पास एक जनरल प्रोग्राम ऐडवाइज़री कमेटी होती है और रूरल प्रोग्राम्स के लिये हर एक जगह विशेषज्ञों की एक छोटी कमेटी होती है, मैं नहीं समझता और किस प्रकार की कमेटी माननीय मेम्बर सजैस्ट कर रहे हैं ।

श्री हेम राज : मैं जानना चाहताहूं कि क्या आकाशवाणी से पहले जो डोगरी भाषा में प्रोग्राम चलता था वह बन्द कर दिया गया है और अगर बन्द कर दिया गया है तो वह किस वजह से बन्द कर दिया गया है ?

डा० केसकर : मुझे पता नहीं है । डोगरी भाषा का प्रोग्राम जम्मू से चलता है, यहां से कुछ डोगरी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, अब मुझे पता नहीं है कि वह पूरा प्रोग्राम बन्द कर दिया गया है या अंशतः बन्द किया गया है, यह मुझे देखना पड़ेगा ।

साइकिल-उद्योग के लिये विकास-परिषद्

*८५८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या साइकिल-उद्योग के लिये विकास-परिषद् द्वारा बनाई गई उप-समितियों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदनों पर सरकारी विचार की सूचना विकास-परिषद् के अध्यक्ष के पास भेजी गई है । अभी परिषद् के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा कि परिषद् के उत्तर की प्रतीक्षा है किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह एक लम्बी सूची है । मेरे पास ये आठ के लगभग हैं । विकास-परिषद् के उत्तर उपरान्त जब हम सिफारिशों को मानने या न मानने का निर्णय कर लेंगे तो मैं सभा को अवश्य सूचित करूंगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : मज़दूरों की भलाई के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तीनों उप-समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है और उस के प्रति विचार एवं कार्यवाही की सूचना विकास-परिषद् को दी गई है । उस के अध्यक्ष का जब उत्तर आ जायगा तभी मैं कह सकूंगा कि सरकार का उस के प्रति क्या रुख है और सरकार उस के बारे में क्या निर्णय करेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री उस का विवरण अगले सत्र में पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय म ज्योंही सरकार निर्णय करेगी, त्योंही मैं सभा को सब बतला दूंगा, उस से पहले नहीं ।

लदाख

*८६०. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को लदाख की जनता की ओर से इस प्रकार की कोई प्रार्थना मिली है कि लदाख-पश्चिमी तिब्बत के व्यापारिक मार्ग का, तिब्बत से सम्बन्धित चीनी-भारतीय करार में स्पष्ट उल्लेख किया जाय; तथा

(ख) क्या यह सच है कि सिक्यांग को निषिद्ध प्रदेश घोषित किये जाने के कारण, लदाख का मध्य एशिया से व्यापार नष्ट हो गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, करार के अनुच्छेद ४ के अनुसार शांगत्सांगपू (सिन्धु) नदी की घाटी के साथ साथ ताशिगांग को जाने वाले मार्ग पर इस व्यापार की अनुमति दी गई है ।

(ख) जी हां, परन्तु यह हानि, शेष कश्मीर तथा तिब्बत से लदाख के व्यापार के बढ़ाने तथा आन्तरिक संशोधनों को विकसित करने से पूरी की गई है ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या १८४२ की सन्धि के अनुसार जो सुविधायें व्यापारियों को प्राप्त थीं वह अभी भी उन्हें प्राप्त हैं, तथा क्या वह सन्धि अभी भी सक्रिय है ?

श्री अनिल के० चन्दा : वे १८४२ की सन्धि की ओर निर्देश कर रहे हैं । यह तो भारत तथा चीन के बीच नई सन्धि है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे चाहें तो इस से सम्बन्धित एक प्रश्न पटल पर रख सकते हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं समझता हूं कि १८४२ की सन्धि के अनुसार ल्हासा से लदाख जाने वाले व्यापारियों को आर्थिक लाभ प्राप्त थ । मैं जानना च हता हूं कि क्या व लाभ अभी भी उन्हें प्राप्त ह ?

प्रधान मत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वे सब समाप्त हो चुके हैं ।

श्री भक्त दर्शन : जिस तरह से टेहरी गढ़वाल का नीलंग दर्रा है जिस से हो कर तिब्बत को मार्ग जाता है उसी तरह से कांग ा के स्पितो दर्रे से भी तिब्बत का मार्ग जाता है, लेकिन तिब्बत से जो समझौता हुआ है उस में इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं है, जिस के कारण से वहां के व्यापारियों को बड़ी कठिनाई होती है । क्या गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात आई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप का मतलब यह है कि चूंकि इस की चर्चा समझौते में नहीं हुई इसलिए कठिनाई हो रही है ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां

श्री जवाहरलाल नेहरू : कठिनाई तो कुछ जरूर है, लेकिन उस का सम्बन्ध इस चर्चा के होने से नहीं है । यह ज़ाहिर है कि कुछ दिक्कतें हैं और हम चाहते हैं कि दिक्कतें हटाई जायें और इस की कोशिश की जाती है ।

नेहरू-लियाकत करार

*८६१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने नेहरू-लियाकत करार के समस्त पदों पर कार्यवाही की है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). लगभग ४ १/२ वर्ष पहले जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस का निवारण करने के लिए तथा भविष्य की कठिनाइयों को दूर करने की

व्यवस्था करने के हित यह करार हो पाया था। उस समय की गंभीर स्थिति का निवारण करने में यह करार सफल हुआ परन्तु भविष्य के लिए की गई व्यवस्था को पूरी सफलता नहीं मिली यद्यपि कुछ छोटी मोटी आपत्तियों का समाधान किया गया है किन्तु कई मौकों तथा कई मामलों में पाकिस्तान सरकार का सहयोग संतोषजनक नहीं रहा ।

पूर्वी क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करने के लिए सन् १९५३ के सितम्बर तथा अक्तूबर में कलकत्ते में भारत व पाकिस्तान के अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। करार के परिपालन के विषय में पिछली जुलाई में दोनों देशों के अल्पसंख्यक मंत्रियों की आपसी अनौपचारिक बातचीत भी नई दिल्ली में हुई थी। उन्हों ने फिर मिलने और सीमा के चुने हुए क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि करार के किन पदों का परिपालन किया गया है ? क्या हम उस के सम्बन्ध में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि करार १९५० में हुआ था, अतः इस के बहुत से पदों का परिपालन १९५० में ही हुआ था। यह विशेष स्थिति का निवारण करने के लिए तथा भविष्य की अन्य कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। भविष्य की व्यवस्था पर कभी कार्यवाही हुई तथा कभी नहीं हुई। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि करार हो जाने के कुछ मास बाद की इस कार्यान्विति से इस के मुख्य उद्देश्यों का पालन हो सकेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार करार का पालन नहीं कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वर्षों पहले करार के मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो चुके हैं तथा इस में कोई सन्देह नहीं कि इस के कुछ पहलू अभी शेष हैं। जैसा कि उत्तर में कहा गया है, पाकिस्तान सरकार का सहयोग कुछ मामलों में संतोषजनक नहीं रहा, यही हमारी सम्मति है।

डा० राम सुभग सिंह : गृह मंत्री जी ने सभा में बताया था कि अस्थायी आज्ञा-पत्रों पर, हैदराबाद में बहुत से व्यक्ति आये थे तथा नेहरू-लियाकत करार के अनुसार उन को वापस पाकिस्तान भेजने में कठिनाई पड़ी है। क्या ऐसी बात नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किसी विशेष करार की ओर माननीय सदस्य का ध्यान है। इस करार में आज्ञा-पत्रों का प्रश्न ही नहीं आया है। यह प्रश्न तो पृथक् रूप में तय किया गया था। कई मामलों में कुछ कठिनाइयां उठी होंगी। मैं एकदम इस का उत्तर नहीं दे सकता ।

काश्मीर में अमरीकी पर्यवेक्षक

***८६२. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक कितने अमरीकी पर्यवेक्षक कश्मीर छोड़ कर चले गये हैं; तथा

(ख) कितने अभी वहां हैं तथा वे कब कश्मीर से चले जायेंगे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख): मार्च १९५४ में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक दल में अमरीका के २१ व्यक्ति थे जिन में से १८ सैनिक तथा ३ असैनिक थे। उस समय विभिन्न राष्ट्रों के पर्यवेक्षकों की संख्या ८२ थी। इस समय पर्यवेक्षकों की संख्या ७२ है जिस में से

पर्यवेक्षक दल में ५ अमरीकी राष्ट्रजन हैं—जिन में तीन सैनिक तथा २ असैनिक हैं। आशा है कि वे भी जल्दी ही चले जायेंगे। उन के जाने की ठीक तिथि ज्ञात नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन अमरीकी सदस्यों के जाने से खाली हुए स्थान, भर दिये गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : रिक्त स्थान लगातार भरे जा रहे हैं। लगातार लोग आ-जा रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रजन पर्यवेक्षकों में अमरीका के सदस्यों ने, निश्चित अवधि समाप्त होने से पहले वहां से चले जाने से सानुरोध इन्कार किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अनुरोध करने या न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संचिवालय से सम्बन्ध रखते हैं न कि पर्यवेक्षकों से। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हम ने उन्हें बता दिया कि वर्तमान स्थितियों में उन का रहना उपयुक्त नहीं है तथा हम आशा करते हैं कि राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी-जनरल अवसर के अनुसार कार्यवाही करेंगे। अतः इस विषय पर इस के अतिरिक्त सुझाव देना निरर्थक है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यदि इन पदाधिकारियों के स्थान पर अन्य राष्ट्रों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, तो क्या मैं जान सकती हूं कि भारत सरकार के अधिमान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ध्यान दिया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे साथी का कहना है कि हमारी सलाह पर ही ये नियुक्तियां की गई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय उद्योगों में गैर-सरकारी क्षेत्र

*८२०. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र नये उद्योग खोलने के तत्पर नहीं है यद्यपि देश में उपयुक्त टैकनिकल कुशलता के व्यक्ति उपलब्ध हैं; तथा

(ख) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्रों में बंटे हुए उद्योगों की समय-समय पर जांच करती है तथा यदि हां, तो किस लिए ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी हां। प्रगति को आंकने तथा साधारणतया उन वस्तुओं का जो विदेशों से आयात की जाती हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए समय-समय पर यह जांच हुआ करती है।

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड

*८३२. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली फैलाने की कोई योजना बनाई है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा तथा कितना समय लगेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड की ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की कोई अलग योजना नहीं है, परन्तु उन की विस्तार योजना के अनुसार, जहां तक संभव हो सके, समीपस्थ आस-पास के छोटे उपनगरों में बिजली पहुंचाई जायेगी। बोर्ड ने २१ फरवरी १९५४ को, कुछ छोटे उप-नगरों तथा समीप के ग्रामों में जिन की जनसंख्या, १०,००० से

कम है, बिजली पहुंचाने की एक योजना प्रकाशित की थी ।

(ख) भाग (क) में बताई गई योजना का अनुमानित व्यय १२·९६ लाख रुपये है; तथा इस के पूरा होने में १८ मास लगेंगे ।

समायोजित प्रचार कार्यक्रम

*८३६. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के समायोजित प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५३-५४ में कितनी रकम खर्च की गई है; और

(ख) क्या विकास योजनाओं और नदी घाटी योजनाओं पर प्रलेख चलचित्र बनाने के लिये कुछ रकम खर्च की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५३–५४ में खर्च की गई रकम लगभग, १२ लाख रुपये थी ।

(ख) हां । विकास योजनाओं और नदी घाटी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए पंचवर्षीय योजना के समूचे क्षेत्र पर प्रलेख चलचित्र बनाने में उसी वर्ष लगभग २,३०,००० रुपये खर्च किये गये हैं ।

कटक में रेडियो स्टेशन

*८३८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कटक में एक उच्च शक्ति का रेडियो स्टेशन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन का निर्माण-कार्य कब आरम्भ होने की आशा है; और

(ग) इस के निर्माण में कितना व्यय होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) कटक में १० किलोवाट का एक मध्यमतरंग ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है ।

(ख) ट्रांसमीटर के प्रतिष्ठापन के १९५५–५६ में आरम्भ होने की आशा है ।

(ग) ट्रांसमीटर के प्रतिष्ठापन की अनुमानित लागत ८ लाख रुपये है ।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य

*८४०. **श्री अजित सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विशेष रूप से चिरकालिक अभावग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं जिन में निम्न क्रय शक्ति और आर्थिक कार्यों में बार बार बाधा उपस्थित होने से सत्वर सहायता कार्य तथा अन्य उपाय की आवश्यकता है; और

(ख) इन क्षेत्रों में अभी तक क्या क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) चिरकालिक अभावग्रस्त क्षेत्र जिन में अपर्याप्त वर्षा और निम्न क्रयशक्ति के कारण सहायता कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता है, बम्बई (बीजापुर, शोलापुर और अहमदनगर ज़िले), आंध्र (अनंतपुर, कुड़प्पा और चित्तूर ज़िले), मैसूर (कोलार, तुमकार, चित्तलद्रुग और बेलारी ज़िले) और मद्रास (उत्तरी अर्काट, सलेम, चिंगलपट और कोयम्बेटूर ज़िले) हैं । हैदराबाद, मध्यभारत और राजस्थान में भी अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस वर्ष इन क्षेत्रों में सहायता कार्य आरम्भ नहीं किये गये हैं क्योंकि वर्षा की स्थिति पिछले वर्ष की भांति बुरी नहीं है ।

अधिक बाढ़ के परिणामस्वरूप उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आसाम और पश्चिमी बंगाल के भागों में अभाव की स्थिति उत्पन्न होने और निम्न क्रय शक्ति से सामान्यतया आर्थिक गतिविधि में अन्तर्बाधा पहुंचती है । यह स्थिति इन क्षेत्रों में इस वर्ष अधिक प्रबल होने के साथ ही दीर्घकालीन भी है ।

(ख) अतः भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में सहायता कार्य और पुनर्वास, सड़कों की मरम्मत, मकानों के निर्माण आदि के लिये किये गये व्यय का ५० प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया है। इन राज्यों में निम्न रकमें देन तय किया गया है :—

	ऋण	अनुदान (रुपये—लाखों में)
आसाम	६२·५२	६·७५
बिहार	—	१७१·२५
उत्तर प्रदेश	—	२·५०
पश्चिमी बंगाल	५७·५	५·००

इन राज्यों में स्थायी सुधार करने के लि १९५३ के अन्त में योजना में कई योजनाएं सम्मिलित की गई थीं। ४ मार्च, १९५४ को प्रश्न संख्या ६०८ के भाग (ख) के उत्तर में पटल पर रखे गये विवरण के परिशिष्ट २ में इन योजनाओं की सूची दी गई है; उस की ओर निर्देश करने की कृपा करें।

सूती वस्त्र जांच समिति

*८४१. **श्री केलप्पन :**
श्री बालकृष्णन :
श्री गणपति राम :
श्री के० सुब्रह्मण्यम् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सूती वस्त्र जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). आशा की जाती है कि इस महीने के अन्त होने से पहले ही समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी

स्थानीय विकास-निर्माण कार्यक्रम

*८४५. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा स्थानीय विकास-निर्माण कार्यक्रम को प्रत्यक्ष सहायता रोक दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). १९५४–५५ में स्थानीय विकास-कार्यों के लिये बजट के अन्तर्गत ६ करोड़ रुपये की समूची निधि राज्य सरकारों को आवंटित कर दी गई है। इस रकम में से केन्द्र के पास कुछ भी रक्षित न रखने का आधार यह है कि स्थानीय विकास कार्यों के प्रवर्तक राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्थानीय विकास-निर्माण कार्यक्रम के लिये केन्द्र द्वारा निर्धारित वित्तीय उपबन्ध का पूरा लाभ उठायें। भारत सेवक समाज जैसे अखिल भारतीय निकायों द्वारा किन्हीं विशेष कारणों से सीधे केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता पर विचार किया जा सकता है।

पंच वर्षीय योजना

*८४६. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी जाने वाली सिंचाई योजना के सम्बन्ध में अधिकतम लागत निश्चित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित नवीन परियोजना के सम्बन्ध में अधिकतम लागत का यह सिद्धान्त लागू किया जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सीमावर्ती घटनायें

*८५७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** २६ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाकिस्तानी पुलिस द्वारा मारे गये भारतीय राष्ट्रजन के उत्तराधिकारियों को पाकिस्तान सरकार ने क्षतिपूर्ति दी है और अपराधियों को दण्डित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने सुझाव दिया है कि घटना की संयुक्त रूप में जांच की जाये जिस में भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि हो । यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है और शीघ्र ही संयुक्त जांच किये जाने की सम्भावना है । स्पष्ट है कि पाकिस्तानी पुलिस के उन कर्मचारियों को दण्डित करने और मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रस्तावित संयुक्त जांच के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

हलका संगीत

*८६३. **श्री नवल प्रभाकर : क्या सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आकाशवाणी द्वारा इस वर्ष में प्रसारित हलके संगीत के कार्यक्रमों की संख्या गत वर्ष की संख्या की तुलना में कैसी है; और

(ख) सार्वजनिक मांग के उत्तर में प्रसारित हलके संगीत के कार्यक्रमों की संख्या कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५३ में आकाशवाणी से प्रसारित हलके संगीत के कार्यक्रमों की संख्या ७३,७१८ थी और ३० जून १९५४ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष में यह ३९,०८५ है ।

(ख) सार्वजनिक मांग के उत्तर में प्रसारित हलके संगीत की संख्या १९५३ में ४१८७ और ३० जून, १९५४ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष में २२४८ है ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

*८६४. **श्री भागवत झा आजाद : क्या पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने जून तथा जुलाई १९५४ में पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये बिहार राज्य को कुछ ऋण या अनुदान दिया है;

(ख) यदि दिया है, तो कितना ; और

(ग) यह राशि किन मदों पर व्यय की जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग). विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने, कृषि सम्बन्धी उपकरण आदि खरीदने और व्यापार आरम्भ करने के हित और ऋण देने के लिये जून, १९५४ में बिहार सरकार को ९ लाख रुपयों का ऋण मंजूर किया गया था । जुलाई, १९५४ के लिये राज्य सरकार को कोई निधि मंजूर नहीं की गई ।

अणुशक्ति के अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम

*८६५. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विश्वविद्यालयों में अणुशक्ति के अध्ययनार्थ विशेष पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन में उक्त योजना शामिल की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जापान के साथ सहकारी करार

*८६६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि टेक्नीशियनों और विद्यार्थियों के परस्पर विनिमय के लिये जापान के साथ टेकनीकल सहकारी करार पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : भारत और जापान के बीच एक टेक्नीकल सहकारी करार विचाराधीन है । अभी इस की विस्तृत बातें निर्णीत नहीं हुई हैं।

हिन्द-चीन

*८६७. **श्री अजित सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्द-चीन के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षक आयोग में हमारी वचनबद्धता के कारण होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा उठाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) क्या हिन्द-चीन जाने वाले सेना कर्मचारी वर्ग को युद्धक्षेत्र सेवा वेतन-स्तरों के अनुसार वेतन मिलेगा तथा युद्धक्षेत्र सेवा का अन्य लाभ भी प्राप्त होगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सरकार ने वहां जाने वाले प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के भत्ते तथा वेतन देना ही स्वीकार किया है, और खाने-पीने, रहने, परिवहन, आदि के राष्ट्रीय शिष्टमंडल के अन्य सभी खर्चे तथा अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय और सभी की समान सेवा के खर्चे एक साधारण धनसंग्रह से दिये जायेंगे जो जेनेवा सम्मेलन के मुख्य सदस्यों और/अथवा सम्बद्ध दलों से वित्त प्राप्त करेगा ।

(ख) क्योंकि अभी हमारे पास ब्योरेवार जानकारी नहीं है अतः इस समय कुल व्यय का आंकड़ा नहीं बताया जा सकता ।

(ग) जी हां ।

भारत तथा हिन्देशिया के बीच व्यापार

*८६८. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन कारणों से भारत तथा हिन्देशिया के बीच व्यापार नहीं बढ़ सका; और

(ख) इन बाधाओं को दूर करने तथा भविष्य में हिन्देशिया के साथ व्यापार को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ के प्रथम तीन मासों के हिन्देशिया के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]** १९५२-५३ की अपेक्षा १९५३-५४ में भारत तथा हिन्देशिया के बीच अधिक व्यापार हुआ । इस वर्ष भी संतोषजनक गति से व्यापार चल रहा है । अतः भारत तथा हिन्देशिया के बीच व्यापार बढ़ने के रास्ते में कोई भी विशेष बाधायें नहीं हैं ।

पीपे तथा ढोल बनाने के उद्योग

*८६९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पीपे तथा ढोल बनाने वाला स्वदेशी उद्योग अपने स्थापित सामर्थ्य से कम निर्माण करता है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो एक नये और शक्तिशाली विदेशी प्रतिद्वन्द्वी को नया कारखाना चलाने की आज्ञा दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इतना तो कहा जा सकता है कि इस उद्योग का कोई एक कारखानेदार अपने स्थापित सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है ।

(ख) मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि अभी हाल में किसी नये विदेशी कारखाने को काम चालू करने की मंजूरी दी गई है ।

कोरियाई युद्धबन्धी

*८७०. **श्री एस० एन० दास :**
डा० राम सुभग सिंह :
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :
चौ० रघुवीर सिंह :
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन ८८ कोरियाई युद्धबन्दियों के मामले निबटाये गये हैं जिन्हों ने तटस्थ देशों को जाने की इच्छा प्रकट की थी और जिन्हें भारत लाया गया था;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निश्चय क्या हुआ; और

(ग) वे इस समय कहां हैं और क्या कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). कोरिया के ८८ भूतपूर्व युद्धबन्दियों से ५३ ने मैक्सिको जाने की, १ ने दक्षिणी कोरिया, ३३ ने भारत तथा १ ने चीन जाने की इच्छा प्रकट की । इन में से अंतिम युद्धबन्दी को वापिस भेजा गया है । जिन बन्दियों ने मैक्सिको जाने की इच्छा प्रगट की है, उन के सम्बन्ध में संयुक्त-राष्ट्र संघ के महासचिव मैक्सिको की सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इन के प्रत्यावर्तित होने तक, इन में से ५२ भूतपूर्व बन्दियों को इस समय चक्राटा के एक शिविर में रखा गया है और १ को ओंध के अस्पताल में ठहराया गया है जहां उसे टी० बी० (राज-यक्ष्मा) का इलाज किया जा रहा है । दक्षिणी कोरिया जाना चाहने वाले युद्धबन्दी के सम्बन्ध में भी महासचिव के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है । इस समय उसे दिल्ली में ठहराया जा रहा है । भारत में रहने की इच्छा प्रकट करने वाले शेष ३३ युद्धबन्दियों को रक्षा तथा पुनर्वास मंत्रालयों के विविध प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है ।

भारतीय वैदेशिक सेवा

*८७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री के० सी० सोधिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय वैदेशिक सेवा पदाली (ख) की स्थापना से सम्बद्ध बातों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब यह पदाली बनाई जाएगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) आशा की जाती है कि वर्तमान योजनाओं के अनुसार इसी वर्ष के अन्त तक यह पदाली बनाई जाएगी

मास्को जाने वाला व्यापार शिष्टमंडल

***८७२. { श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री गणपति राम : श्री शिवनंजप्पा**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार एक व्यापार शिष्टमंडल मास्को भेजना चाहती है जो रूसी मूल मशीनी वस्तुओं को भारत में उपलब्ध करने के क्षेत्र, आदि का अध्ययन करे और यह भी देखे कि भारतीय सामान को रूस में निर्यात करने के नये रास्ते क्या हैं; और

(ख) क्या भारत से अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार के शिष्टमंडल भेजे जायेंगे ताकि भारत के साथ उन देशों के व्यापार-सम्बन्ध बढ़ सकें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) रूसी तथा पोलैण्ड की सरकार के निमंत्रण पर भारतीय कृषि-विशारदों और उद्योगपतियों के एक शिष्टमंडल को उन देशों की कृषि तथा उद्योग की प्रगति का अध्ययन करने के लिए वहां भेजा गया है ।

(ख) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ।

जहाज़ों के मूल्य

***८७३. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन समवायों को विशाखापटनम् नौप्रांगण में बनने वाले जहाज़ ब्रिटेन के मूल्यों के समान मूल्य पर दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय जहाज़ जापान और जर्मनी में बने जहाज़ों की बराबरी नहीं कर सकते; और

(ग) क्या सरकार इंगलैंड के मूल्यों के समान मूल्य निश्चित करने की नीति बदलने के विषय पर विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न का यह भाग अधिक स्पष्ट नहीं है । तथापि यह मान लिया गया है कि मांगी गई जानकारी का सम्बन्ध भारत में बने जहाज़ों की विक्रय मूल्य की तुलना में जर्मनी व जापान में बने जहाज़ जिस मूल्य पर उपलब्ध हो सकते हैं उस से है । भारतीय नौवहन समवाय भारत में बने जहाज़ों के मूल्य से कम मूल्य पर जर्मनी में जहाज़ बनाने के ठेके दे सके हैं । जापान के बारे में सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है । खैर, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि एक ही प्रकार के जहाज़ इंग्लैंड की अपेक्षा जापान और जर्मनी में सदा सस्ते बनते हैं । इंग्लैंड के जहाज़ों का मूल्य भारत में बने उसी प्रकार के जहाज़ों के मूल्य के समान होता है ।

किन्तु यदि प्रश्न का सम्बन्ध व[illegible] के जहाज़ों के संचालन व्यय से है "नहीं" है ।

(ग) जी नहीं ।

अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड

***८७४. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड ने हस्त-शिल्प के व्यापार की देख-रेख के लिये एक विशेषज्ञ संगठन की स्थापना के बारे में सरकार से सिपारिश की है;

(ख) यह सिपारिश कब की गई थी;

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह सच है कि हस्त-शिल्प की वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय निजी व्यापारियों के हाथ में होने के कारण इस की उत्तमता दिन प्रति दिन घटती जा रही है; और

(ङ) वर्ष १९५३-५४ में कुल कितने मूल्य की कुटीरोद्योग की वस्तुएं अन्य देशों, विशेषकर अमरीका को निर्यात की गईं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) बोर्ड के रांची सम्मेलन में अंतिम रूप से पुनरीक्षित योजना इस वर्ष जुलाई में प्राप्त हुई थी ।

(ग) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) कोई विशेष शिकायतें नहीं मिलीं ।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सत्याग्रही

*८७५. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गोआ की पुलिस ने कुछ सत्याग्रहियों को इतना पीटा कि वे मर गये;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सत्याग्रहियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). जी नहीं । सरकार को उपलब्ध जानकारी से ऐसी मृत्यूओं के आरोप की पुष्टि नहीं होती ।

औषधि उद्योग

४०४. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के औषधि उद्योग में उत्पादन करने वाले संगठित कारखाने कितने हैं ;

(ख) इन में कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) इस पूंजी में विदेशी पूंजी का कितना भाग है; और

(घ) वर्ष १९५३-५४ में तैयार की गई औषधियों का अनुमानित मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में औषधियों के संगठित निर्माता ६३ हैं ।

(ख) से (घ). ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

गैलेनिकल्स

४०५. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत में उद्योग के लिये गैलेनिकल्स की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) भारत में इस समय कितने कारखाने गैलेनिकल्स निर्माण कर रहे हैं, इन में से कितनों पर विदेशी नियन्त्रण है अथवा उनर में विदेशी पूंजी लगी हुई है;

(ग) गैलेनिकल्स के निर्माण के लिये अनुमानतः कितनी शोधित स्पिरिट की आवश्यकता होती है और इस में से कितनी स्पिरिट हमारे देश में बनती है और कितनी आयात की जाती है;

(घ) क्या सरकार ने भारत में बने गैलेनिकल्स के निर्यात के लिये बाजार बनाने की संभावना पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ७,००,००० गैलन ।

(ख) ५४ सार्थ गैलेनिकल्स का निर्माण कर रहे हैं । इन में से ६ पर विदेशी नियन्त्रण है ।

(ग) लगभग ५,००,००० गैलन—सारी स्थानीय उत्पादन से ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एकस्वकृत औषधियां

४०६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में भारत में अनुमानतः कितने मूल्य की एकस्वकृत औषधियों की खपत हुई;

(ख) इस खपत की कितने प्रतिशत मांग देशी उत्पादन से पूरी की गई; और

(ग) भारत में विदेशी पूंजी द्वारा नियंत्रित सार्थों द्वारा बनायी गई एकस्वकृत औषधियों का मल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) **तथा** (ख). ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

गोलियों का निर्माण

४०७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में गोलियां बनाने के लिये औषधि उद्योग की स्थापित क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्पादन के लिये इस क्षमता का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) इस चीज़ के सम्बन्ध में भारतीय उत्पादन बढ़ाने और स्थापित क्षमा का पूरी तरह से प्रयोग करने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रति वर्ष लगभग ४०,००० लाख गोलियां ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) इस का कोई विशेष कारण नहीं बतलाया जा सकता । साधारणतः उत्पादक इस आशा से कि कभी उन का व्यापार बढ़ जायेगा अपनी आवश्यकता से अधिक गोलियां बनाने की क्षमता रखने वाली मशीनें खरीदते हैं ।

(घ) गोलियां बनाने की सारी क्षमता प्रयोग में न लाने से राष्ट्रीय संपत्ति की जो हानि हो रही है वह नगन्य है और सरकार इस प्रकार की औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती ।

रबड़ के वृक्ष

४०८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रबड़ बोर्ड ने सरकार से सिपारिश की है कि कुछ क्षेत्रों में रबड़ के पुराने वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सिपारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या

कार्यवाही की है अथवा उस का करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने रबड़ विकास योजना को जिस में रबड़ के पुराने वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाने की व्यवस्था है, सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और रबड़ संशोधन विधेयक पारित होने की प्रतीक्षा की जा रही है जो कि इस समय सभा के समक्ष है, क्योंकि योजना को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक विधि विधेयक में प्रस्तावित उपकर बढ़ा कर ही प्राप्त हो सकती है ।

चम्बल योजना

४०९. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान की चम्बल बांध योजना पर कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो १९५४–५५ में इस परियोजना पर केन्द्रीय सरकार का कितना व्यय करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) चम्बल योजना में राजस्थान में इन इन का निर्माण करने का विचार किया गया है :

(१) राणाप्रताप सागर बांध नामक एक बांध; और

(२) कोटा बंध नामक एक बांध ।

राणाप्रताप सागर बांध पर अभी काम आरम्भ नहीं हुआ है, परन्तु कोटा बंध तैयार हो रहा है ।

(ख) परियोजना पर धन किस ढंग से लगाया जायेगा इस बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

आकाशवाणी का नागपुर केन्द्र

४१०. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से विशेषकर १९५३–५४ में ग्रामीणों के लिये कितने कार्यक्रम प्रसारित किये गये; और

(ख) ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये कितने ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी नागपुर से प्रति दिन १९-०० से १९-३० बजे तक हिन्दी में और १९-३० से २०-०० बजे तक मराठी में ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ।

(ख) आकाशवाणी ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये ग्रामीणों को प्रशिक्षित नहीं करता, परन्तु यथासम्भव ग्रामीण क्षेत्रों से कलाकार इस काम पर लगाये जाते हैं । १९५३–५४ में नागपुर से ग्रामीण कार्यक्रम के लिये १२८० कलाकारों की सेवायें प्राप्त की गईं । इन में से ७७० ग्रामीण थे ।

दिल्ली में हुई अखिल भारतीय प्रदर्शनी

४११. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय प्रदर्शनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन प्रदर्शनियों के लिए सरकार ने कुल कितनी वित्तीय सहायता दी;

(ग) उन पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) बेचे गये टिकटों से कितनी आय हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामोद्योग की वस्तुओं का क्रय

४१२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५३–५४ में खादी के अतिरिक्त कितने मूल्य की ग्रामोद्योग की वस्तुएं खरीदीं और इन में से कितनी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा अन्य विभागों ने खरीदीं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सब सरकारी विभागों के लिए संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशालय ने १३२·४५ लाख रुपये की ऐसी वस्तुएं खरीदीं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय अपनी शक्ति के अधीन जो वस्तुएं मंगवा सकते हैं उन के द्वारा खरीदी गई उन वस्तुओं का मूल्य इसमें सम्मिलित नहीं है वे एक बार २००० रुपये की वस्तुएं खरीद सकते हैं ।

राष्ट्रीय योजना ऋण

४१३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 'राष्ट्रीय योजना ऋण' को लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक किस प्रकार का प्रचार किया गया है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष प्रचार किया जा रहा है; और

(ग) इस के क्या परिणाम हुए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ऋण को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित साधनों से प्रचार किया गया है :

(१) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन दे कर ।

(२) बसों में और सिनेमा स्लाइडों में विज्ञापन दे कर ।

(३) समाचारपत्रों में समाचार भेज कर ।

(४) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में लेख तथा चित्र ।

(५) अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं में समाचार-चित्र और वृत्त चित्र ।

(६) विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में समाचार, वार्ता, चर्चा, बातचीत, गोष्ठियां, नाटक, रूपक, रेखा-चित्र इत्यादि का रेडियो द्वारा प्रसारण ।

(७) एकीकृत प्रचार कार्यक्रम संगठन की चलती-फिरती प्रचार की गाड़ियां और उन के बाहर काम करने वाले कर्मचारी जिन्होंने चल-चित्र दिखाये, सभायें कीं और गांवों तथा नगरों में प्रचार सामग्री वितरित की ।

(८) प्रमुख महाजन ।

(९) पोस्टरों तथा फोल्डरों द्वारा विज्ञापन दे कर। प्रचार सामग्री को यथासंभव अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में वितरित करने के लिये कार्यवाही की गई थी । राज्य सूचना निदेशालयों और प्रादेशिक बचत पदाधिकारियों के अतिरिक्त पोस्टरों और फोल्डरों की प्रतियां सब डाक-घरों, छोटे डाक-घरों, रक्षित बैंक की शाखाओं

और अन्य अनुसूचित तथा अनुसूचित बैंकों और कोषागारों तथा उप-कोषागारों को भी भेजी गई थीं। विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विज्ञापन पट्टों पर भी पोस्टर लगाये गये थे और राज्य सूचना विभागों की क्षेत्र प्रचार संगठनों से भी ऋण के बारे में विस्तृत प्रचार करने के लिये पूरा लाभ उठाया गया था।

ऋण के अन्तिम पखवाड़े में निम्न साधनों से विशेष प्रचार करने का प्रयत्न किया गया था :

(क) विशेष लेख देना।

(ख) स्मरण करवाने वाले विज्ञापन देना।

(ग) विशेष प्रसारण और समाचार प्रसारणों में भी स्मरण करवाने वाली सूचनाएं।

(घ) भारत के विज्ञापन दाताओं की संस्था और चल-चित्र उत्पादकों को भी इस कालावधि में राष्ट्रीय योजना ऋण के सम्बन्ध में एक नारा जोड़ देने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। चल-चित्र उत्पादकों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

(ङ) बहुत से समाचारपत्रों के सम्पादकों ने अपने पत्रों में डिब्बी बना कर एक नारा प्रकाशित करने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न साधनों से विशेष प्रचार किया गया है :

१. सब प्रादेशिक भाषाओं की विभिन्न चीज़ों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रेडियो प्रसारण।

२. एकीकृत प्रचार कार्यक्रम संगठन की प्रचार की चलती-फिरती गाड़ियों और बाहर काम करने वाले कर्मचारिवृन्द ने चल-चित्र दिखा कर, पोस्टर और फोल्डर वितरित कर के और ग्रामीण क्षेत्रों में सभायें कर के।

३. सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं में लगे हुए पदाधिकारियों और कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रचार समग्री का वितरण कर के।

४. वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्र-कर्मचारिवृन्द।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों ने काफी उत्साहजनक सहयोग दिया है।

सीने की मशीनें

४१४. **श्री अजित सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां १९५३ में भारत में बनी सीने की मशीनें निर्यात की गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सीने की मशीनों का निर्यात सीमा-शुल्क निर्यात व्यापार विवरणों में केवल अप्रैल, १९५३ से अलग अलग अभिलिखित किया जाता है। इसलिए पूर्व की कालावधि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन देशों के नाम जहां ये मशीनें अप्रैल, १९५३ के बाद निर्यात की गई थीं संलग्न विवरण में दिये हुए हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]**

साइकलों की किस्म के नियंत्रण की व्यवस्था

४१५. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
पंडित डी० एन० तिवारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उन विदेशों से जो भारतीय साइकिलों का आयात करते हैं

भारत म निर्मित साइकिलों की असंतोषजनक किस्म के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) क्या इस को ध्यान में रखते हुए सरकार का साइकलों की किस्म के नियंत्रण की व्यवस्था करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक आध शिकायतें मिली हैं ।

(ख) इस समय सरकार का कोई अनिवार्य किस्म नियंत्रण लागू करने का विचार नहीं है । निर्माणकर्ताओं का ध्यान शिकायत की ओर दिलाया गया था जो त्रुटियां दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । भारतीय मानक संस्था भी मानदण्ड निश्चित करने का कार्य कर रही है ।

रेफ्रिजिरेटर

४१६. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में रेफ्रिजिरेटरों के निर्माणकर्ताओं के नाम क्या हैं और वे कितने रेफ्रिजिरेटर निर्माण कर सकते हैं और १९५३–५४ में वस्तुत: कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) सरकार का देश में इन चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस समय देश में रेफ्रिजिरेटरों के क्रमश: निर्माण का कार्य दो सार्थ कर रहे हैं। वे मैसर्स सूर उद्योग लि०, कलकत्ता और मैसर्स कलिंग रेफ्रिजिरेटर्स निगम लि०, कटक हैं । उन दोनों की संयुक्त स्थापित क्षमता प्रति वर्ष ३,६०० रेफ्रिजिरेटर की है और १९५३-५४ में उन का उत्पादन लगभग १००० था ।

(ख) रेफ्रिजिरेटर उद्योग का विकास गैर-सरकारी क्षत्र के लिय छोड़ दिया गया है । देश में रेफ्रिजिरेटरों के उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापनाएं नहीं मिली हैं । ज्योंही ऐसी प्रस्थापनाएं प्राप्त होंगी उन के गुणावगुणों के आधार पर उन पर विचार किया जायेगा ।

मैंगनीज़ की कच्ची धातु (निर्यात का अभ्यंश)

४१७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४८ से अप्रैल १९५४ के अन्त तक (१) कलकत्ता, (२) मद्रास, और (३) बम्बई के पत्तनों के लिए मैंगनीज़ की कच्ची धातु के निर्यात का कितना अभ्यंश नियत किया गया था ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १६ अक्तूबर, १९५३ से पूर्व सभी पत्तनों से मैंगनीज़ की कच्ची धातु के निर्यात के नौवहन के लिये अनुज्ञप्ति खुले तौर पर दी जाती थी । अब भी बम्बई पत्तन से खुले तौर से अनुज्ञप्ति दी जाती है । किन्तु १६–१०–५३ से, धातु को पत्तनों पर ले जाने की रेलवे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता पत्तन से निर्यात को विनियमित किया जा रहा है । बड़ी लाइन के स्टेशनों पर लादे जाने वाले माल के निर्यात की अनुज्ञप्ति मद्रास से खुले तौर पर दी जाती है । इस वर्ष के आरम्भ से मीटर गेज विभागों से रेलों की क्षमता के अनुसार निर्यात विनियमित किया जा रहा है । अक्तूबर, १९५३ से मैंगनीज़ की कच्ची धातु के निर्यात के लिए किये गय आवंटनों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

लोहा

४१८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में रूपक (निकेल) द्वारा कठोर बनाया हुआ लोहा तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) यह किस काम आता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९४८ में १२९ टन और १९५३–५४ में ३८९ टन ।

(ग) सीमेंट, कोयला, कोक, खनन, मिट्टी काटना और रोगन उद्योग में काम आने वाले यंत्रों के कम घिसने वाले पुर्जे तैयार करने के लिये ।

लन्दन में भारतीय व्यापार आयुक्त का कार्यालय

४१९. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लन्दन स्थित भारतीय व्यापार आयुक्त के कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) उन्हें प्रतिवर्ष क्रमशः कितना वेतन और घर-भाड़े का भत्ता दिया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ब्रिटेन में लन्दन स्थित भारत के उच्च आयुक्त के वाणिज्य विभाग में कुल ६५ कर्मचारी हैं ।

(ख) १९५३–५४ में उन के वेतन और घर-भाड़े के भत्ते पर क्रमशः ६,३१,३०० रुपय और ३५,५०० रुपये व्यय हुए थे ।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारी कर्मचारिवृन्द

४२०. **डा० रामा राव** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९४६ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ नई दिल्ली की यह मांग स्वीकार कर ली थी कि इतने कार्य प्रभारी कर्मचारी स्थायी बना दिये जायें जितने कि स्थायी निर्माण कार्यों के कुशल संधारण के लिये अपेक्षित हों;

(ख) क्या स्थायी निर्माण कार्यों के कुशल संधारण के लिये अपेक्षित कर्मचारीवृन्द स्थायी बना दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थायी बनाये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह निश्चित हुआ था कि उतने कर्मचारी स्थायी कर दिये जायेंगे जितने कि सरकार स्थायी निर्माण कार्यों के कुशल संधारण के लिये आवश्यक समझेगी ।

(ख) तथा (ग). १९४७ में १,५२९ स्थायी पदों की मंजूरी दी गई थी परन्तु केवल १,२४९ व्यक्ति ही स्थायी किये जा सके क्योंकि शेष व्यक्ति सेवा के सत्यापन, डाक्टरी परीक्षा इत्यादि के पश्चात स्थायी बनाये जाने के पात्र नहीं समझे गये । १९५३ में १,००० स्थायी पदों की मंजूरी और दी गई थी । सभी वर्तमान कर्मचारियों की सेवा इत्यादि के सत्यापन होने ही शेष १,२८० पदों पर भी स्थायी नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

हवाई अड्डे

४२१. **डा० रामा राव** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा कितने हवाई अड्डों का संधारण किया जाता है;

(ख) उनमें से कितने हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां, संधारण के लिये अपेक्षित कार्य-प्रभारी कर्मचारिवृन्द के लिये आवास का प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) इन में से प्रत्येक हवाई अड्डे पर कुल कितने क्वार्टरों का प्रबन्ध किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ८४ ।

(ख) ३७ ।

(ग) लोकसभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**.

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के राजनैतिक पदाधिकारी

४२२. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **प्रधान मंत्री** १९ फ़रवरी १९५४ के तारांकित प्रश्न-संख्या १८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि उन पुराने राजनैतिक पदाधिकारियों तथा सहायक राजनैतिक पदाधिकारियों की संख्या कितनी है जो कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में ली गई पिछली मौखिक परीक्षा में नहीं चुने गये; और

(ख) वे किन विभागों में तथा पदों पर फिर से नियुक्त किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तीन ।

(ख) दो को तो आसाम सरकार के यहां अपने मौलिक पदों पर वापस भेज दिया गया तथा तीसरे की सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

चाय बोर्ड द्वारा दी गई अनुज्ञप्तियां

४२३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चाय बोर्ड ने अभी तक (१) चाय निर्माताओं, (२) दलालों तथा (३) रद्दी चाय के व्यापारियों को कुल कितनी अनुज्ञप्तियां दी हैं ; और

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन में अभी तक अपील किये जाने पर बोर्ड के आदेशों में रूपभेद किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैंगनीज़ अयस्क (निर्यात शुल्क का अन्त)

४२४. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैंगनीज़ अयस्क के निर्यातशुल्क की समाप्ति के कारण अनुमानत: राजस्व की कितनी हानि होगी; और

(ख) खनन की जाने वाली तथा निर्यात की जाने वाली मात्रा पर क्या कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) राजस्व की हानि का अनुमान लगाना असंभव है । आजकल जितनी मात्रा जहाज़ द्वारा भेजी जाती है वह पुराने संविदाओं के अनुसार होती है और १५ प्रतिशत मूल्यत: निर्यात शुल्क इतना है कि कोई नया सौदा होना संभव नहीं जान पड़ता है ।

(ख) खनन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उच्च स्तर के अयस्क (जिस में ४५ प्रतिशत मैंगनीज़ पाया जाये) का निर्यात १० लाख टन प्रति वर्ष तक किया जा सकता है जिस में १२,००० टन 'बैटरी ग्रेड' का अयस्क भी सम्मिलित होगा। निम्न स्तर वाले अयस्क का निर्यात अबाध है।

सिंगरेनी कोयला खानें

४२५. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १ जनवरी से १ अप्रैल १९५४ तक क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये सिंगरेनी कोयला खानों द्वारा लोहे तथा इस्पात की कुल कितनी मात्रा मंगाने के आदेश भेजे गये;

(ख) वस्तुतः नियत मात्रा कितनी है; और

(ग) इस बात पर ध्यान देते हुए कि १५ अगस्त १९५४ को एक नई खान खोली गई है, क्या सरकार का इस कोटे को बढ़ाने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). १९५४ की पहली दो तिमाहियों में क्वार्टरों के निर्माण के लिये सिंगरेनी कोयला खानों द्वारा मंगाये गये लोहे तथा इस्पात की मात्राओं के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तत्सम्बन्धी दोनों कालों में कोठागुडियम कोयला खान (सिंगरेनी वर्ग की एक कोयला खान) में मज़दूरों के क्वार्टर बनाने के लिये मंगाई गई मात्रायें तथा वस्तुतः नियत मात्रायें निम्न लिखित हैं :

	मंगाई गई मात्रा	नियत मात्रा
प्रथम काल—जनवरी से मार्च १९५४ तक	११ टन	७ टन
द्वितीय काल—अप्रैल से जून, १९५४ तक	११ टन	११ टन

अन्य प्रकार के क्वार्टरों, अथवा सिंगरेनी समूह की अन्य खानों के मज़दूरों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये मंगाई गई मात्राओं की जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय लोक सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ग) कोयला खानों से माल मंगाने के आदेश प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

वस्त्र स्वावलम्बन

४२६. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि अब तक कितने खादी कार्य-कर्ताओं को वस्त्र स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) उन की सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वस्त्र स्वावलम्बन योजना में किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी चलचित्र निर्माता

४२७. श्री एस० एन० दास : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी चलचित्र निर्माताओं ने, स्वतंत्र रूप से अथवा भारतीय चलचित्र

निर्माताओं के सहयोग से, इस देश में चलचित्र निर्माण करने वाले संस्थापन आरम्भ करने के सम्बन्ध में, सरकार की आज्ञा मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करने का अवसर नहीं उत्पन्न हुआ ।

खादी

४२८. **श्री रामदास** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में सरकारी विभागों में खादी की खपत की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में सरकारी विभागों में खादी की खपत निम्नलिखित मात्राओं में हुई :—

१९५१–५२	३९,३२० गज़
१९५२–५३	७,७३० गज़

कारवाड़ के मछुए

४२९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शनिवार, २१ अगस्त १९५४ को संजदीव द्वीप में तनात पुर्तगाली सेना द्वारा कारवाड़ के छै मछुए गिरफ्तार कर लिये गये;

(ख) वे कितने दिनों तक निरुद्ध रखे गये; और

(ग) क्या यह सच है कि वे अलग अलग कोठरियों में बन्द किये गये तथा उनको यातनायें पहुंचाई गईं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). बिनेज द्वीप से कुछ दूरी पर मछली पकड़ने वाले छै मछुए २० अगस्त को निरुद्ध किये गये तथा २५ अगस्त १९५४ को मुक्त कर दिये गये ।

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

सोमवार,
१३ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा

वाद विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 1-6-93
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज	१९५५–१९५७
पटल पर रखे गये पत्र—	
सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश	१९५७
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण	१९५७–१९५८
भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन .	१९५८
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	१९५८–१९७६
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त	१९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . .	२०५९
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित .	२०५९–२१२४
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त)	२१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—	
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य	२१६७
राज्य-सभा से सन्देश	२१६७–२१६८
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . .	२१६८–२१६९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . .	२१६९–२२३१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . .	२२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन	२२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

सभा का कार्य

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): हमें जो कार्य-सूची दी गई है क्या मैं उसके सम्बन्ध में एक औचित्य प्रश्न पूछ सकता हूं? सचिव ने सम्भवतः आपके अनुदेश से १३ सितंबर की एक अनुपूरक कार्य-सूची दी है जिसमें ये दो विषय हैं: (१) श्री नन्दा द्वारा शनिवार को बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव पर अर्द्धतर चर्चा और (२) संविधान के तृतीय संशोधन के सम्बन्ध में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाना।

लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम ३८ और ३९ के अधीन शेष विषयों को निबटाने के लिए कुछ विधि दी हुई है, मुझे भय है कि इसे सभा की स्वीकृति और इसके ज्ञान के बिना ही बदल दिया गया है।

नियम ३८ में लिखा है कि अध्यक्ष किसी विधेयक के लिए नियत समय में उसके सम्बन्ध में सब कुछ निबटा देंगा। नियम ३९ में लिखा है कि सभा के नेता की प्रार्थना के बिना, जो सभा को मौखिक रूप से यह सूचित कर देंगा कि इस परिवर्तन के लिए सामान्यतया सब सहमत हैं क्रम पत्र में नियत समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वह परिवर्तन अध्यक्ष द्वारा सभा का भाव जानकर किया जाएगा।

१० सितम्बर के संसदीय समाचार में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वाद-विवाद के लिए चार घंटे नियत किए गए थे। बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद २ बजे आरम्भ होकर ६ बजे समाप्त हो गया था। यदि यह समाप्त नहीं हुआ था, तो सभा के नेता को नियम ३९ के अनुसार इस पर कार्यवाही करनी चाहिए थी और सभा को इस परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए थी, किन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया।

उदाहरण के लिए, दूसरे विषय अर्थात् संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक के संबन्ध में आपने ११ सितम्बर को यह कहा था कि "जैसा कि कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने तय किया है इस पर १.५५ म० प० तक चर्चा होगी, किन्तु उस समय मध्यह्न अवकाश होने के कारण मतदान बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद के बाद होगा।"

कुछ समय पश्चात सभापति श्री पाटस्कर महोदय ने भी यह बात दुहराई थी। किन्तु ६ बजे म० प० सिंचाई तथा विद्युत मंत्री अपना उत्तर पूरा नहीं कर सके और बाढ़ सम्बन्धी वाद-

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

विवाद बिना सभा की राय लिए अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। क्योंकि बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद का समय बढ़ाने के लिए सभा की राय नहीं ली गई अतः मैं यह समझता हूं कि बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी चर्चा बातों ही बातों में समाप्त हो गई। मैं यह भी समझता हूं कि संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक सम्बन्धी चर्चा भी बातों ही बातों में समाप्त हो गई। मेरा यह निवेदन है कि विधि, तर्क तथा सामान्य ज्ञान के अनुसार वाद-विवाद समाप्त होते ही मतदान हो जाना चाहिये ताकि वे युक्तियां माननीय सदस्यों के मन में ताजी रहें। अतः मेरा निवेदन है कि इन दोनों विषयों को कार्य-सूची में सम्मिलित करना सर्वथा नियम विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य की बातें सुन ली हैं और मैं इनका उत्तर उस समय दूंगा जब यह कार्यक्रम लिया जाएगा। उसके पहले मैं कुछ और कार्य निबटा देना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज व अश्रु-गैस का प्रयोग

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री नन्द लाल शर्मा और श्री एन० सी० चटर्जी के "१० सितम्बर, १९५४ को कलकत्ते में पुलिस द्वारा अहिंसात्मक गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर अन्धाधुंध लाठीचार्ज तथा अश्रु-गैस के गोले छोड़े जाने के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कई व्यक्तियों के घायल होने और भारत के बहुत से प्रमुख नागरिकों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना मिली है। मैं सभा को कई बार बता चुका हूं कि ऐसे विषय जो पूर्णतया राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं यहां स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकते। पश्चिमी बंगाल की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति इस सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता।

पटल पर रखे गये पत्र

कतिपय उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन इन इन पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं, अर्थात:

(१) बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४; **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिए संख्या एस० ३१७/५४]**

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ४८(१)---टी० बी०/५४ दिनांक ३ सितम्बर, १९५४; **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस----३१७/५४]**

(३) परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १९५४; **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिए एस----३१८/५४]**

(४) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १३(३)---टी० बी०/५३, दिनांक ३१ अगस्त, १९५४; **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिए संख्या एस----३१८/५४]**

(५) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १३(३)---टी० बी/५३, दिनांक ३१ अगस्त, १९५४;

[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिए संख्या एस----३१८/५४]

(६) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन विवरण जिसमें बताया गया है कि उपरोक्त (३) से (५) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति नियत समय के अन्दर पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिए संख्या एस----३१८/५४]

(७) शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये एस----३१९/५४]

(८) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १४(१) टी बी/५४, दिनांक ४ सितम्बर, १९५४; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३१९/५४]

(९) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १४(१) टी बी/५४, दिनांक ४ सितम्बर, १९५४; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस . . . ३१९/५४)

(१०) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के आधीन विवरण, जिस में बताया गया है कि उपरोक्त (७) से (९) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक प्रति नियत समय के अन्दर पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३१९/५४]

(११) साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२०/५४]

(१२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ७(१) टी बी/५४ दिनांक ६ सितम्बर, १९५४ ; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२०/५४]

(१३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ७(१) टी बी/५४, दिनांक ६ सितम्बर, १९५४ ; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२०/५४]

(१४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन विवरण, जिस में बताया गया है कि उपरोक्त (११) से (१३) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति नियत समय के अन्दर पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२०/५४]

(१५) सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ; १९५४ ; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२१/५४]

(१६) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ४(१) टी बी/५४, दिनांक ४ सितम्बर १९५४ ; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२१/५४]

(१७) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ४(१) टी बी/५४, दिनांक ४ सितम्बर १९५४ ; [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२१/५४]

(१८) रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४;

[श्री टी० टी कृष्णमाचारी]

[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२२/५४]

(१६) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ६(१) टी बी/५४, दिनांक ७ सितम्बर, १९५४ ; **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२२/५४]**

(२०) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की आधिसूचना संख्या ६(१) टी बी/५४, दिनांक ७ सितम्बर, १९५४ ; **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२२/५४]**

(२१) कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४; **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२३/५४]**

(२२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १२(३) टी बी/५४, दिनांक ७ सितम्बर १९५४ ; **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२३/५४]**

(२३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १२(३) टी बी/५४, दिनांक ७ सितम्बर, १९५४ ; **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस----३२३/५४]**

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण ।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी ये विवरण पटल पर रखता हूं :---

(१)	अनुपूरक विवरण सं० ४	लोक सभा का छठा सत्र, १९५४ **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सं० ८]**
(२)	अनुपूरक विवरण सं० ९	लोक सभा का पांचवां सत्र, १९५३ **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सं० ९]**
(३)	अनुपूरक विवरण सं० १४	लोक सभा का चौथा सत्र, १९५३ **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सं० १०]**
(४)	अनुपूरक विवरण सं० १९	लोक सभा का तीसरा सत्र, १९५३ **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सं० ११]**
(५)	अनुपूरक विवरण सं० १९	लोक सभा का दूसरा सत्र, १९५२ **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सं० १२]**
(६)	अनुपूरक विवरण सं० २०	लोक सभा का, पहला सत्र, १९५२ **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सं० १३]**

अनुदानों की अनुपूरक मांगें--१९५४-५५

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं १९५४-५५ के लिये केन्द्रीय सरकार के खर्च (रेलवे को छोड़ कर) के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थित करता हूं ।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ पर वाद-विवाद के समाप्त होने पर संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान होना था । साधारणतः सभा ५ म० प० तक बैठती है । समय की बचत के लिये यदि सभा देर तक बैठने का निश्चय करे तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे वाद-विवाद को समाप्त समझा जाये । मैं मानता हूं कि कुछ

हद तक यह क्रम-पत्र का उल्लंघन हैं, परन्तु सभा ने इस पर सहमति दे दी थी। सभा के बैठे रहने से मैं यही परिणाम निकाल सकता था कि सभा ने सहमति दे दी हैं। और जब सभा ने वाद-विवाद जारी रखने की सम्मति दे दी तो फिर श्री मुकर्जी का औचित्य प्रश्न कैसे उत्पन्न होता हैं।

असल विषय तो संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान का हैं जो कल छः बजे उठाया गया था। यह बात तो उसी की पुष्टि के लिये हैं। यदि समय समाप्त हो जाय तो क्या यह आशा की जाती हैं कि मतदान के लिये देर तक बैठा जाय ? अतः मतदान स्थगित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती।

और फिर बाढ़ सम्बन्धी प्रस्ताव और विधेयक सम्बन्धी प्रस्तावों में अन्तर होता हैं। विधेयक के प्रस्ताव पर मतदान आवश्यक हैं। बाढ़ जैसे विषयों पर सामान्यतः हम मतदान नहीं करते। अब सभा को इस बात का निर्णय करना हैं कि क्या वह चाहती हैं कि माननीय मन्त्री अपना भाषण जारी रखें।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : इस में उनकी अब रुचि नहीं रही।

अध्यक्ष महोदय: यह बात मैं सभा के निर्णय पर ही छोड़ता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं सभा का अधिक समय तक बैठना और किसी विशेष विधेयक पर मतदान स्थगित करना किसी प्रकार भी अनियमित नहीं समझता। मैंने यह नहीं कहा था कि मतदान छः बजे होगा। उस हालत में वाद-विवाद स्थगित करके अवश्य मतदान किया जाता। मैंने यह कहा था कि बाढ़ स्थिति पर वाद-विवाद समाप्त होने पर मतदान होगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती (बसिरहाट) : श्रीमान्, आप ने कहा था कि बाढ़ स्थिति पर वाद-विवाद समाप्त होने पर मतदान होगा, परन्तु सभापति महोदय सहित सब सदस्यों की यही धारणा थी कि सायंकाल को मतदान होगा और सभापति महोदय ने ऐसा कहा भी था।

दूसरी बात आपने यह कही थी कि क्योंकि हमने कोई आपत्ति नहीं की इस लिये यह समझा गया कि समय बढ़ाने की सभा ने सम्मति दे दी हैं, मैं यह कहना चाहती हूं कि समय का बटवारा मत ले कर किया गया था अतः किसी प्रस्ताव के बिना इसे नहीं बढ़ाया जा सकता।

हम इस वाद-विवाद का समय बढ़ा कर श्री नन्दा के भाषण इत्यादि को समाप्त करना चाहते थे। परन्तु सभापति ने बिना सभा का मत लिये अपना निर्णय दे दिया। इस प्रकार प्रक्रिया में कुछ अनियमितता हुई हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : नियम ३८ के अधीन कार्यक्रम मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन एक प्रस्ताव द्वारा सभा के सामने रखा गया था और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, नियम ३९ के अधीन यदि उस में कोई परिवर्तन करना हो तो एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये। इन परिवर्तनों का इतना महत्व होता हैं कि उसे सभा के नेता के अतिरिक्त और कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता! ऐसे कई अवसर आते रहेंगे। हमें क्रम-पत्र का अनुसरण करना हैं या कि बहुमत से किये गये सभा के निर्णय का। और यदि बहुमत के निर्णय को बदलना हो तो वह नियम ३९ के अधीन एक प्रस्ताव के द्वारा ही किया जा सकता हैं।

संविधान संशोधक विधेयक पर वाद-विवाद १.५५ पर समाप्त हो गया था। बाढ़ स्थिति पर वाद-विवाद के लिये चार घंटे का समय दिया गया था। वह ५.५५ पर समाप्त हो गया। छः बजे से पूर्व हमने यह प्रश्न उठाया था। परन्तु उस समय सभापति महोदय के लिये नियम ३८ और ३९ लागू करने के सिवाय और कोई चारा न था। सभा का नेता अपने बहुमत के आधार पर क्रम-पत्र बदलने का प्रस्ताव कर सकता था, परन्तु नियमों तथा उनकी प्रयुक्ति

[श्री एस० एस० मोरे]

ईमानदारी से परिवर्तन करने चाहियें न्यथा बहुमत से प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों को ानि पहुंचने की बड़ी सम्भावना हैं ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : ६ प० म० का ें कोई प्रश्न नहीं यदि सदस्यगण बाढ़ स्थिति र वाद-विवाद के लिये और समय चाहते तो ार्यवाही ७ प० म० तक भी जारी रह सकती ी ।

प्रश्न तो यह हैं कि क्या बाढ़ स्थिति पर वाद-वेवाद के लिये आवंटित ४ घंटे के समय को ढ़ाया जा सकता था । माननीय सदस्यों का वेरोध ठीक हैं कि इसके लिये नियमित रूप े प्रार्थना करनी चाहिये थी जिसे सभा स्वीकार करती ।

इस बात को संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान से नहीं मिलाना चाहिये । सभा को अब इस बात का निश्चय करना हैं कि बाढ़ स्थिति पर वाद-विवाद का समय बढ़ाया जाये या नहीं । आपके निर्णय को दृष्टि में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि शनिवार को मतदान हो जाना चाहिये था ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): यह बड़े महत्व का विषय हैं और इस बारे में जो निर्णय आप देंगे उसका हमारे देश के संसदीय लोक-तन्त्र के विकास पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा । आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि कार्यक्रम मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा १.५५ पर समाप्त हो जायेगी और क्योंकि हम एक अभि-समय स्थापित करना चाहते हैं इस लिये मतदान उसी समय न करते हुए बाढ़ स्थिति पर वाद-विवाद समाप्त होने पर किया जायेगा । यदि ऐसा था तो सभा ५ बजे तक ही बैठ सकती थी और उस दिन इस अभिसमय का आश्रय लेने की आवश्यकता न पड़ती कि १ और २-३० के बीच या १-३० और ३ बजे के बीच मतदान नहीं होगा । इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप याद करें कि आप का क्या इरादा था ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): श्रीमान् जी, यह कहने के लिये मैं क्षमा चाहता हूं कि यह देखना अध्यक्ष अथवा सभापति महोदय का भी कर्तव्य था कि वाद-विवाद समाप्त करने और दूसरे विषय पर मतदान के सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं । वास्तव में आप अब यह अर्थ निकाल रहे हैं कि "क्योंकि आप बैठ गये इस लिये यह समझा गया कि आप समय बढ़ाना चाहते हैं और क्योंकि आपने आपत्ति नहीं की इस लिये इसे आपकी सहमति समझा गया ।" वास्तविकता को सब जानते हैं कि उस समय सरकार बहुमत नहीं प्राप्त कर सकती थी । अब इस मामले ने ऐसा रूप धारण कर लिया हैं जिस से सारे संसार के लोगों की यह धारणा बन गई हैं कि हमारे निर्णय का उल्लंघन किया गया हैं और इस सभा के निर्णयों को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जायेगा ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं समझता हूं कि इस में कोई गड़बड़ नहीं हैं, बल्कि यह षड्यन्त्र रचा गया था ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : संविधान संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद समाप्त होने पर अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य था कि उस पर मत लेता और सदस्यों का अधिकार था कि वे इसके लिये आग्रह करते । परन्तु हमने मतदान बाढ़ स्थिति पर वाद-विवाद की समाप्ति पर करना स्वीकार कर लिया ।

सभा ने एक भाग द्वारा इसके प्रतिकूल इच्छा प्रकट करने पर भी सभा बिना नियम ३८ में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये एकाएक स्थगित कर दी गई ।

इस प्रकार की अवैध बातें होने पर अभिसमय के अनुसार चलना बहुत कठिन होगा। क्योंकि इससे सदस्य उपयुक्त समय पर प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे और वह भी एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो नियमों के प्रतिकूल हैं। इससे सभा का अपमान होता हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पर अच्छी प्रकार सोच-विचार कर अपना निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय: मेरे लिए विभिन्न वक्ताओं द्वारा उठाई गई प्रत्येक बात का उत्तर देना कठिन होगा।

जो तर्क दिए गए हैं उन सबका आधार इस धारणा पर हैं कि सभा में बहुमत के दल के सदस्य आवश्यक संख्या में उपस्थित नहीं थे। कम से कम मेरे पास इस विशेष तथ्य का कोई प्रमाण नहीं हैं। मैंने तो यह घोषणा कर दी थी कि बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद समाप्त होने पर इस पर मत लिया जाएगा, बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद आज के लिए स्थगित हो जाना था। अतः तत्पश्चात मत लिया जाता। यदि ऐसा होता तो विरोधी पक्ष ऐसी बातों को न उठा सकता। परन्तु श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती या विपक्षी दल के किसी और सदस्य ने कहा था कि हम बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद समाप्त करना चाहते हैं अतः सभा का नित्य प्रति का समय बढ़ा दिया गया था। उस समय कोई भी सदस्य उठ कर कह सकता था कि मैं अधिक देर बैठने के लिए तैयार नहीं हूं।

अब स्थिति ऐसी हैं कि चाहे कुछ भी तर्क रखे जाएं हम कैसे उस शनिवार को समवेत हो सकते हैं जो बीत चुका हैं। अतः उस बात पर तो वाद-विवाद करने का कोई लाभ नहीं।

एक सदस्य ने तो अपने औचित्य प्रश्न में मेरे मन का भाव बताते हुए कहा कि जब मैं ने यह कहा था कि बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद के पश्चात मत लिया जाएगा तो मेरा यह अभिप्राय था कि इस वाद-विवाद का समय बढ़ा दिया जाएगा और मतदान ६ बजे होगा। ऐसी धारणाएं बना लेना ठीक नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कि सभा अधिक देर के लिए बैठे और आज वाद-विवाद जारी रहे, यह सब सर्वथा सभा के हाथ में हैं। यदि सभा चाहे तो माननीय मंत्री वाद-विवाद बन्द कर दें।

श्री एस० एस० मोरे ने नियमों के सम्बन्ध में एक औचित्य प्रश्न रखा था। मैं इस समय नियमों की व्याख्या नहीं करना चाहता। उस कार्य में सभा का भाव अन्तर्हित था। आखिर सभा का भाव समझने के लिए और क्या करना चाहिए। उस पर मत लेना तो निरर्थक हैं। सभा की कृति में ही उसका भाव निहित हैं और माननीय सदस्य यह भूल गए कि सभा को किसी भी नियम को निलम्बित करने का अधिकार हैं। यदि कोई मंत्री या सदस्य यह कहे कि मैं पांच मिनट में भाषण समाप्त कर रहा हूं, तो उस समय तुरन्त यह नहीं कहा जाता कि इससे क्रम-पत्र में परिवर्तन होगा अतएव अनुमति नहीं दी जा सकती।

सभी नियमों का अभिप्राय तो उचित वाद-विवाद की सहायता करना होता हैं न कि उसमें बाधा पहुंचाना।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इससे पूर्व कि आप निर्णय दें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने जिस बात पर जोर दिया हैं वह यह हैं कि यदि विधेयक पर मत न लिया जाए तो उसका क्या बनेगा। किसी विधेयक को बातों ही बातों में समाप्त करने के लिए नियमों का उपबन्ध नहीं हैं। जिन नियमों १४५ से १४६ में विधेयकों को वापस लेने का उपबन्ध हैं उनमें विधेयकों के व्यपगत होने के सम्बन्ध में उपबन्ध नहीं हैं।

मान लीजिए कि नियम ३६ लागू होता हैं, तो उसमें यह नहीं बताया गया कि यदि एक बार उसके उपबन्ध को लागू न किया गया तो निलम्बित विधेयक का क्या होगा। अतएव यह नियम ३६६ के अधीन विहित अधिकारों

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अर्थात अवशिष्ट अधिकारों के अधीन अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करता है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न के लिए कोई उपबन्ध नहीं और क्योंकि कोई विधेयक व्यपगत नहीं हो सकता या बातों ही बातों में समाप्त नहीं हो सकता और क्योंकि उस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करना होता है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका वह निर्णय नियम ३९८ के अधीन दिया जा सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: मैं यह बताना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि कांग्रेस दल ने सब सदस्यों को अत्यन्त आवश्यक तार भेजा है कि वे आकर मत दें और यह अवसर जबरदस्ती वाद-विवाद को लम्बा करके दिया गया है।

मैं इसे विशेषाधिकार पर प्रहार समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभा के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि तार दिए गए हैं। हमें किसी प्रकार से अर्थ का अनर्थ करके ऐसी धारणा बना कर नहीं चलना चाहिए।

नियम ३९ में यह उपबन्ध है कि सभा के नेता सभा को मौखिक सूचना दें दें कि क्रम-पत्र में परिवर्तन के लिए सामान्य सहमति है और फिर उसे अध्यक्ष सभा का भाव समझ कर लागू करेगा। यह सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना सर्वथा निरर्थक है।

शनिवार को नियम ३८ और ३९ की व्याख्या के सम्बन्ध में एक और औचित्य प्रश्न था। सभापति ने अपने निर्णय द्वारा इस विषय को समाप्त कर दिया था। उस विषय को अब पुनः नहीं चलाया जा सकता। सभापति के निर्णय का संशोधन करने की प्रथा कदापि वांछनीय नहीं है। यदि निर्णय गलत हो तो सभा के पास और उपचार हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार इस विषय का निर्णय हो गया है।

भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—समाप्त

अध्यक्ष महोदय: अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा यह चाहती है कि माननीय मंत्री देश में बाढ़ों की स्थिति के सम्बन्ध में अपने भाषण को पूरा कर लें। उससे क्रम-पत्र में संशोधन करना होगा। अतएव मैं पहले सभा का भाव जान लेना चाहता हूं और फिर सभा के नेता से प्रार्थना करूंगा।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है स्वभावतः मैंने उसे सुरुचिपूर्वक सुना है। मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं था, यद्यपि मैं दूर नहीं गया था और मुझे बुलाया जा सकता था। मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्ञात नहीं कि उस समय क्या हुआ था। परन्तु फिर भी गत पौन घंटे का वाद-विवाद सुन कर मैं समझता हूं कि वाद-विवाद के लिए और समय बढ़ाने की प्रार्थना करना मेरे लिए उचित नहीं है। हमने इस पर काफी समय व्यतीत कर दिया है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाद-विवाद समाप्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संशोधनों पर मत लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: क्या श्री ए० पी० सिन्हा अपने संशोधन के लिए आग्रह करते हैं।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुजफ्फरपुर पूर्व): जी हां।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए:

"This House having considered the flood situation in the country, approves of

the programme and the steps taken by the Central Government regarding flood control measures and financial and other aids assured to the State Governments for relief to the victims of unprecedented floods."

("देश में बाढ़ की स्थिति पर विचार करके यह सभा अभूतपूर्व बाढ़ों के पीड़ितों को सहायता देने के लिए बाढ़ नियंत्रण के उपायों और वित्तीय तथा अन्य सहायताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को जो आश्वासन दिए गए हैं, उनका और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रम और की गई कार्यवाही का अनुमोदन करती है।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि मुख्य प्रस्ताव के स्थान पर अन्य प्रस्ताव रख दिया गया है अतएव अन्य संशोधन निष्फल हो जाते हैं।

तत्पश्चात श्री एच० एन० मुकर्जी के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उनका संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—समाप्त

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा १० सितम्बर १९५४ को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं, जो भारत के संविधान का अगूंतर संशोधन करने वाले विधेयक पर है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मेरा एक निवेदन है। जो मूल प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि १७ सितम्बर है। सभा यह अनुभव करती है कि आज १३ तिथि हो गई है। यह प्रस्ताव राज्य-सभा के पास भी जाना है और उसके लिए निश्चित तिथि १४ है। अतएव मेरा निवेदन है कि यदि सभा की अनुमति हो तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि बदल कर २० सितम्बर कर दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह एक औपचारिक संशोधन है। मैं इसे संशोधन के रूप में प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री वल्लाथरास का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री बोगावत का संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मेरा यह निवेदन है कि प्रस्ताव में मेरा नाम प्रवर समिति के सदस्यों में दिया गया है। परन्तु मुझे खेद है कि कुछ कारणों से मैं प्रवर समिति में काम नहीं कर सकता इसलिए मेरे नाम के स्थान पर कोई और नाम रख दिया जाए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस समय हम इस नाम को हटाना स्वीकार कर लें और २३ सदस्यों के आधार पर प्रस्ताव को लें।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में अगूंतर संशोधन करने वाले विधेयक को ३५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें निम्नलिखित २३ सदस्य इस सभा के:

१. श्री जवाहरलाल नेहरू, २. श्री रफी अहमद किदवई, ३. श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, ४. श्री वी० बी० गांधी, ५. श्री कोत्ता रघुरामैया, ६. श्री एन० वी० गाडगिल, ७. श्री टंक चन्द, ८. श्री ए० एम० थामस, ९. श्री एस० सिन्हा, १०. श्री सी० डी० पांडे, ११. श्री रघुबीर सहाय, १२. श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, १३. श्री आर० वेंकटरामन, १४. श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, १५. श्री राघवेन्द्र राव

[अध्यक्ष महोदय]

श्रीनिवास राव दीवान, १६. श्री लीलाधर जोशी, १७. श्री रणवीर सिंह चौधरी, १८. श्री के० एस० चौधरी, १९. श्री भवानी सिंह, २०, श्री एन० सी० चटर्जी, २१. डा० डी० रामचन्द्र, २२. डा० ए० कृष्णस्वामी, और २३. श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, और १२ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की समस्त सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को २० सितम्बर १९५४ को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो कि अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम लोकसभा को संसूचित करे।"

मत विभाजन संख्या २.

१२-५० म० प०

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में २९४; विपक्ष में ४३।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव सभा के सारे सदस्यों में से बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): श्रीमान, मुझे पता लगा है कि विभाजन की सूचना देने वाली घंटी आज बिल्कुल नहीं बजी। क्या इससे कोई अंतर पड़ता है?

अध्यक्ष महोदय: इस मामले में नियम ३७६ बिल्कुल स्पष्ट है। घंटी सदस्यों की सुविधा के लिए बजाई जाती है, किन्तु उनका कर्तव्य यह है कि वे सारे समय सभा में उपस्थित रहें।

विशेष विवाह विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विशेष विवाह विधेयक पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेगा। खण्ड ८ से १४ तक विचाराधीन हैं। माननीय सदस्य अपने संशोधनों की संख्या सचिव को दे दें। इन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जाएगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

सभापति महोदय: अब श्री टंकचन्द अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

खण्ड ८----(आपत्ति की प्राप्ति के बाद प्रक्रिया)

श्री टंकचन्द (अम्बाला-शिमला): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ ४ पर, पंक्ति ६ से ८ में से

"but the marriage officer shall not take more than thirty days from the date of the objection for the purpose of inquiring into the matter of the objection and arriving at a decision."

("किन्तु आपत्ति के मामले की जांच के लिए और निर्णय करने के लिए विवाह पदाधिकारी आपत्ति की तिथि से ३० दिन से अधिक नहीं लगाएगा।")

ये शब्द निकाल दिए जाएं।

खण्ड ८ के अन्तर्गत, चाहे आपत्तियों के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध हो, विवाह पदाधिकारी के लिए ३० दिन के अन्दर अन्दर आपत्तियों को निपटा देना अनिवार्य है। किन्तु विवाह पदाधिकारी कह सकता है कि उसके पास काम अधिक है और समय बहुत कम है इस लिए आपत्तिकर्ता अपनी आपत्तियों को प्रमाणित नहीं कर सकेगा। वे आपत्तियां बिना निपटाए ही रह जाएंगी, क्योंकि विवाह पदाधिकारी कहेगा कि ३० दिन गुजर चुके हैं। यह भी हो सकता है कि साक्षी न आएं या निश्चित तिथि को

उपस्थित न हो। यह भी हो सकता है कि सबूत के दस्तावेज तो उपलब्ध हैं किन्तु ये तीसवें दिन तक प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। ऐसी अवस्था में, आपत्तियां, चाहे वे कितनी सच्ची और वैध क्यों न हों, समय की अवधि के कारण बेकार हो जाती हैं। चालाक पक्ष साक्षियों पर दबाव डाल सकते हैं, विलम्बकारी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं और बाधाएं डाल सकते हैं। यदि आपत्तियां ३० दिन के अन्दर अन्दर न निपटाई जा सकीं, तो उन्हें रद्द समझा जाएगा। यह विधान में एक नई बात है। इससे विधि का उल्लंघन करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है; यदि ये आपत्तिजनक शब्द न निकाले गए, तो विधि का उल्लंघन करने वालों को विधि का ही संरक्षण प्राप्त होता रहेगा।

मैं यह चाहता हूं कि आपत्तियों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाए, और साक्षियों और दस्तावेज़ों के परीक्षण के लिए उचित समय और अवसर दिया जाए।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ। मुझे खण्ड ८ के सम्बन्ध में ये संशोधन प्राप्त हुए हैं और इन्हें प्रस्तावित समझा जाएगा:----

२४६, २०७, ३०८, ३५९, ३६०, ३६१ और ३६२।

श्री आर० डी० मिश्र, श्री कृष्णचन्द्र और श्री एच० जी० वैष्णव ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किए, जो सभापति महोदय द्वारा प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय: अब खण्ड ८ से १४ तक के सम्बन्ध में चर्चा होगी। इनके सम्बन्ध में संशोधन शीघ्रातिशीघ्र दे दिए जाएं।

श्री एम० एल० अग्रवाल ने अपना संशोधन संख्या २४७ प्रस्तुत किया जो सभापति महोदय द्वारा प्रस्तुत हुआ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): मेरे माननीय मित्र श्री टेकचन्द ने जो शंकाएं प्रकट की हैं, वे सब कल्पनात्मक हैं। मेरे विचार में ३० दिन की कालावधि युक्तियुक्त कालावधि है। बुद्धि के और वैधानिक दृष्टिकोण से भी, यह उचित है। यदि आपत्तिकर्ताओं के लिए कोई अवधि न रखी जाए, तो इस विधेयक का जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा वह जाता रहेगा और इसका परिणाम यह होगा कि इस बहाने से कि अमुक साक्ष्य या अमुक चीज उपलब्ध नहीं है, विवाद रुका रहेगा। अतः कालावधि के द्वारा उन लोगों को जो विवाह सम्बन्धी विधेयक में बाधा डालना चाहते हैं, अच्छी तरह रोका जा सकेगा। इस विधेयक के अन्तर्गत विवाह करने वालों की समाज में आलोचना तो अवश्य होगी क्योंकि यह एक असाधारण तरीका है, ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए भी यह कालावधि आवश्यक है।

श्री एच जी० वैष्णव (अम्बड़): खण्ड ८ का असंतोषजनक पहलू यह है कि इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि यदि ३० दिन के अन्दर अन्दर निर्णय न दिया जा सका तो कार्यवाही का क्या होगा? क्या यह समाप्त कर दी जाएगी?

मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि "नहीं लगाएगा" इन शब्दों के बाद "साधारणतया" शब्द रख दिया जाए। विवाह पदाधिकारी साधारणतया ३० दिन से अधिक समय नहीं लगाएगा। मैंने यह संशोधन भी दिया है कि यदि निर्णय में ३० दिन से अधिक समय लग जाए तो विवाह पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से इसके कारण बतलाना चाहिए। उसे बताना पड़ेगा कि किन असाधारण परिस्थितियों के कारण ३० दिन तक निर्णय नहीं हो सका। मेरा निवेदन है कि माननीय विधि मंत्री मेरे इन दो संशोधनों पर विचार करें और उन्हें स्वीकार कर लें।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस खण्ड का यह रूप क्यों दिया गया।

[श्री बिस्वास]

माननीय सदस्य देखेंगे कि यह उपबन्ध संयुक्त प्रवर समिति के कहने पर बनाया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि विवाह पदाधिकारी शीघ्रता से निर्णय दे सकें। मान लीजिए कि आपत्तियां सुनने के लिए एक तिथि निश्चित की जाती है; तो विवाह करने वाले पक्ष वहां आएंगे और आपत्ति करने वाले भी आएंगे। जहां तक इन पक्षों का सम्बन्ध है, वे तो विलम्ब करेंगे नहीं। वह साक्ष्य और साक्षी जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करेंगे। विलम्ब केवल आपत्तिकर्ताओं की ओर से होगा। क्या आप इन्हें ऐसा करने देंगे? क्या आप चाहते हैं कि वे कार्यवाही को लम्बा करके विवाह को रोके रखें ? ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। संयुक्त प्रवर समिति ने सुझाव दिया था कि निर्णय में शीघ्रता करने के लिए एक कालावधि होनी चाहिए। यह कालावधि कार्यपालिका पदाधिकारी के लिए होगी, ताकि वह याचिकाओं को निपटा दे। यह दीवानी न्यायालय के लिए नहीं है। विवाह पदाधिकारी एक कार्यपालिका पदाधिकारी है और उसे निर्देश दिए जाएंगे कि उसे अमुक अवधि के अन्दर सुनवाई समाप्त कर देनी चाहिए।

जहां तक श्री टंकचन्द के इस दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है कि कालावधि को बिल्कुल ही हटा दिया जाना चाहिए और जो यह प्रस्ताव रखा गया है कि 'साधारण' शब्द रखा जाना चाहिए क्योंकि विवाह पदाधिकारी को तीस दिनों के अन्दर अपना निर्णय देने में अत्यधिक कठिनाइयां होंगी और विवाह पदाधिकारी को यह भी बताना होगा कि उसे निश्चित काल से अधिक समय क्यों लगा, मैं यह नहीं समझता कि व्यावहारिक रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी। कालावधि के सम्बन्ध में हम सभी जानते हैं। परिसीमा अधिनियम में कई चीजों के लिए समय निर्धारित है। मुकदमा लड़ने वाला अन्त तक प्रतीक्षा करता है और उसके पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। यह ठीक नहीं है; ज्योंही याचिकाएं पेश की जाएं उनको निबटाने की तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए तथा विवाह पदाधिकारियों को तत्काल ही बिना समय नष्ट किये अपना निर्णय देना चाहिए। उसके बीमार होने अथवा अवकाश लेने की आकस्मिकताओं पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति काम करेगा। अतः इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार करने में कोई औचित्य नहीं है।

श्री टंकचन्द (अम्बाला----शिमला) : परिसीमा अधिनियम में मामलों को निबटाने के लिये किसी काल विशेष का उल्लेख नहीं है।

श्री बिस्वास: यदि आगे तर्क न बढ़े तो मैं इस विधेयक के विषय में ही बोलूंगा।

तत्पश्चात् सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४७, २४६, २०७, २०८, २५८, २५९, २६०, २६१ तथा २६२ सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये जो अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: संशोधन संख्या २६३ अवरुद्ध है। अब मैं खण्ड ८ को रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ९----(जांच के सम्बन्ध में विवाह पदाधिकारियों की शक्तियां)

सभापति महोदय : खण्ड ९ पर प्रस्तुत होने वाले जिन संशोधनों की पूर्वसूचना मुझे मिली है उनकी संख्या २६७, २५१, २६४ और २६६ है। इसके बाद श्री एच० जी० वैष्णव द्वारा संशोधन संख्या २६७, श्री एम० एल० अग्रवाल द्वारा संशोधन संख्या २५१ और श्री टंकचन्द द्वारा संशोधन संख्या २६४ और २६६ प्रस्तुत किये गए।

श्री टंकचन्द : मेरा संशोधन यह है कि "युक्तिसंगत नहीं" शब्दों के स्थान पर "झूठी" रख दिया जाये । जिसका तात्पर्य यह होगा कि यदि विवाद पदाधिकारी को यह ज्ञात होता है कि होने वाले विवाह पर जो आपत्ति की गई है वह झूठी है और सदाशय से नहीं की गई है तो वह आपत्ति करने वाले पर एक हजार रुपया तक प्रतिकर के रूप में जुर्माना लगा सकता है । मैंने अपने संशोधन में "एक हजार रुपया" के बजाय "दो सौ रुपया" की राशि रखी है जिसके द्वारा उस व्यक्ति पर जिसने दुर्भाव से झूठ कहा है, दो सौ रुपया तक जुर्माना लगाया जा सके ।

जैसे कि वर्तमान खण्ड है उसके अनुसार आपत्ति युक्तिसंगत न होने पर एक हजार रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है । आपत्ति के केवल युक्तिसंगत न होने से ही काम नहीं चल सकता जब तक कि यह न सिद्ध कर दिया जाय कि वह झूठी भी है । खण्ड ४ के अनुसार आपत्ति युक्तिसंगत होनी चाहिये अर्थात् आयु, दम्पति में से किसी का जीवित होना, सम्बन्ध भी निषिद्ध पीढ़ियों, तथा मतिमान्द्य अथवा पागलपन आदि के सम्बन्ध में आपत्ति होनी चाहिये । ये आपत्तियां ही विधि के अनुसार युक्तिसंगत मानी जायेंगी । इस प्रकार तो आप अपनी धारा ४ की स्वयं ही निंदा कर रहे हैं । अतः 'असंगत' शब्द को रख कर तो आप और भी भ्रम फैला रहे हैं और धारा ४ को आघात पहुंचा रहे हैं । अब आप यह नहीं कह सकते कि आपत्ति असंगत होनी चाहिये । इस कारण "युक्तिसंगत" के स्थान पर मैं "झूठी" शब्द रखना चाहूंगा ।

केवल दुराशय अथवा सदाशय शब्दों में आपत्ति को नहीं रखा जा सकता । आपत्ति किस प्रकार की है, इसे देखना पड़ेगा यदि आपत्ति का आधार ठोस और युक्तिपूर्ण है तो वह मान्य होगी अन्यथा नहीं । सद्भाव अथवा दुर्भाव एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था है जिसका आपत्ति के तथ्यों के आधार पर सही होने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

तत्पश्चात् एक हजार रुपया दण्ड का प्रश्न आता है । यह दूसरे पक्ष के प्रतिकर के विचार से नहीं वरन् उद्देश्य से दण्ड होगा । मेरे विचार से झूठी आपत्ति करने वाले पर दो सौ रुपया जुर्माना करना पर्याप्त होगा ।

श्री बिस्वास : मुझे इस संशोधन पर आपत्ति है ।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाउ-सोरठ) : "यदि आपत्ति युक्तिसंगत नहीं है" और इसके बाद दूसरी शर्त यह लगाई है कि यह सदाशय से नहीं की गई है । वास्तव में बात तो यह है कि यदि वैध रूप में विवाह नहीं किया जायेगा तो उसका कैसा परिणाम होगा।

श्री बिस्वास : इस बात में विभेद है कि खण्ड ४ के अन्तर्गत दी हुई शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और इस आधार पर विवाह करने की मनाही है । इसका उल्लेख खण्ड ८ में किया गया है जिसका निब्टारा हम पहले ही कर चुके हैं । उसमें आपत्ति के मामले में विवाह पदाधिकारी को जांच करने के पश्चात् ही इस बात से सन्तुष्ट होने के लिये बताया गया है कि आपत्ति के कारण विवाह को रोका नहीं जा सकता । हम यह नहीं कहते कि उसे इतने से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिये कि जो कारण बताये गए हैं उनमें से कोई भी वास्तव में सही नहीं है । उसे केवल इस बात से सन्तुष्ट होना है कि इन आपत्तियों से विवाह संस्कार होना न रुक जाय । एक कारण यह है कि दोनों ही लड़का अथवा लड़की एक निश्चित आयु से कम न हों । कभी कभी ठीक-ठीक आयु का पता लगाना बड़ा कठिन होता है । मान लीजिये कि गलती से एक-दो मास का अन्तर पड़ जाता है । मान लीजिये कि अन्ततोगत्वा यह पता लगता है कि विवाह के दिन लड़की वास्तव में १८ वर्ष से दो मास कम थी अथवा लड़के की अवस्था २१ वर्ष से दो मास कम थी, तो क्या यह आधार विवाह को रद्द कर देने के लिये पर्याप्त होगा ? यद्यपि खण्ड ४ में कारणों का स्पष्ट विवेचन

[श्री बिस्वास]

कर दिया गया हैं, फिर भी विवाह पदाधिकारी को युक्तियुक्त दृष्टिकोण रखना पड़ता हैं । यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाता हैं कि आपत्ति एंसी नहीं हैं जिससे विवाह रोक दिया जाय, तो वह विवाह के लिये अनुमति दे सकता हैं ।

खण्ड ९ (२) में बिल्कुल दूसरी ही चीज हैं । आपत्ति करने वाले से दृष्टान्तिक-खर्चा दिलवाना अथवा विवाह कुछ आपत्तियों पर रद्द करने अथवा इन्कार करने का प्रश्न नहीं हैं । यदि पदाधिकारी यह समझता हैं कि आपत्ति करने वाले ने युक्तियुक्त व्यवहार नहीं किया, तो यही कारण पर्याप्त होगा । विवाह पदाधिकारी को उन सभी लोगों पर कड़ा जुर्माना करना पड़ता हैं, जो बिना सोचे समझे, मात्र आपत्ति करने, बदनाम करके पैसा कमाने आदि न जाने किस-किस विचार से केवल आपत्तियां उठाने के लिये ही आपत्ति करते हैं । उचित मामलों में दृष्टान्तिक खर्चा दिलवाने के लिये ही एंसी व्यवस्था की गई थी । उसमें जो शब्द प्रयुक्त किये गए हैं वे ये हैं कि यदि वह देखता हैं कि आपत्ति युक्तियुक्त नहीं हैं और सदाशय से नहीं की गई हैं । "सदाशय से की गई" शब्द आपत्तिकर्त्ता पर लगाये गये अनुचित खर्चे के लिये पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं यही मेरा उत्तर हैं ।

विवाह पदाधिकारी को तो इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिये कि खेण्ड ४ में जिन कारणों का उल्लेख किया गया हैं वे पूरे हो गये हैं । मैं यह नहीं कहता कि उसे शर्तों को शिथिल करने का अधिकार हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २६४, २५१ तथा २६७ प्रस्तुत किये गये जो अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १०----(विदेश में विवाह पदाधिकारी द्वारा आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात् प्रक्रिया)

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड १० को सभा के समक्ष मत के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड १० तथा ११ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० तथा ११ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १२----(स्थान तथा विवाह सम्पन्न होने की विधि)

सभापति महोदय : संशोधन संख्या २६८, २५४, २५६, २६९ और ४०१ को प्रस्तुत हुआ समझा गया हैं ।

इसके बाद श्री एच० जी० बैष्णव द्वारा संशोधन संख्या २६८ श्री टंक चन्द और श्री कृष्ण चन्द्र द्वारा संशोधन संख्या २६९ और ४०१ और श्री मूल चन्द दुबे द्वारा संशोधन संख्या २५४ और २५६ प्रस्तुत हुए जो सभापति महोदय द्वारा रखे गये ।

श्री टंकचन्द : मेरा संशोधन यह हैं कि ["any"] ("कोई") तथा ["form"] ("विधि") के बीच ["recognised"] ("प्रमाणित") शब्द जोड़ा जाय । मेरा कथन हैं कि दोनों पक्ष जिस प्रमाणित विधि से विवाह करना चाहें उससे कर सकते हैं । ये विधियां सभी को विदित हैं । ये विधियां समाज के ऊपर छोड़ दी गई हैं । विवाह सम्पन्न करने की यह विधि एंसी नहीं होनी चाहिये जो केवल उस समय के लिये गढ़ ली गई हो। अतः विवाह सम्पन्न करने की विधि को हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिये ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण) : मैं श्री टंक चन्द के इस संशोधन से सहमत हूं कि

विवाह की "किसी विधि" के स्थान पर "प्रमाणित विधि" रखा जाय। 'प्रमाणित' शब्द का प्रयोग यहां अनुचित नहीं होगा।

श्री एच० जी० वैष्णव : श्री टंक चन्द द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन, जिसका मैं समर्थन करता हूं, के साथ साथ मैं इसी खण्ड के सम्बन्ध में एक और संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन की संख्या २६८ है और यह खण्ड १२ में कुछ अनावश्यक शब्दों के हटाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। खण्ड १२ में इस आशय के शब्द आये हैं कि 'ऐसी शर्तों पर जो कि निर्धारित की जायें, विवाह, विवाह पदाधिकारी के कार्यालय पर अथवा किसी ऐसे स्थान पर, जो कि कार्यालय से बहुत दूर न हों, सम्पन्न हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि 'ऐसी शर्तों पर' शब्दों का क्या औचित्य है। क्या विवाह पदाधिकारी के द्वारा कुछ शर्तों का आरोपण किया जायेगा ? मैं माननीय विधि मंत्री से इन शब्दों का औचित्य पूछना चाहता हूं।

श्री बिस्वास : "विहित" का अर्थ अधिनियम के अधीन परिनियत नियमों से है। सरकार उन नियमों को बनायेगी।

श्री एच० जी० वैष्णव : शुल्क के भुगतान को तो परिनियत किया जा सकता है परन्तु शर्तों को कैसे परिनियत किया जायेगा ? यह तो पक्षों के बीच करार का प्रश्न है। मेरा नम्र निवेदन है कि 'ऐसी शर्तों पर' शब्द अनावश्यक हैं और उनको निकाल देना चाहिये।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : शर्तें भी परिनियत की जा सकती हैं।

श्री एच० जी० वैष्णव : परन्तु वे शर्तें दोनों पक्षों पर लागू कैसे की जायेंगी ?

श्री बिस्वास : विषय इतना स्पष्ट है कि इसके उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २६८, २५४, २५६, २६९ और ४०१ मतदान के लिए रखे गए जो अस्वीकृत हुए।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद----उत्तर) : इस खण्ड के द्वारा विवाह के सारे वर्तमान रूप समाप्त हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न होने वाले विवाह की परिभाषा कर दी जाए और दोनों पक्षों के परस्पर कर्तव्य तथा अधिकार बतला दिए जाएं।

विवाह-विच्छेद सम्बन्धी खण्ड में ऐसी शर्तों का उल्लेख है जिनके अनुसार विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु उसमें बहुत सी बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरणतः उसमें पत्नी के भरण-पोषण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कि पति पत्नी के भरण-पोषण के लिए मना कर दे तो पत्नी की क्या अवस्था होगी ?

इसका भी उल्लेख नहीं है कि संयोग स्थाई है अथवा अस्थाई। यदि हम दोनों की अनुमति के आधार पर विवाह-विच्छेद की अनुमति देते हैं तो यह सम्भव हो सकता है कि विवाह से पूर्व ही दोनों पक्षों में एक या दो महीने के लिए विवाहित रूप में साथ रहने का कोई समझौता हो जाए और बाद को फिर दोनों अलग हो जाएं।

इस प्रकार इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि विवाह करने वाले दोनों पक्षों के लिए अधिकारों तथा कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर दिया जाए। हम उस काम के लिए किसी अन्य विधि की शरण नहीं ले सकते, अतः विवाह के दायित्वों तथा अधिकारों का स्पष्टीकरण होना ही चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १४----(नवीन सूचना जब कि विवाह तीन मास के अन्दर सम्पन्न न हो)

सभापति महोदय: श्री साधन गुप्त के नाम में संशोधन सं० ४३१ हैं। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। अतः मैं खण्ड को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है:

"खण्ड १४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १५ से २१ तथा १

सभापति महोदय: माननीय सदस्य खण्ड १५, १६, १७ तथा १८ के सम्बन्ध में अपने संशोधन पांच मिनट के अन्दर सचिव के पास भेज दें।

[श्री पाटस्कर पीठासीन हुए]

श्री टंकचन्द द्वारा संशोधन संख्या ३७२ और ३७५ प्रस्तुत किए गए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संशोधन सं० २६०, ३७०, और ३७१ प्रस्तुत किए गए।

श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा संशोधन सं० १६३ और १३० प्रस्तुत किए गए।

श्री दाभी द्वारा संशोधन संख्या ४३ प्रस्तुत होने के बाद उन ही द्वारा संशोधन संख्या ३१५ प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार था:

पृष्ठ ६ में,

पंक्ति १३ से १६ के स्थान पर निम्नांकित अंश आदिष्ट किया जाए:

"(e) the parties are not within the degrees of prohibited relationship:

Provided that in the case of a marriage celebrated before the commencement of this Act, this condition shall be subject to any law, custom or usage having the force of law governing each of them which permits of a marriage between the two; and"

["(ङ) पक्ष निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत नहीं आते हैं:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भन के पूर्व सम्पन्न हुए विवाह के विषय में यह शर्त उस विधि, रूढ़ि अथवा विधि का-सा प्रभाव रखने वाली प्रथा, जो उनमें से प्रत्येक को लागू होती हो और जो उन दोनों में विवाह की अनुमति देती हो, के अधीन होगी; और"]

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) द्वारा संशोधन सं० १८६ प्रस्तुत किया गया।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) द्वारा संशोधन सं० १६४ प्रस्तुत किया गया।

श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा संशोधन सं० १८७ प्रस्तुत किया गया।

श्री एम० एल० अग्रवाल द्वारा संशोधन संख्या २६१ और २६५ प्रस्तुत किए गए।

श्री के० आर० शर्मा (जिला मेरठ पश्चिम) द्वारा संशोधन संख्या ५०७ प्रस्तुत किया गया।

डा० रामा राव (काकिनाडा) द्वारा संशोधन सं० १३१ प्रस्तुत किया गया।

डा० जयसूर्य (मेदक) द्वारा संशोधन संख्या १८८ प्रस्तुत किया गया।

श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर) द्वारा संशोधन संख्या ७२ और ७५ प्रस्तुत किए गए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): क्या खंड १५ के सम्बन्ध में ही केवल संशोधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं अथवा खण्ड १६ से १८ तक के भी सम्बन्ध में ?

सभापति महोदय : केवल खण्ड १५ के सम्बन्ध में।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : लोक-सभा समाचार के अनुसार खण्ड १५ से १८, खण्ड १ तथा खण्ड १८-क, १८-ख, १८-ग इत्यादि के लिए ४ घंटे की अवधि निश्चित की गई है।

श्री एन० सी० चटर्जी : अधिकांश चर्चा खण्ड १५ के बारे में होगी। मेरे विचार में खण्ड १६ से २१ के लिए हमको अधिक चिन्तित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वे सब एक ही विषय से सम्बद्ध हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वस्तुतः मैं भी इसको पसन्द करता हूं। सभा इस बात के लिए सहमत हो गई है कि इन सब खण्डों के विचार हेतु कुल साढ़े घंटे दिए जाएं। खण्ड १५ की चर्चा के साथ साथ खण्ड १६, २० तथा २१ की चर्चा भी आ जाएगी। क्योंकि बिना उनकी चर्चा हुए हम खण्ड १५ की चर्चा नहीं कर सकेंगे।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा खण्ड १५ से १८ तक के लिए केवल ४ घंटे दिए गए हैं। अधिकारों की चर्चा तो एक बड़ी विवादास्पद चीज है। प्रश्न केवल यह है कि हम इन चार घंटों में खण्ड १६ से १८ तक भी समाप्त कर सकेंगे अथवा नहीं।

श्री एन० सी० चटर्जी : खण्ड २१ तक चर्चा करने के लिए हमको सात घंटे मिले हैं। यदि खण्ड १८ तक की चर्चा में कुछ अधिक समय भी लगा जाता है तो उसकी पूर्ति खण्ड १६ से २१ की चर्चा में कर दी जाएगी। अन्ततः हम ७ घंटे से अधिक नहीं लेंगे। केवल विधेयक के अध्याय ३ तथा ४ के बीच समय के बटवारे का प्रश्न है। हम दोनों ही ७ घंटे के अन्दर समाप्त कर देंगे।

सभापति महोदय : क्या इस समय खण्ड १५ की चर्चा तक ही सीमित रहना ठीक नहीं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खण्ड १५ की चर्चा के साथ साथ खण्ड १८ से २० तक की चर्चा भी अनिवार्य है क्योंकि बाद वाले खण्डों का सम्बन्ध परिणामों से है और परिणामों को अलग रखकर विधान की चर्चा असम्भव है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि सभा इस पर सहमत हो जाए कि खण्ड २१ तक कुल चर्चा हम ७ घंटे के अन्दर ही समाप्त कर दें।

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री की क्या राय है ?

श्री बिस्वास : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अपना दृष्टिकोण रखना है। हमें खण्ड १५ की चर्चा आरम्भ करना चाहिये और बीच में यदि अन्य खण्डों के निर्देशन की आवश्यकता उपस्थित होती है तो उसकी अनुमति दे देना चाहिए। ७ घंटे के समय को दो भागों में विभाजित करने के स्थान पर सारे खण्डों के लिए इतना समय एकदम नियत करना सभा पर निर्भर है। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री सी० सी० शाह : मेरा कहना यह है कि यदि सम्पूर्ण तृतीय अध्याय निकाल लिया जाए तो चतुर्थ अध्याय उससे पूर्णतया असम्बद्ध रहेगा। निस्संदेह, यदि तृतीय अध्याय वर्तमान रूप में रहता है तो चर्चा के दौरान कहीं कहीं पर खण्ड १६, २० तथा २१ के निर्देशन की आवश्यकता होगी। मेरा निवेदन है कि खण्ड १५ अति आवश्यक है और खण्ड १६ तथा १७ प्रासंगिक हैं। फिर खण्ड १८ भी आवश्यक है। अतः खण्ड १५ से १८ तक के लिए ४ घंटे लगाए जाएं क्योंकि यही महत्वपूर्ण खण्ड हैं।

सभापति महोदय : अब हमको इस दृष्टिकोण से कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए कि खण्ड १५ से १८ तक के लिए ४ घंटे हैं और खण्ड १६ से २१ के लिए तीन घंटे। यह अच्छा होगा यदि इस समय हम खण्ड १५ के बारे में ही चर्चा करें।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) द्वारा संशोधन संख्या ७६ प्रस्तुत किया गया।

सभापति महोदय द्वारा उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत हुए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेअरमैन साहब. यह जो चैप्टर तीन हैं, इसके लिए मैंने एक अमेंडमेंट दी थी कि जिसकी रू से मैंने यह चाहा था कि इस चैप्टर तीन को सारे बिल में से निकाल दिया जाय और इसके बजाय जो मैंने अमेंडमेंट दिया था वह रख दिया जाय लेकिन शायद रूल्स ऐसे हैं जिनकी रू से वह अमेंडमेंट पेपर पर नहीं रक्खा जा सकता था। मेरी मंशा यह थी कि ऐसी शादियां जो कि पहले हो चुकी हैं और जो जायज हैं उनको दुबारा रजिस्टर करने का कोई कानून इस तरह का न बनाया जाय और मैं अभी जनाब की खिदमत में चन्द वजूहात अर्ज करूंगा जिनकी वजह से रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज जो कि पर्सनल ला के मातहत हुई हों या और किसी ऐक्ट के मातहत हुई हों और जो जायज हों उनके रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों वरखिलाफ हूं। असल में यह बहस किसी कदर एक निगेटिव तरीके से हो रही है। फर्ज तो उनका था जो यह चाहते हैं कि एक शादी मजहबी है, वैलिड है लेकिन ताहम चाहते हैं कि कोई और तरीके से उनकी रजिस्ट्री कर दी जाए, एक नया इन्नोवेशन जो शायद दुनिया के किसी कौम के कानून में ऐसा नहीं होगा कि एक जायज शादी को दुबारा रजिस्टर किया जाए। जो और जगह रजिस्ट्रेशन होता है वह स्टैटिस्टिकल परपजेज के वास्ते होता है। रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज सभी जगह होता है, मुस्लिम ला में होता है, पारसी ला में होता है और हिन्दू ला में भी हम उसको करने लगे हैं, लेकिन इस किस्म का रजिस्ट्रेशन उन शादियों का जो पहले हो चुकी हों जायज शादियां हों जिनके मुताल्लिक इंसीडेंट्स और कानूनी नोशंज हम को मालूम हैं, उनके कानूनी नोशंज को तबदील किया जाय, इस तरह का रजिस्ट्रेशन शायद कहीं किसी कानून में नहीं है, चूंकि मेरा इल्म महदूद है, इसलिए मैं शायद लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। मैं इस चीज को कतई मुनासिब और जायज नहीं समझता कि एक शादी को फिर दुबारा एक नए हुकूक के साथ उसको वावस्ता किया जाए। चुनाचे मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह बर्डन उनके जिम्मे होना चाहिए था कि जो चाहते हैं कि इस किस्म का प्राविजन करें। सारे देशों के कानूनों का आप मुलाहिजा फरमाएं किसी कानून में इस किस्म की तजवीज आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ एक जगह एक तजवीज यह रक्खी गई थी और मैं समझता हूं कि उसी तजवीज से यह सारी की सारी इसने शक्ल अख्तियार की है कि अब ऐसी शास्त्रिक मैरिजेज को मुस्लिम ला मैरिजेज को क्रिश्चियन ला की मैरिजेज इन सबको रजिस्टर किया जा सकता है और वह तजवीज पहले पहल जिस शक्ल में आई थी वह हिंदू कोड बिल में आई थी। उस हिन्दू कोड बिल में सफे २१ पर जो पुराना हिन्दू कोड मेरे पास है उसके सफे २१ पर दर्ज है कि वह किस तरह से चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन आफ धार्मिक मैरिजेज, रजिस्ट्रेशन आफ सैक्रामेंटल मैरिजेज और मैं जनाब की इजाजत से पढ़ कर सुनाये देता हूं:

"जब किन्हीं दो हिन्दुओं ने----

(क) इस संहिता के प्रारम्भन से पहले शास्त्रोक्त विवाह किया हो और विवाह के समय लाग् हिन्दू धर्म शास्त्र के किसी पाठ, नियम, अथवा निर्वचन के उपबन्धों या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के कारण ऐसे विवाह की मान्यता के सम्बन्ध में सन्देह हो, या

(ख) इस संहिता के प्रारम्भन के पश्चात् शास्त्रोक्त विवाह किया हो, और यह विवाह इस कारण वैध हो कि वह धारा ७ के खण्ड (५) के उपबन्धों के प्रतिकूल है,

तो वे व्यक्ति, किसी समय भी, उस जिले के रजिस्ट्रार को, जहां आवेदन पत्र से ठीक पहले के कम से कम तीस दिन, उनमें से कोई एक रहता रहा हो, अपने विवाह के पंजीबद्ध किए जाने के लिए उसी प्रकार आवेदन-पत्र दे सकते हैं जैसे कि वह विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष सम्पन्न किया गया व्यावहारिक विवाह हो।"

फिर इसके आगे चलते हैं, जिससे यह साफ मंशा

जाहिर होती हैं कि हिन्दू कोड बिल में दो तरह की शादियां रखना मकसूद थीं। धार्मिक मैरिजेज और दूसरी सिविल मैरिजेज। सिविल मैरिजेज में वह धार्मिक मैरिजेज आती हैं जो डाउटफुल वैलेडिटी की होती हैं, इसके ऊपर भी हमको सख्त एतराज था, कि किसी कस्टम को अनडू करने के वास्ते सिविल मैरिज करायें। मेरे कहने का यह मतलब नहीं हैं और मैं यह नहीं चाहता कि जहां तक हिन्दू ला का सवाल हैं सारी सैक्रामेंटल किस्म की मैरिजेज हों, लेकिन ताहम यह दो तजवीजें ऐसी थीं जिनको सिविल कोड के अन्दर हिंदू ला के अन्दर रखने की वजह यह मैरिज हो सकती हैं जिनकी कि डाउटफुल वैलेडिटी हो और वह हिन्दू पने से निकल न जायं और यह तजवीज ऐसे लोगों के वास्ते रक्खी गई हैं कि जिनकी मैरिज कस्टम के लिहाज से नाजायज होती थी, प्राहिब्टिड डिग्रीज में आती हो उनकी मैरिज को किसी हद तक जायज रखने के वास्ते जो एक बहुत प्रोग्रेसिव एलीमेंट था और तेजी से चलना चाहता था उनको रोप करने के वास्ते यह नम्बर दो की तजवीज रक्खी गई हैं। मेरा तो कहना हैं कि जो मैरिजेज बिल्कुल वैलिड हैं, कानूनन दुरुस्त हैं, उनको रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं हैं और मुझे इस पर सख्त एतराज हैं।

अब, जनाब वाला, जो कोशिश की जाती हैं वह दो तीन तरह की मैरेजेज को शामिल करने की की जाती हैं। आप दफा १५ का मुलाहजा फरमायें।

मेरी अदब से गुजारिश यह हैं कि यह फिल वाक्या उन मैरेजेज को एप्लाई होता हैं जो कि स्पेशल मैरेज एक्ट के नीचे डाउटफुल हैं लेकिन उन कन्डीशन्स को जो कि इस बिल में दी हुई हैं, पूरी करती हैं। उन के बारे में मैं अर्ज करता हूं कि मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब के मुकाबले में भी एक कदम आगे जाने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि वह सारी मैरेजेज जो डाउटफुल हैं, वह सारी मैरेजेज जो कि एक्ट ३ सन् १८७२ के नीचे नहीं हो सकती हैं, मसलन् एक हिन्दू और एक मुसलमान की, एक मुसलमान और एक पारसी की, या हिन्दू और पारसी की, वगैरह वगैरह...

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ---दक्षिण): क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संदेहपूर्ण विवाह किसे कहते हैं और यह कौन निश्चय करता हैं कि वह संदेहपूर्ण हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे दोस्त ने इतना खूबसूरत क्लैरिफिकेशन पूछा हैं कि उस का जवाब वह अपने दिल से लें तो ज्यादा अच्छा हैं।

पंडित के० सी० शर्मा : मेरा विवाह संदेहपूर्ण नहीं हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आपके विवाह के बारे में तो कोई संदेह नहीं हैं। बात तो यह हैं कि यदि कोई विवाह १८७२ के अधिनियम ३ के अन्तर्गत होता हैं जिसकी वैधता संदेहात्मक हैं----या यह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अवैध भी हैं----तो वह इस अधिनियमके अन्तर्गत वैध हैं।

पंडित के० सी० शर्मा : कोई स्त्री-पुरुष यह कह सकते हैं कि किसी विशेष करार अथवा संविदा के अन्तर्गत वे एक दूसरे को पति पत्नी ग्रहण करते हैं। जहां तक उन दोनों का सम्बन्ध हैं यह विवाह विधि के अन्तर्गत वैध हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बिलकुल गलत, श्रीमान्।

पंडित के० सी० शर्मा : बम्बई में तो ऐसा ही हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमारा अभिप्राय केवल बम्बई से ही नहीं हैं। उनका यह कथन बहुत सामान्य सा हैं। दो व्यक्तियों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के केवल इतना कह देने से ही वैध विवाह सम्पन्न नहीं हो जाता ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो मैरिजेज डाउटफुल हैं एक्ट ३, सन् १९७२ के मातहत, उसके अलफाज के मातहत जो मैरिजेज नहीं हो सकती थीं जैसी कि मैंने मिसाल दी हैं, हिन्दू की मुसलमान के साथ, मुसलमान की पारसी के साथ या मुसलमान की क्रिश्चियन के साथ, वह सब की सब अगर इस एक्ट के नीचे रजिस्टर हो जायें तो मुझे किसी किस्म का एतराज नहीं है । मैं तो भी एक कदम आगे जाना चाहता हूं । हर एक वकील को मालूम है कि हमारे एविडेन्स एक्ट में अगर एक अर्से तक एक मर्द और एक औरत बतौर खाविन्द और बीवी के रहें तो यह प्रिजम्शन रहता है कि चूंकि वह कुछ देर तक इस तरह से रह लिये इस लिये उनकी शादी हो चुकी है । इस के अन्दर सेरेमनीज का साबित करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ला का प्रिजम्शन हो जाता है कि शादी हुई होगी । मैं तो इस हद तक भी जाने को तैयार हूं क्योंकि ला बहुत जेलस है कि इस तरह की शादियां रिकग्नाइज की जायें, प्रोत्साहित की जायें । मैं उन उसूलों के कन्सिस्टेंट यह चाहता हूं कि वह शादियां जिन के वास्ते अब तक कानून मौजूद नहीं था, वह शादियां जो इन चार पांच बातों के (क से च) बखिलाफ नहीं हैं, उन सब शादियों को रजिस्टर किया जाय । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है । मुझे एतराज है उन शादियों के रजिस्टर होने में जो कि पर्सनल ला पार्टीज की होती हैं । इन शादियों का रजिस्टर होना सिर्फ गैर जरूरी ही नहीं बल्कि एक तरह से मुझको बिल्कुल नाजाइज मालूम होता है । अब इसके बारे में मैं आपकी खिदमत में चन्द वजूहात बयान करता हूं ।

जो अश्खास चाहते हैं कि उनकी मैरिज रजिस्टर हो जाय, उनकी गरज दो मालूम होती है । एक तो वह यह चाहते हैं कि इस बिल के अन्दर जो डाइवोर्स का प्रोविजन है, उसको वह अवेल आफ कर सकें । दूसरी वजह यह हो सकती है । मौजूदा चन्द अश्खास की राय के मुताबिक यह जो सक्सेशन एक्ट है, उस में सक्सेशन का जो तरीका दिया हुआ है वह बहुत लिबरल है और उनके ख्याल से औरतों को, बेवा को और लड़कियों को किसी कदर ज्यादा फायदा देता है दूसरों के मुकाबले में । यही दो वजूहात हो सकती हैं जिन को मैं सोच सकता हूं कि जिनकी वजह से लोग रजिस्टर कराना चाहेंगे । अगर यह दोनों वजूहात दुरुस्त भी हों, तो भी मैं इसके बखिलाफ हूं । आज एक शख्स ने शादी कर लिया । एक मुसलमान ने शरियत के मुताबिक कर लिया, एक क्रिश्चियन ने अपनी किताब के मुताबिक शादी कर लिया, तो मैं इसके हक में नहीं हूं कि वह एंग्रीमेंट के जरिये अपने पर्सनल ला को खैरवाद कह सके । ऐसी चीज आपके वास्ते बना लें । आज दुनियां के अन्दर कहीं ऐसा कानून नहीं है कि जिस में यह हो सकता हो । हां, अगर यह दोनों बातें दुरुस्त हो जायें तो शायद कोई फायदा हो जाय और उस के रजिस्ट्रेशन की लोग मांग पसन्द करें, लेकिन मैं यह कहने को तैयार हूं कि यह दोनों बातें भी गलत हैं ।

सब से अव्वल में डाइवोर्स प्राविजन की निस्बत कहना चाहता हूं क्योंकि जो डाइवोर्स का सवाल है सिवा थोड़ी सी ऊपर की क्लासेज के हिन्दू सिस्टम में सब जगह डाइवोर्स मौजूद है । मुसलमानों के अन्दर भी डाइवोर्स का कानून मौजूद है, जो कानून हम मैरिज एंड डाइवोर्स का हम आइन्दा बनाने जा रहे हैं वह किसी कदर सख्त हो जायेगा उन अश्खास के लिये जो कि आजकल डाइवोर्स करते हैं । इसी तरह से क्रिश्चियन ला है उन में भी डाइवोर्स का कस्टम है । इन तीनों में डाइवोर्स मौजूद है, लेकिन जो कानून हम बनाने लगे हैं, जिस की सेलेक्ट कमेटी मुकर्रर हो चुकी है, उस के अन्दर डाइवोर्स

को रिकग्नाइज किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि शायद उसके प्राविजन्स शायद इस कदर लिबरल न हों एक चीज में, वाई एंगिलमेन्ट उनका डाइवोर्स हो सके या न हो सके, उसको छोड़ कर तकरीबन डाइवोर्स उन्हीं बेसिस पर और एक तरह से एलाइड से होंगे जैसे कि इसके अन्दर प्राविजन्स हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि आज यह ख्याल कि हम को डाइवोर्स को इस बिल से फायदा हो जायेगा यह ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि यह जो बिल टुकड़े टुकड़े कर के आ रहा है उस के अन्दर हम सिर्फ अपने पुराने कानून को कोडिफाई कर दें। मैं सिर्फ उस को कोडिफाई नहीं करना चाहता। बल्कि सच बात तो यह है कि हम को मान लेना चाहिये और ईमानदारी से मान लेना चाहिये कि हम हिन्दू ला में बड़े जोरों की तब्दीली करने के वास्ते तुले हुए हैं पुरानी बातें जो आज जमाने की रफतार में नहीं हैं, हम उनको तब्दील कर रहे हैं। जो बिल हाउस के सामने है उसके अन्दर सारे प्राविजन्स डाइवोर्स वगैरह के आयेंगे। तो मैं समझता हूं कि जहां तक डाइवोर्स का सवाल है वह वैसे ही अवेलेब्ल होगा जैसा कि इस के अन्दर है।

दूसरा सवाल रह जाता है सक्सेशन का। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे डर है कि बहुत से दोस्तों ने अभी तक सक्सेशन एक्ट की उन दफात को जो लागू होंगी न तो अच्छी तरह समझा है और न अच्छी तरह उन को पढ़ा ही है क्योंकि वह सक्सेशन एक्ट आम तौर पर लोगों में रायज नहीं है और वह सक्सेशन एक्ट अपनी नवैयत से एक किस्म से ऐसा है कि उसे आम तौर पर लोग समझ भी नहीं सकते हैं। मैं आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे कोई यह आप्शन दे कि मैं हिन्दू ला से गवर्न होना चाहता हूं, या सक्सेशन ला से, या मुसलिम ला से, या कि अपने पर्सनल ला से, या कोई पब्लिक में जाकर लोगों से पूछे कि वह किस से गवर्न होना चाहते हैं तो मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि ९९ फी सदी आदमी यह कहेंगे कि हम तो पर्सनल ला से गवर्न होना चाहते हैं। आखिर पर्सनल ला एक ऐसी चीज नहीं है जो कि रोज रोज बदला जा सकता है और रोज रोज छोड़ा जा सकता है। एक आदमी का पर्सनल ला हजारों वर्ष में बनता है, हजारों बरस के ट्रेडिशन मौजूद हैं, हजारों बरस की हिस्ट्री मौजूद है, हजारों बरस में जो पर्सनल ला बना है वह सब को प्यारा है और उसे हम इस तरह से हटा नहीं सकते। जैसे किसी आदमी को डोमिसिल या नेशनेलिटी उस को शैडो करती है उसी तरह से उसका पर्सनल ला भी उसके साथ साथ जाता है जब तक वह किसी रैंच के जरिये या किसी दीगर वजूहात से तब्दील न किया जाये। इस वजह से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हर एक आदमी अपने पर्सनल ला को, चाहे उसमें कितना ही डिफेक्ट हो, उस को हमेशा रखना चाहता है। इस खास कानून के सीधे तरीके से नहीं बल्कि इन्डिरेक्टली। आज हम इस कानून की रू से सबके पर्सनल ला को हिन्दू ला, मुसलिम ला, पारसी ला, और जो दूसरे ला हैं, उन सब में तब्दीली करने चले हैं, यह दुरुस्त नहीं है। मेरे हाथ में वह गजट मौजूद है जिस के अन्दर अनरेब्ल मिनिस्टर साहब ने हिन्दू सक्सेशन एक्ट के नये मस्विदे को शाया किया है। जो बिल दूसरे हाउस में इन्ट्रोडयूस हो चुका है या होने वाला है, उस का मस्विदा मेरे पास मौजूद है जो कि २६ मई, सन् १९५४ के गजट में छपा है।

मेरे हाथ में पुराना हिन्दू कोड बिल भी मौजूद है इसमें वे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो कि सक्सेशन एक्ट में आने वाली हैं। इसलिये हिन्दू सक्सेशन एक्ट में जो बेवा को हुकूक मिलेंगे या हिन्दू सक्सेशन ला में हम करने वाले हैं या जो आज हिन्दू, मुसलमान या पारसी ला के अन्दर हुकूक हैं उनको आप देखें कि आज क्या शक्ल है। पेशतर इसके कि मैं इन प्राविजन्स की तरफ आपकी तवज्जह दिलाऊं मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सक्सेशन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

एक्ट न हिन्दुओं के लिये, न मुसलमानों के लिये और न किसी और के लिये बना था। इस सक्सेशन एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि यह न हिन्दुओं को एप्लाई करेगा, न मुसलमानों को एप्लाई करेगा। जगह बजगह यह लिखा हुआ है कि हिन्दू, मुसलमान वगैरह किसी को एप्लाई नहीं करेगा। पेशतर इसके कि मैं इसके प्राविजन्स की तरफ तवज्जह दिलाऊं मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक्ट ३ सन् १९७२ बराबर लागू रहा जब तक कि सन् २२ में वह अमेंड नहीं हो गया, तो इन पचास वर्षों तक कौनसा कानून था जो ऐसी शादियों को करने वालों को लागू होता था। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि हिन्दुओं के लिये हिन्दू ला और मुसलमानों के लिए मुस्लिम ला लागू होता था। चुनांचे हालांकि इस एक्ट के मातहत शादी करने पर एक हिन्दू यह कहता था कि वह हिन्दू नहीं है तो भी उसकी सब चीजों में हिन्दू ला एप्लाई होता था। फिर पचास साल बाद उस कानून में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कुछ ऐसी खराब बातें आ गई कि जो आज हमको पीछे ले जाने वाली साबित हो रही हैं। जब सन् १९२२ में इसकी तरमीम हुई तो उस वक्त मैं मौजूद था। उस वक्त किसी नान आफिशियल को यह नहीं होता था कि उसका बिल पास हो जाये। उस वक्त गौड़ साहब एक बिल लाए थे उस पर जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई तो हाउस के अन्दर उनकी ही पार्टी के मेम्बरों ने कहा कि इसको नामंजूर कर दिया जाये लेकिन गौड़ साहब चाहते थे कि एक बिल उनके नाम से भी पास हो जाये और इसलिये उन्होंने इसमें चार पांच ऐसी चीजें मंजूर कर लीं कि जो ह्यूमिलिएटिंग थीं। ब्यूरोक्रेसी वाले यह चाहते थे कि ऐसी चीजें इसमें आ जायें जो किसी हिन्दू या मुसलमान को मंजूर न हों। अगर वह इसमें शादी करें तो एडाप्शन से दूर हो जायें और मुशतरका खानदान से दूर हो जायें और सक्सेशन एक्ट से गवर्न हो। उन्होंने तीन चार ऐसी चीजें मंजूर कर लीं जो कि ठीक नहीं थी सिर्फ इस बात के लिये कि शादी करने वाले को झूठ न बोलना पड़े कि वह हिन्दू नहीं हैं, जैसा कि उसको पहले एक्ट में झूठ बोलना पड़ता था कि वह हिन्दू नहीं हैं। अगले एक्ट में यह था कि अगर कोई हिन्दू किसी मुसलमान लड़की से शादी करे तो उसे यह कहना पड़ता था कि मैं हिन्दू ला को नहीं मानता। जब आप इस बिल को ला रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटर मैरिज करें। अगर मैं इसको बुरा समझता तो इसका विरोध कर सकता था। लेकिन मैं यह समझने से कासिर हूं कि अगर कोई शख्स अपने रिलीजन से बाहर शादी करे तो वह अपने पर्सनल ला को क्यों खैरबाद कह दे। तो मैं यह चाहता हूं कि जो हिन्दू और मुसलमान अपने मजहब से बाहर शादी करेंगे वे अपने मजहब को न छोड़ें। अगर आप उनको अपने मजहब को छोड़ने को मजबूर करेंगे तो यह तो एक बहुत बड़ा रैंच होगा। आपको ऐसे हालात न पैदा करने चाहिए कि वे एक काम को करते हुए यह समझें कि उसके अन्दर कुछ खराबी कर रहे हैं। मैं जनाब की खिदमत में विडो के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि उसकी हालत सक्सेशन एक्ट में क्या है और हिन्दू ला में क्या है। सक्सेशन ला के मुताबिक अगर एक शख्स मर जाए तो उसकी बेवा को उसकी जायदाद का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा अगर उसके लीनियल डिसेंडेंट हों। और अगर उसके लीनियल डिसेंडेंट न हों तो उसको मिलेगा आधा बशर्ते कि उसके दूर के रिश्तेदार मौजूद हों। मैं हाउस की खिदमत में अदब से अर्ज करूंगा कि वह इस बात को जहननशीन कर ले। आज दैशमुख एक्ट, १९ सन् ३७ की रू से एक बेवा को अपने खाविंद की जायदाद में से अपने लड़के के बराबर का हिस्सा मिलता है। लड़के को, लड़के की बेवा को और उस बेवा को बराबर हक मिलता है। और अगर

उनमें से यानी पहले ग्रुप वालों में से कोई और न हो, लड़का न हो और कोई और न हो तो आज बेवा को सारी जायदाद अपने स्वविंद की मिलती है ।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड-सोरठ) : यह 'सीमित सम्पदा' होगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अभी इस विषय को लेता हूं । उत्तराधिकार विधेयक में हम इस 'सीमित सम्पदा' को सदैव के लिये समाप्त कर रहे हैं ।

लेकिन इस सक्सेशन एक्ट की रू से अगर किसी के दूर का भी कोई रिश्तेदार हो तो उस बेवा को आधे से ज्यादा नहीं मिलता । इस नये बिल के मुताबिक जो सक्सेशन होगा जिसको कि आनरेबिल मिनिस्टर राज्य सभा में पेश कर चुके हैं या पेश करने वाले हैं, उसमें अगर किसी शख्स के औलाद न हो तो उसकी बेवा को कुल जायदाद मिलेगी और किसी शख्स को कुछ नहीं मिलेगा । लेकिन सक्सेशन एक्ट की रू से उस बेवा को आधे से ज्यादा जायदाद नहीं मिल सकती । तो मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि कौनसी सूरत में उस बेवा को ज्यादा फायदा है, सक्सेशन एक्ट में या नए हिन्दू कोड बिल में जो हम बनाने जा रहे हैं या डाक्टर अम्बेडकर के बिल में या पर्सनल ला में । अभी मैं लिमिटेड एस्टेट के मामले को छोड़ता हूं । उस पर मैं बाद को आऊंगा ।

मैं अगली बात पूछता हूं कि हिन्दू ला की रू से बेवा को एक हिस्सा मिलेगा और अगर उसके चार लड़के हैं तो बेवा को पांचवा हिस्सा मिलेगा और सब को पांचवा पांचवा हिस्सा मिलेगा । अगर एक लड़का है तो आधा आधा मिलेगा । इसलिये मेरी अदब से गुजारिश है कि जो आज का हिन्दू ला है उसको तब्दील न किया जाये । यह सक्सेशन एक्ट से बहुत बेहतर है और कोई वजह नहीं है कि जो अपने पर्सनल ला से गवर्न होना चाहते हैं उनको सक्सेशन एक्ट से उनकी मर्जी के खिलाफ गवर्न किया जाये ।

अब आप इसको लड़की के पाइंट आफ व्यू से मुलाहिजा फरमाइये । हम जो हिन्दू कानून बनाने लगे हैं उसमें जहां तक डा० अम्बेडकर के बिल का ताल्लुक है लड़की और लड़के के सक्सेशन में कोई फर्क नहीं है । जितना विडो को मिलेगा उतना ही लड़के को और उतना ही लड़की को मिलेगा । अगर इनमें से कोई मौजूद नहीं होगा, अगर बेवा नहीं है और लड़का नहीं है तो सारी जायदाद लड़की को मिलेगी । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दू ला भी यही है कि लड़की को ऐसे हालात में जायदाद मिले ।

तो आप किस चीज के पीछे भागे जा रहे हैं ? क्या चीज है सक्सेशन एक्ट में जिसके पीछे यह भागे जा रहे हैं । मैं आपको कई खराबियां बतलाऊंगा लेकिन मैं पूछता हूं कि सक्सेशन एक्ट में कौनसा फायदा है जिसके पीछे आप जा रहे हैं । इसके अन्दर आप देखेंगे, इसके अन्दर और चीजें हैं, रात दिन का फर्क है, हम उनको पसन्द नहीं कर सकते । मैं उन लेडीज से पूछना चाहता हूं इस सक्सेशन एक्ट के अन्दर ईक्वैलिटी कहां है । इस सक्सेशन एक्ट में फादर को कुल जायदाद मिलेगी, अकेले फादर को सारी जायदाद मिलेगी, मदर को नहीं मिलेगी .....

श्री टंकचन्द : उन्होंने विधि को नहीं समझा ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : यह आप कैसे कह सकते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर फादर नहीं होगा तो मदर को मिलेगी, लेकिन भाई बहनों जितनी मिलेगी । जहां तक औरतों के हक का सवाल है, मैं कहूंगा कि वे लोग जो औरतों के हक्क की कस्म खाकर इस बिल के पीछे पड़े हुए हैं उनको अपना नोशन रिवाइज करना पड़ेगा । औरतों की ईक्वैलिटी के राइट्स का नोशन इस सक्सेशन एक्ट के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बारे में उनको रिवाइज करना पड़ेगा। दरअस्ल सक्सेशन एक्ट में वह चीजें नहीं हैं जिनके पीछे भागने से इस तरह बराबरी मिल जायगी। अगर आप सचमुच औरतों की बराबरी चाहते हैं तो आनरेबुल ला मिनिस्टर के पीछे पड़िये और हिन्दू मैरिज बिल में जो अच्छी से अच्छी चीजें हम चाहते हैं वह रक्खी जायें ताकि यह बिल ऐसा इम्प्रूव हो जाय कि दुनिया के वास्ते एक नमूना हो : आनरेबुल मिनिस्टर ने जब खुद अपनी तकरीर फरमाई थी तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि औरतों को ज्यादा हकूक मिलें। डाक्टर अम्बेडकर का हिन्दू कोड बिल इसी मकसद को लेकर सामने आया था और हमारे मौजूदा आनरेबुल ला मिनिस्टर साहब के बिल में भी लड़कियों के हकूक की काफी हिफाजत की गई है। अगर किसी आदमी के लड़का नहीं है तो कुल जायदाद की मालिक उसकी लड़की होगी। तो जहां तक औरतों के ज्यादती हुकूक का सवाल है मैं अदब से अर्ज करूंगा कि वह चीज इस ऐक्ट के अन्दर नहीं है। जनाब मुलाहिजा फरमाएं कि इसका असर क्या होगा। अब फायदा तो इससे कुछ नहीं है, अब जरा नुकसान मुलाहिजा फरमाइये। पहला असर तो इसका साइकोलिजिक्ल होगा। मसलन् अगर मेरी शादी हुए आज इतने वर्ष हो गये और आज मुझे बतलाया जाय कि इस पचास वर्ष की पहले की शादी को रीजिस्टर करा लो तो इसके मानी यह होंगे कि यह मेरे ऊपर स्लर है या मेरी जो धार्मिक मैरिज है वह इस नई मैरिज के तरीके के मुकाबले में कुछ खराब है, कुछ खराब तरीके की है और इससे मुझे कुछ ज्यादा चीज मिलेगी, मैं अर्ज करूंगा कि साइकोलिजिक्ली यह इतनी खराब चीज है जिसको कोई शरीफ आदमी हरगिज पसन्द नहीं करेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब एक जमाने में एक वक्त में एक शख्स ने शादी की तो उसके जितने भी रिश्तेदारान हैं, शादी वैसे देखने को मियां बीवी में होती है लेकिन दोनों कुनबों में रिश्तेदारी स्थापित होती है, शादियों में आपने देखा होगा मामा भात लेकर आता है और फूफा को अलग चीजें मिलती हैं, सारी आपस में रिश्तेदारी हो जाती है, एक सम्बन्ध हो जाता है और शादी का असर सारी सोसाइटी पर पड़ता है, इसलिये यह कह देना कि शादी महज दो आदमियों का खेल है यह जायज नहीं है। इस तरह की शादियों से सारी सोसाइटी फायदा उठाती है। मां, बाप का क्या हाल होता है, मां, बाप जो शादी करते हैं और लालन पोषण करते हैं उनका क्या नतीजा होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि अगर आज दो मुसलमानों ने तीस वर्ष हुए या चालीस वर्ष हुए शादी की थी आज आप कहते हैं कि तुम्हारे लड़के की शादी अगर इस ऐक्ट के मातहत हो गई तो सक्सेशन ऐक्ट में जो मां, बाप शेयरर्स हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुस्लिम ला के लिहाज से उन बूढ़े, मां और बाप को जिन्होंने लड़के की शादी की थी और जिनके लिये मेरे दोस्त बड़ा नर्म दिल रखते हैं, आप उन मां बाप के सारे एक्सपेक्टेशंस को बूश ऐसाइड करना चाहते हैं। मां और बाप को अगर लड़का मर जायगा तो कुछ नहीं मिलेगा, जो मुस्लिम ला है उससे बिल्कुल महरूम हो जायेंगे। "इट इज अनजस्ट टु दिस"। एक शख्स को इस तरह से मजबूर किया जाये। आप जिसकी शादी करते हैं उसके साथ आप क्या करते हैं। दफा बीस को देखिये। यहां पर कास्ट डिसऐबिलिटीज ऐक्ट क्यों एप्लाई किया है, रिलीजन या कास्ट कोई जाता नहीं लेकिन इसका मतलब यह है कि जिसकी शादी हो गई उसके राइट्स में किसी तरह कोई फर्क नहीं है वह अपने बाप की जायदाद ले सकेगा, वह बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे वह शादी के पहले था। लड़का और लड़की भी अपने सारे राइट्स को ज्यों का त्यों रक्खेंगे, लेकिन जब उनके सक्सेशन का सवाल आयगा जो लोग उनको सक्सीड करेंगे उनके साथ बेइंसाफी होगी, उनको और तरीके से सक्सेसर बनाया जायगा। यह सरासर गलत है कि दो तरह की चीज रक्खी जाय और यह

इक्वैलिटी आफ ला नहीं है, एक शख्स तो इस काबिल रहने दिया जाय कि वह सब अपना सक्सीड करता चला जाय, लेकिन जब उसके सक्सेशन का सवाल हो तो उसके सक्सेसर्स को मां बाप को जिनकी एंटीसिपेशंस और एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको उनसे महरूम रक्खा जाय। मुलाहिजा फरमा कर देखिये कि एक्ट की मौजूदा सूरत में क्या असर होगा। मसलन् दफा १६ को लीजिये : मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि किताब के अन्दर नाम लिखने से कि फलां की फलां के साथ शादी हुई है इससे आप कैसे एक शख्स का स्टेटस तब्दील कर सकते हैं। इस में क्या सूरत बनेगी। मान लीजिये एक शख्स के तीन लड़के हैं, वह एक हिन्दू ज्वाइंट फैमिली है, और पंजाब में हिन्दू ज्वाइंट फैमिली में कोई लड़का बाप की जिन्दगी में बटवारा नहीं करा सकता। तीन में से एक लड़के ने इस स्पेशल मैरिज के मातहत शादी की, बंटवारा वह करा नहीं सकता अब, शादी का क्या असर होगा ? वह उस ज्वाइंट फैमिली से जुदा हो जायगा और नतीजा यह होगा कि उसके जो दो और भाई हैं वह बाप को सक्सीड करेंगे और यह लड़का जिसने इस एक्ट के मातहत शादी की वह डिसइनहैरिट हो जायगा, बंटवारा वह करा नहीं सकता, बाप जब मरेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब के कायदे के मुताबिक वह बटवारा नहीं करा सकता। आप रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी जो दफा १८ है उसको मुलाहिजा फरमाइये, बड़ी खूबसूरत दफा है, मालूम पड़ता है कि किसी जादूगर की बनाई हुई है। दफा ११२ के एवीडेंस एक्ट में अगर कोई किसी का लाफुली बेडलॉक में बच्चा पैदा हो जाय और उसके ८० दिन के अन्दर बच्चा पैदा हो तो प्रीजम्शन है कि वह लैजिटिमेट है।

अगर एक शख्स विलायत में तीन साल तक रहा, कोई औरत तीन वर्ष तक विलायत में रहे और उसका खाविंद उसके पास न हो या एक्सेंस साबित न हो तो उस सूरत में दफा ११२ एवीडेंस एक्ट की रू से यह साबित नहीं होगा कि यह लड़का लैजिटिमेट है और लाफुली बेडलॉक में पैदा हुआ है। दफा १८ आप मुलाहिजा फरमाइये, जनाबवाला मैं भी चाहूंगा कि लैजिटिमेसी को प्रोत्साहन हो लेकिन जिन सूरतों में नान एक्सेस साबित हो वह ११२ की रू से इल्लिजिटिमेट करार दिया जायगा और नतीजा यह होगा कि उनके हक्क और उनके इनहैरिटेंस पर असर पड़ेगा और खिलाफ ११२ एवीडेंस एक्ट के उन बच्चों को जो नाजायज हों जायज करार दिया जायगा लेकिन ऐसी हालत में जब कि बाप जानता है कि मैं लड़के का बाप नहीं हूं, मैं तो उस समय इंग्लैंड में था, तब उसके मेनटेनेन्स और उसके इनहैरिटेंस सब चीज का जिम्मेदार एक ऐसा शख्स कानूनन बने जो दरअस्ल जिम्मेदार नहीं है यह जस्ट नहीं है।

श्री एस० एस० मोर : किन्तु ऐसा आदमी रजिस्ट्रार के पास अपने पहले विवाह को पंजीबद्ध करवाने के लिये नहीं जायगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं। हमें सभी प्रकार के लोगों के लिये उपबन्ध करना है।

श्री एस० एस० मोर : जिस आदमी को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है वह रजिस्ट्रार के सामने जा कर अपने विवाह को पंजीबद्ध नहीं कराएगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : गरीबनवाज, आप ने दफा २४ और २५ में ऐसी औरतों को देखा है जिन की शादियां नहीं हुई हैं और वह प्रेग्नेन्ट हैं। तो मैं कहता हूं कि दुनिया के अन्दर ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप और हम सोच नहीं सकते हैं। इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि नाजायज बच्चे का बाप जो अपनी शादी रजिस्टर करता है लेकिन दफा ११२ के मातहत उसके बच्चे की लैजिटिमेसी प्रूव नहीं होती है और बच्चे का भाई जो जायज है एतराज करता है तो उस जायज बच्चे को हक से महरूम करना जायज नहीं है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसके अलावा आप जरा मुलाहजा फरमायें कि एक शख्स जिसकी शादी धार्मिक शास्त्र की रू से हुई और उसका कल को रजिस्ट्रेशन हुआ शादी के तीस या चालीस बरस बाद। अब फर्ज कीजिये कि उस के पहले से दो लड़के मौजूद हैं और दो लड़के बाद में भी हो गये, वह दो पहले लड़के अपने दादा के साथ मुश्तरका रहेंगे और वह हिन्दू ज्वाइंट फैमिली की तरह रहेंगे। सिर्फ वह शख्स जिस की शादी हुई है वह हिन्दू ज्वाइंट फैमिली की तरह नहीं रहेगा। इस तरह से एक शख्स को, जिस के मां बाप वही हैं जो दूसरे के हैं उसके मां बाप की ही जायदाद मिलेगी, लेकिन दूसरे लड़के को उस के मां बाप की जायदाद भी मिलेगी और वह जायदाद भी मिलेगी जो कि उस के ग्रैंड फादर की होगी। यह कहां तक इन्साफ की बात है। एक रजिस्टर में नाम दर्ज होने से ही वह अपने घर की जायदाद से महरूम हो जाय यह कहां तक दुरुस्त और जायज है ?

इसी तरह से आप मुलाहजा फरमायेंगे, मैं मोरे साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि वह मुझ को थोड़ा सा एन्लाइटन करें। मैं एक बात समझ नहीं सका। मैं पूछना चाहता हूं.....

श्री एस० एस० मोरे : आप उस भाषा में जो कह रहे हैं वह मैं नहीं समझता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आप उसे नहीं समझते तो मैं आपके उत्तर को नहीं समझता।

सभापति महोदय : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खण्ड १५ से १६ तक के लिये ४ घंटे तथा १६ से २१ तक के लिये ३ घंटे निश्चित किये गए हैं।

श्री एस० एस० मोरे : कार्य मंत्रणा समिति ने यही निश्चय किया है।

सभापति महोदय : हां, किन्तु श्री एन० सी० चटर्जी का सुझाव है कि खंड १५ से २१ तक की कुल बहस के लिये ७ घंटे रखे जायं। यह श्रेयस्कर है।

श्री बिस्वास : मुझे कोई आपत्ति नहीं। सभा जो उचित समझे, वही करे।

सभापति महोदय : यदि सभा की यही इच्छा हो तो हम इसे अपना सकते हैं।

डा० जयसूर्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमें बोलने के लिये उतना ही समय दिया जायगा ?

सभापति महोदय : अभी मैं दूसरी बात का उल्लेख कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि क्या खंड १५ के साथ हम अन्य खंड, २१ तक ले सकते हैं।

श्री बिस्वास : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मुझे उत्तर देने के लिये एक घंटे के समय की आवश्यकता है।

श्री के० के० बसु : यह समय तो बहुत अधिक है।

सभापति महोदय : क्या ४५ मिनिट काफी नहीं होंगे ?

श्री बिस्वास : मैं कम-से-कम बोलने का प्रयत्न करूंगा, किन्तु एक घंटे का समय ही उचित होगा।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप ४५ मिनिट में काम चला लीजिये। हां तो क्या सभा सहमत है कि इन खंडों पर एक साथ विचार हो ?

श्री टंकचन्द : मेरी धारणा तो यह है कि यदि खंडशः विचार हो तो खंडों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।

सभापति महोदय : ठीक है, किन्तु बार बार तर्क में ये खण्ड दोहराये जायेंगे और समय नष्ट होगा। जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें १५ मिनिट में पढ़ कर समाप्त कर दूंगा।

श्री राघवाचारी : अच्छा, तो समय बदल दिया गया ?

सभापति महोदय : जी, यदि सभा चाहे तो यह हो सकता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हां, हां, हम निश्चित अवधि के भीतर ही तो काम कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : अच्छा, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं ने जनाब की इजाजत से जो और क्लाजेज हैं उन के अमेंडमेंट्स का पहले से ही नोटिस दे दिया है और मेरे नाम से जो अमेंडमेंट्स हैं मैं उन सब पर एक साथ ही आपकी इजाजत से बोलना चाहता हूं ताकि एक ही दफा में मामला खत्म हो जाय ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस तरीके से इसके कांसीक्वेंसेज दफा १६, २० और २१ में हमारे सामने आये हैं वे ऐसे हैं जो न हमारे फायदे में हैं और न कानूनन जायज हैं। मैंने अभी दफा १६ का जिक्र किया । इस दफा की रू से जो कोई मैरिज रजिस्टर होगा या वैसे भी होगा तो उस पर जो असर पड़ता है उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दफा १६ बिल्कुल गैर जरूरी है । यह मुल्क में मुकदमेबाजी को बढ़ाने वाली होगी । सब से ज्यादा पंजाब के लिये इसके नतायज खराब होंगे । इसकी रू से एक पंजाबी लड़का जो अपने बाप से उसकी जिन्दगी में बंटवारा नहीं करा सकता और जो कि एक ज्वाइंट हिन्दू फैमिली का मेम्बर है वह तो बिल्कुल डिसइनहेरिट हो जायगा । शादी के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा । बाप की जिन्दगी में वह बटवारा करवा नहीं सकता, बाद में उसे कुछ मिलेगा नहीं । हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने बहस करते हुए यह कहा था कि यह तो नेशनल पार्टिशन है । इसका ज्यादा असर नहीं होगा । मैं, जनाब वाला, इन अल्फाज के माने ठीक से नहीं जानता "सेवेरेंस फ्राम हिज फैमिली" । इसके एक मानी यही होते हैं कि उसका राइट आफ सरवाइवरशिप जाता रहेगा । लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसमें और क्या चीज हो सकती है । हमको देखना है कि क्या इसका उतना ही असर होगा कि जितना मिनिस्टर साहब फरमाते हैं । मैं बतलाना चाहता हूं कि इसका क्या असर होगा । जितने हिन्दू ज्वाइंट फैमिलीज के फर्म हैं वे पार्टनरशिप में तब्दील करने होंगे क्योंकि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली के फर्म को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है । जाहिर है कि राइट आफ सरवाइवरशिप नहीं होगा तो उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा । इसका यह असर होगा कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली डिसरप्ट हो जायगा और आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी यह सोचने लगेगा कि मैं जायदाद में अपना हिस्सा करवा लूं । एक ज्वाइंट खानदान में बीसियों बरस तक कोई जायदाद किसी मेम्बर के नाम और कोई किसी के नाम में पड़ी रहती है और जो कर्ता होता है वह सब का इन्तजाम करता है । लेकिन अब उसकी मैनेजरी खत्म हो जायगी । और मैं अर्ज करूंगा कि सिर्फ सरवाइवरशिप ही खत्म नहीं होगी बल्कि इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी । इससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा, उनका आपस में डिसरप्शन होगा और लिटिगेशन होगा । यह इतना आसान नहीं है ।

श्री बिस्वास : जब संयुक्त मिताक्षरा परिवार का सदस्य अलग होना चाहता है तब भी तो वही विधि लागू होती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ठीक है ! मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है वह बिल्कुल दुरुस्त है और यही मेरा सबसे सख्त जवाब है । जब हर एक हिन्दू को यह अख्तियार है और वह अपने सेपरेशन को अपने हाथों आफ दी हैंड में लिया फिरता है तो इस कानून के बनाने की क्या जरूरत है । जो चाहेगा वह अपने इंटरेस्ट को अलग करवा लेगा । आप उसको मजबूर क्यों करते हैं । अगर कोई इस तरह की शादी के बाद अपने खानदान वालों के साथ रहना चाहता है और उसके मां बाप उसको अपने साथ रखने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को राजी हैं तो आप क्यों यह कानून बनाना चाहते हैं। अगर एक मेम्बर को हक है कि वह अलग हो जाय तो दूसरे मेम्बरों को भी यह हक है कि उसको अपने साथ रखें या न रखें। इसके बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वह खुशी से अपने लोगों के साथ रहना चाहता है तो उसको रहने दीजिये। उसको मजबूर न कीजिये कि उसे अपनी ज्वाइंटनेस खत्म करनी पड़े। आखिर हिन्दू ज्वाइंट फैमिली में कुछ तो अच्छाई होगी कि लोग करोड़ों रुपया ज्यादा टैक्स दे कर उसमें रहना पसन्द करते हैं आपकी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है कि वह फिर रीयूनाइट भी हो सकते हैं----तो बेहतर है कि आप शामिल ही रहने दें।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

इस कानून से तो सरकार को भी नुकसान होगा। आपने एस्टेट ड्यूटी बिल में जो ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के लिये लिमिट रखी है वह एक रखी है और दायभाग वालों के लिए दूसरी रखी है। तो इसमें सरकार का नुकसान होगा। आपको कम रुपया वसूल होगा। इस वास्ते भी यह जायज नहीं है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं है।

इसके अलावा आप दफा २० का मुलाहिजा फरमावें। दफा २० काफी खराब है क्योंकि यह एप्लाई करती है जिसकी शादी हो उसको। यह ठीक है कि जो इसकी रू से शादी करेगा उसके राइट्स पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन उसकी औलाद का क्या होगा। उसकी सारी की सारी औलाद उस पुराने खानदान की मेम्बर नहीं रहेगी जिस खानदान का फर्द शादी करता है। इसके वास्ते मेरे पास आथारिटीज मौजूद हैं। इसका यह असर होगा कि अगर कोई इस बिल की रू से शादी करे तो उसका बेटा अपने दादा का पोता नहीं रहेगा। वह स्ट्रेजर्स होंगे।

श्री एस० एस० मोरे : वे तो रिश्तेदार ही रहेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्षमा करिए। वास्तव में यह बात नहीं है। मैं इसी वास्ते आपकी मदद चाहता था लेकिन आपने देने से इन्कार कर दिया। एक शख्स जो आज मुसलमान से शादी करता है उसके औलाद हो जाती है। क्या ब्लड रिलेशन अपने दादा के साथ रहेगी। ऐसा होने के लिए हिन्दू ला के मातहत शादी होनी चाहिए।

श्री एस० एस० मोरे : यह एक वैध विवाह है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ठीक है। किन्तु हिन्दू विधि में यह एक तिरस्कृत विवाह है। अगर आप दफा को मुलाहिजा फरमायेंगे तो यह रोशन होगा कि वह शादी करने वाले को तो बचाती है लेकिन और सब को डिसएबिल करती है।

दफा २१ और भी ज्यादा सख्त है। कभी आपने ऐसा कानून देखा है कि एक आदमी के एक शादी कर लेने से महज एक चीज तो एक ला से गवर्न हो और बाकी सारी दूसरे से गवर्न हों। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेनटिनेन्स और इनहेरिटेंस ये दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड चीजें हैं। यह कैसे जायज है कि मेनटिनेन्स तो गवर्न हो हिन्दू ला से और सक्सेशन गवर्न हो सक्सेशन ऐक्ट से। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अगर एक हिन्दू अपनी पुरानी शादी को इस ऐक्ट के मातहत रजिस्टर करवा ले या इस ऐक्ट में शादी करे तो उसका मेनटिनेंस और दीगर इंसीडेंस तो गवर्न होंगे हिन्दू ला से और सक्सेशन गवर्न होगा दफा २१ से। यह एक ऐसी बात होगी जो कि कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपकी तवज्जह ऐक्ट ३, सन् १८७२ की दफा १८ की तरफ दिलाना चाहता हूं उसके अनुसार मैं यह समझा कि जहां तक मैरिज की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का ताल्लुक है वहां तक उसका बाप इस ऐक्ट

की दफा १८ से गवर्न होगा। जिसका यह मतलब हुआ कि सक्सेशन गवर्न होगा सक्सेशन एक्ट की रू से और मैरिज के लिहाज से और दूसरी चीजों के लिहाज से उसके फादर का जो ला है वह उसको गवर्न करेगा। इसका मतलब यह होगा कि एक ही शख्स के लिए दो ला बने। यह मुनासिब और जायज नहीं है। एक शख्स जिसकी उम्र पचास साल की है और जिसके तीन लडके हैं जिनमें से एक २५ साल का, दूसरा २० साल का और तीसरा १८ साल का है और उन तीनों की शादी धार्मिक ला से हो चुकी है। अब अगर वह शख्स अपनी शादी रजिस्टर करा ले ५० साल की उम्र में, या वह इस एक्ट में नयी शादी कर ले, और उस शादी से उसके दो लडके हो जायं तो क्या स्पेक्टीकल होगा। दफा २१ की रू से उन तीनों लडकों का सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा। चाहे वे लडके अपने को रीजिस्टर न करावें लेकिन तो भी दफा १८ की रू से डेट आफ मैरिज से सब जायदाद दफा २१ से गवर्न होगी। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें इतनी एनामिलीज निकलती हैं कि एक ही बाप और मां का बेटा और बेटी मुख्तलिफ कानून से गवर्न होंगे जो मुनासिब नहीं होगा, इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हम ने इस पर काफी गौर नहीं किया कि इसके कितने रिपरकशन्स होंगे और उस में अजब अजब बातें निकलेंगी, ऐसी बातें जो कि कम से कम, जहां तक इस देश के कानून का सवाल है, कहीं नहीं देखी गयीं कि एक हिस्सा एक ला से गवर्न हो और दूसरा हिस्सा दूसरे ला से गवर्न हो, इस तरह की एक चीज इसमें नजर आती है जो कि अनवारंटेड है।

मैं जनाब की तवज्जह अपने दूसरे अमेंडमेंट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैंने यह चाहा कि यह मैरिज जो है यह सारी की सारी कंट्रैक्ट बेसिस पर हो इस वास्ते मैरिड कपल को आप यह अखित्यार दें दें कि वह खुद फैसला कर लें जिस वक्त वे शादी करें, उस वक्त ही फैसला कर लें कि वह किस ला से गवर्न होंगे आया सैक्रामेंटल ला से, मुस्लिम ला से, इस सक्सेशन एक्ट से या किसी खास टर्म और कंडीशंस से गवर्न होंगे। चुनांचे मैंने अपने अमेंडमेंट २७४ के अन्दर उनको यह अख्तियार दिया है कि वह चाहे जिस तरह से फैसला कर लें और उनका वह फैसला ही उनको पाबन्द करे। और उनकी औलाद को पाबन्द करे। एक अजीब सवाल पैदा होगा अगर उनकी औलाद सक्सेशन एक्ट से पाबन्द होगी। औलाद जब बड़ी हो जायगी और अगर वह शास्त्रीक तरीके से शादी करना चाहेंगे तो वे उस तरह कर सकेंगे या नहीं.....

पंडित के० सी० शर्मा : कर सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ईश्यू आफ मैरिज में दर्ज है "ऐसे विवाह का प्रश्न तो कथित अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विनियमित होगा"।

पंडित के० सी० शर्मा : भूमि और रक्त के मिश्रण का क्या सम्बन्ध है ? इस से संतति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आप की बात को कुछ नहीं समझा। आप खंड २१ की ओर ध्यान दीजिए। यदि शास्त्रोक्त विधि से विवाहित पुरुष के तीन लड़के हैं और वह अपना विवाह पंजीकृत करा लेता है तो उन लड़कों की सम्पत्ति का क्या होगा ?

श्री सी० सी० बिस्वास : उस का निर्णय इस अधिनियम द्वारा हो सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप खंड १९, २० और २१ के अर्थ पर ध्यान दीजिए। उनमें "सम्पन्न होना" लिखा है किन्तु खंड २४ (२) में "सम्पन्न होना मान लिया जायगा" शब्द लिखे गए हैं। क्या दोनों का एक ही अर्थ है या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि यदि विवाह पंजीकृत करा लिये जाते हैं तो खंड १९, २० और २१ लागू नहीं होंगे ?

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित---आंग्ल-भारतीय): अजी, वे बच्चे अनौरस कहलाएंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि माननीय मंत्री ऐसा चाहें तो उसे मानने में मुझे प्रसन्नता होगी ।

श्री बिस्वास : आप खंड १६ की ओर तो ध्यान दीजिए । स्पष्ट लिखा है कि पंजीकृत होने के उपरान्त ही वह विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत आएगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु श्रीमान्, यदि पंजीकरण से पहले ही बच्चे हो गए, तो उन का क्या होगा ? खंड २४(२) में तो लिखा है "सम्पन्न होना मान लिया जायगा" । क्या मैं इस का यह अर्थ समझूं कि पंजीकृत विवाह के विषय में खंड १६, २० और २१ लागू नहीं होंगे क्योंकि ऐसे विवाह "सम्पन्न मान लिये जायंगे", और वे वास्तव में तो 'सम्पन्न' होंगे ही नहीं । आखिर 'सम्पन्न मान लिये जायेंगे' का और क्या अर्थ लगाया जाय ?

श्री वेंकटरामन् : आप तो वह अर्थ लगा रहे हैं जिसका कदापि आशय नहीं था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हो सकता है कि मैंने माननीय मंत्री के अर्थ को ठीक प्रकार से न समझा हो ।

अब मैं दूसरी बात कहता हूं मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं उस सूरत में यह मौका उन को देना चाहता हूं, मैं उनको बांधना नहीं चाहता हूं । मैं कहता हूं कि आप उनको इजाजत दे दीजिये, कंट्रैक्ट करने दीजिये । इसमें आपके सक्सेशन ऐक्ट में जहां सक्सेशन का जिक्र है वहां पर एक फिकरा आता है जो खास मानी रखता है । सक्सेशन ऐक्ट की रू से जिसको इतना सैक्रेड समझा जाता है एक बेवा औरत को अपने खाबिन्द की जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा अगर वह कंट्रैक्ट हो गया है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अमेंडमेंट में यह सुझाव दिया है कि वे अपनी शादी के मौके पर खुद फैसला कर लें, कंट्रैक्ट करलें कि क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी जो उनको गवर्न करेंगी और कौन ला उनको गवर्न करेगा और उनका जो कंट्रैक्ट हो उसके मुताबिक आप फैसला कर लीजिये, आप इस झंझट में क्यों पड़ते हैं कि उन पर कौन ला एप्लाई करेगा । यह मेरा अमेंडमेंट है जिस पर मैं बहुत जोर देना चाहता हूं और जिसकी तरफ मैं अपने ला मिनिस्टर की खास तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह मेरे अमेंडमेंट्स नम्बर २६८, २६९ और २७० हैं । मैं पहले अपने अमेंडमेंट नम्बर २७० की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं । मैं खुश हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जब कि इस बिल पर बहस हो रही थी, या दूसरे बिल पर बहस हो रही थी तो हम को यकीन दिलाया था कि उन की खुद की यह राय है कि जिस वक्त किसी आदमी की शादी हो तो उन की प्रापर्टी शादी के मौके पर ज्वाइंट हो जाय तो मुनासिब चीज है । हिन्दू ला के मुताबिक, दूसरे मजहबों का तो मुझे पता नहीं...

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): आय-कर कौन देगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह संयुक्त सम्पत्ति से दिया जायगा ।

सभापति महोदय : कृपया भाषण जल्दी समाप्त कर दीजिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, मैं खुद चाहता हूं कि कम से कम टाइम लूं। मैंने एक लफ्ज भी, जहां तक मैं समझता हूं, रिपीट नहीं किया है, न मेरा रिपीट करने का इरादा है। लेकिन आपने जो एडवाइस दी है उसका मैं जरूर लिहाज रक्खूंगा। सिवा इसके कि मैंने अपने एमेन्डमेंट पढ़े हैं, उन पर मैंने अभी कुछ अर्ज नहीं किया है। चूंकि मैंने ८, १० एमेन्डमेंट दिए हैं और जितनी बातें उन में कही हैं उन में से ऐक भी ऐसी नहीं है जिसके मुताल्लिक कुछ यहां पर कहा गया हो। उन्हीं के मुताल्लिक मैं कुछ कहूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मिनट भी ज्यादा न लूं और ऐसी ही कोशिश करूंगा कि आपके हुक्म की तामील कर सकूं ।

जनाब वाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जब दूसरे बिल पर बहस हो रही थी तो खुद फरमाया था कि वह इस उसूल को मानते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास उनका कोटेशन मौजूद है, इसलिए मैं पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता हूं। मैं ने उस वक्त अर्ज किया था आनरेबल मिनिस्टर साहब की खिदमत में कि हिन्दू ला में औरत को अर्धांगिनी कहते हैं, जिस्म की आधी मालिक समझी जाती है, अंग्रेजी में उसको बेटर हाफ कहते हैं, इसको आप कानून में दर्ज कर दें। उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि वह जनरल ला बना रहे हैं उसमें इस पर वह गौर करेंगे। मुझे पता नहीं कि वह कानून कब आएगा, लेकिन चूंकि वह फरमाते हैं इस लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरी अर्ज यह है कि इस वक्त आपके रूबरू जो हेडिंग है "कान्सिक्वेन्सेज आफ मैरेज अन्डर दिस एक्ट" उसकी मौजूं जगह यही है और आप उसको इसी जगह पर रहने दें। सैक्रेमेंटल मैरेज के अन्दर कन्ट्रेक्ट का भी सवाल नहीं है। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्रसंविदं के अभाव में मान्यता को स्थान दिया जाये। इस वास्ते मैं यह दो चीजें आपकी खिदमत में रक्खूंगा कि इनको रख दिया जाय। मैं इन चीजों के वास्ते सीरियस हूं, मैं इसको महज एमेंडमेंट के तौर पर पेश करना काफी नहीं समझता। मैं बड़े जोर से हाउस से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस उसूल को मान लिया जाए तो यह हमारे सारे सक्सेशन ला का फैसला करता है। हिन्दुस्तान के अन्दर औरतों के हुकूक देने के वास्ते यह सबसे बड़ा पैनीसिया है। मैं तो अर्ज करूंगा कि अगर आप इसको यू० एन० ओ० में भी ले जाएं तो सारी दुनिया में कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा कि औरत को जिस्म का हिस्सा माना जाय। पर्सनल ला के बारे में मैंने अर्ज किया कि उसको हिन्दुस्तान में तो हिन्दुओं को मान ही लेना चाहिए। बहुत सी चीजों के बारे में पर्सनल ला हमारे यहां कायम है।

एक और अमेंडमेंट मेरा है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उसके बारे में मेरी गुजारिश यह है कि अगर यह चीज हो कि एक पुरानी मैरेज को हम नए कपड़ों में रख दें तो यह बहुत मुनासिब चीज नहीं है। जब यह मालूम हो कि उसको दूसरी चीज में फायदा नहीं है और कोई आदमी वहीं वापस जाना चाहे जहां से कि वह गया था तो यह मुनासिब चीज है। यह कन्सिस्टेंट चीज है ताकि वह शख्स वहां वापस चला जाय जहां से वह गया था।

मैं ने जनाब की खिदमत में चन्द एक एमेंडमेंट्स और पेश कर दिए हैं। कई एक ऐसे एमेंडमेंट्स भी हैं जो कि दे दिए गए हैं लेकिन मैं उन पर ज्यादा हाउस का वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे बहुत से लायक दोस्त उत्सुक हैं कि वह भी जल्दी बोलें।

एक सवाल मैं समझना चाहूंगा आनरेबल मिनिस्टर साहब से, अगर किसी मुसलमान ने जिसकी शादी शरियत के मुताबिक हुई हो, या एक हिन्दू ने जिसकी शादी सैक्रेमेंटल तरीके से हुई हो, अपनी मैरेज रजिस्टर करा ली हो, तो क्या उनकी पुरानी शादी एबोगेट हो जाएगी या नहीं? अगर एबोगेट नहीं होगी तो आगे उन की एक मैरेज चलेगी या दो चलेंगी? यह सवाल है जिसका मैं जवाब चाहता हूं क्योंकि अगर उसकी पुरानी जगह कायम है तो वह फिर रिवाइव हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो सवाल यह होगा कि अगर किसी वजह से इस एक्ट की रू से मैरेज आफिसर करार दे दें कि यह रजिस्टर नहीं हो सकता तो वह कहीं दोनों तरफ से तो नहीं मारा जाएगा, वह अनमैरीड तो नहीं हो जाएगा? मुझे पता नहीं उस वक्त क्या सूरत हो जाएगी।

श्री बिस्वास : समझ में नहीं आता कि इससे आपका मतलब क्या है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं दो तीन सवाल और अर्ज कर दूं। सक्सेशन एक्ट में लिखा है :

"लीनियल डिसेंडेंट"। उसमें न बेटे की तारीफ है और न बाप की तारीफ है। हमारे यहां इल्लेजिटिमेट सन्स और इल्लेजिटिमेट डाटर्स

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

भी हैं। मैं आप से पूछूंगा कि किसी शख्स का लड़का लीनियल डिसेंडेंट है वह लेजिटिमेट है। लीनियल डिसेंडेंट की तारीफ सक्सेशन एक्ट में है, गोंकि उसमें लिखा है कि हिन्दुओं को यह एप्लाई नहीं करेगा, ताहम उसमें लीनियल डिसेंडेंट की तारीफ है। लेकिन हो सकता है कि कोई लड़का लीनियल डिसेंडेंट अपने बाप का तो है, लेकिन शायद मां का न हो, या मां का जो बेटा है वह मां का तो लीनियल डिसेंडेंट हो लेकिन बाप का न हो। ऐसी सूरत में कैसे मामला चलेगा और कैसे उसको इन्हेरिटेंस मिलेगा? यह एक सवाल है जो मैं दर्याफ्त करना चाहता हूं और जो कि गौरतलब है। हिन्दू ला में तो लेजिटिमेसी की तारीफ दी हुई है और वह लिबरल है। उसके मुताबिक हमारा काम पूरी तरह से चल सकता है। इस लिए पर्सनल ला पार्टीज में जो शादियां हुई हैं उसकी रजिस्ट्रेशन की इसमें जरूरत नहीं है। जिन के लिए प्राविजन न हो उनके लिए आप चाहे जो कुछ करें, लेकिन जिनके लिए प्राविजन मौजूद हैं उनके लिये आप क्यों कुछ करते हैं। जिनके लिए प्राविजन हैं उनके वास्ते न कीजिए, बाकी के लिए आप कर दें।

मैं हाउस का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझ को इतना वक्त दिया और मेरी बात को सुना।

सभापति महोदय: अब हम संशोधनों को लेते हैं जो सभा के सम्मुख रखे जाएंगे। माननीय सदस्य क्रम से अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसके उपरान्त श्री बी० पी० सिन्हा ने संशोधन संख्या २६ तथा श्री टंकचन्द ने संशोधन संख्या ३७६ प्रस्तुत किए।

श्री वेंकटरामन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पृष्ठ ६ की पंक्ति ४७ के अन्त पर निम्नांकित अंश जोड़ा जाय:

"Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any such children any right in or to the property of any person other than their parents in any case where, but for the passing of this Act, such children would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of their not being the legitimate children of their parents."

संशोधन संख्या ३२०

["किन्तु इस धारा का कहीं यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसे बच्चों को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं कि सिवाय इस अधिनियम के पारण के, उन्हें माता-पिता के अलावा अन्य किसी की सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में वे अधिकार मिल जाएंगे जो उन्हें अनौरस संतान होने के कारण नहीं मिल सकते"]

इसके उपरान्त डा० रामा राव ने संशोधन संख्या १३५, की एन० सी० चटर्जी ने संशोधन संख्या १६५, श्री एज० जी० वैष्णव ने संशोधन संख्या ३७७ तथा श्री टंकचन्द ने संशोधन संख्या ३७८ प्रस्तुत किए।

श्री वेंकटरामन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पृष्ठ ७ की पंक्ति १६ के अन्त पर निम्नलिखित अंश जोड़ा जाय:

"And for the purposes of this section that Act shall have effect as if chapter 3 of Part V (special Rules for

Parsi intestates) has been omitted therefrom."

संशोधन संख्या ८२

["और इस धारा के उद्देश्यों के लिये वह अधिनियम इस प्रकार लागू होगा मानों भाग ५ का अध्याय २ (पारसी वसीयत हीनों के लिये विशेष नियम) वहां से निकाल दिया गया हो।"]

इसके उपरान्त श्री टेकचन्द ने संशोधन संख्या २७६, पंडित के०.सी० शर्मा ने संशोधन संख्या ५०८, श्रीमती जयश्री ने संशोधन संख्या ७० और ८० तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या २२१, २६८, २६६, २७० तथा २७४ प्रस्तुत किए।

सभापति महोदय द्वारा उपरोक्त संशोधन रखे गए।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम): मैंने खण्ड १ पर अपना संशोधन दिया है।

सभापति महोदय: अभी हम खण्ड १ को नहीं ले रहे हैं।

श्री पोकर साहेब: किन्तु कार्यक्रम के अनुसार वह भी सात घंटे की कार्यवाही में सम्मिलित है।

सभापति महोदय: ठीक है, माननीय सदस्य इसको पटल पर रख दें।

श्री पोकर साहेब: यह संशोधन संख्या ३३६ है तथा मेरे विचार से पहले ही पटल पर रखा गया है।

सभापति महोदय: यदि उसको आप पटल पर पहुंचा दें तब उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री पोकर साहेब: मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस पर बोलने का मौका दिया जाए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री पोकर साहेब: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १ पर, पंक्ति १० के पश्चात "provided that it shall not apply to Muslims" ["परन्तु यह मुसलमानों पर लागू नहीं होगा"] शब्द जोड़ें जाएं।

सभापति महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री पोकर साहेब: इस विधेयक का तीसरा अध्याय, बहुत ही बेढ़ंगा भाग है। इसके पश्चात किसी भी पुरुष तथा स्त्री में पंजीबद्ध विवाह हो सकता है परन्तु चालीस तथा पचास वर्ष पहले हुए विवाह भी इसके अन्तर्गत पंजीबद्ध हो सकते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे बूढ़े जिनके, बेटे, पोते, तथा पड़पोते तक हैं इस विधेयक से लाभ उठा सकेंगे।

पहला लाभ एकपत्नीव्रत-सम्बन्धी है, दूसरा लाभ विवाह-विच्छेद का अधिकार तथा तीसरा लाभ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकार का अधिकार है। एकपत्नीव्रत के अनुसार कोई व्यक्ति एक पत्नीव्रत होकर ही पंजीबद्ध हो सकता है तथा स्त्री केवल एकपतिव्रता ही रह सकती है। इस पति के तीन अथवा चार पत्नियां तथा उनके बच्चे हो सकते हैं। इस अध्याय के अनुसार जो पति पत्नी पंजीबद्ध होना चाहेंगे उनको अपने बच्चों की सूचि भी रजिस्ट्रार को देनी होगी यह सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बच्चे हिन्दू विधि के विवाहानुसार अथवा मुसलमानों के निकाह के अनुसार पैदा हुए होंगे उनको इस विधेयक के उपबन्धों जैसे विवाह-विच्छेद, तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से ही चालित होना पड़ेगा। अतः यह निश्चित है कि इस अध्याय के अनुसार पंजीबद्ध हुए पति-पत्नी पर ही असर नहीं होगा बल्कि पंजीबद्ध होने से पहले पैदा हुए बच्चों पर भी इस विधेयक का असर पड़ेगा।

यह कहना निरर्थक है कि धारा १८ के अनुसार पंजीबद्ध होने से पहले पैदा हुए बच्चों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। क्योंकि उसमें दिया गया है कि धारा २४ के अलावा जो पंजीबद्ध विवाह, विवाह प्रमाणपत्र पुस्त में चढ़ा दिए जायेंगे, उनके बच्चे भी उसी तिथि से इस विधेयक के द्वारा शासित

[श्री पोकर साहेब]

होंगे । अतः वे उन बूढ़ों के बच्चे भी चाहे उन बच्चों के भी बेटे, पोते हों इसी के द्वारा शासित होंगे । इसके लिए इन बच्चों की सलाह भी नहीं ली जायेगी और न इसकी सूचना इनको दी जायेगी कि आज से तुम पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा । अतः सारे देश में इतना महत्वपूर्ण सुधार टेढ़े तरीके से क्यों लागू किया जाये । यह कहा जाता है कि यह ऐच्छिक है परन्तु कई प्रकार से यह ऐच्छिक प्रतीत नहीं होता जैसे पंजीबद्ध होने के पश्चात् भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से शासित हो सकता है तथा वह अपने धर्म पर भी स्थिर रह सकता है । १९७२ के विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार उनकी रूढ़िवादी विधियां उन पर लागू नहीं होती थीं परन्तु इस विधेयक में पंजीबद्ध होने वाले उन विधियों से भी शासित हो सकते हैं । जैसे 'क' का बेटा किसी अन्य धर्मावलम्बी से विवाह करता है तो 'क' उसको अपना वारिस करार नहीं देगा, परन्तु 'क' का बेटा इस विधेयक के अनुसार उसका वारिस अवश्य बनेगा । इस प्रकार की उलझन पैदा हो सकती है । अतः मैं अपना संशोधन संख्या ३२६, प्रस्तुत करता हूं ।

जब इस विधेयक पर राज्य सभा में विवाद हो रहा था तब माननीय विधि-मंत्री ने कहा था.....

पंडित के० सी० शर्मा : 'मुस्लिम' की क्या परिभाषा है ?

श्री पोकर साहेब : यदि आप न जानते हों तो मैं इसकी परिभाषा कर सकता हूं ।

मैं कह रहा था कि राज्य सभा में माननीय विधि-मंत्री ने बताया था कि अधिकतर मुसलमान इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं । इस विधेयक के अनुसार जो विधिपूर्वक नहीं हो सकता था, उसी के लिए स्वीकृति दी जा रही है । जैसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि में विवाह संबंध स्थापित होना । अतः मेरे विचार से इस विधेयक पर जनता की राय लेना नितान्त आवश्यक है क्योंकि यदि मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम विधिपूर्वक विवाह-सम्बन्ध बनाना चाहते हैं तो मुस्लिम जनता की राय लेना आवश्यक है जिससे कि मुसलमानों पर ज्यादती न हो ।

सभापति महोदय : इस स्तर पर जनता की राय लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि विधेयक राज्य-सभा से आया है ।

श्री पोकर साहेब : मैं यह अपने संशोधन के पक्ष में बता रहा हूं कि मुसलमानों की राय लेना आवश्यक था । यह विभिन्न समुदायों से संबंधित है अतः प्रत्येक समुदाय की सम्मति जानना आवश्यक है । राज्य-सभा के निश्चय के अनुसार जनता की सम्मति मांगी गई है अतः मेरा प्रस्ताव है कि यह मुसलमानों पर लागू नहीं होना चाहिए ।

सब का कथन है कि यह ऐच्छिक है परन्तु यदि 'क' मुसलमान 'ख' हिन्दू से विवाह करता है तो उनके बच्चे उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होंगे । मान लिया इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु इसका प्रभाव तो पड़ता है कि वह मुसलमान रहेगा तथा मुस्लिम विधि के अनुसार उसको अपने उन रिश्तेदारों का जायज वारिस होने का अधिकार होगा, जबकि के रिश्तेदार उसको अपना वारिस करार नहीं दे सकते । अतः मुसलमानों की राय जैसी कि दूसरी सभा में बताई जा चुकी है यह है कि इस प्रकार की विधि, मुसलमानों के लिए ज्यादती है ।

श्री टंकचन्द : खंड १५ से संबंधित मेरे दो संशोधन हैं । संशोधन ३७२ के अनुसार मैं "विवाह" शब्द के पश्चात् "विधि अथवा विधि द्वारा संचालित रुढ़ि शब्द रखना चाहता था, क्योंकि विवाह तो विवाह ही रहेगा चाहे वह विधि द्वारा सम्पन्न हुआ हो अथवा विधि द्वारा परिचालित रुढ़ि से सम्पन्न हुआ हो । जैसे, यदि कोई लड़का तथा लड़की आपस में एक दूसरे के गले में हार डाल दें तथा यह कहने लगें कि हम पति-पत्नी हो गए । हम इसको

मान्यता नहीं देते हैं। इसी प्रकार इस विधेयक में भी यह नहीं बताया गया है कि वह उत्सव किस प्रकार का होगा। अतः यह विवाहोत्सव विधि तथा विधि द्वारा संचालित रुढ़ि द्वारा संचालित होना चाहिए।

श्री बांगावत : क्या विधि द्वारा गन्धर्व विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं ?

श्री टेकचन्द : जी नहीं।

श्री बांगावत : हिन्दू विधि में इसको मान्यता दी गई है।

श्री टंकचन्द : मुझे यह बाधा बड़ी अजीब लगी। गंधर्व विवाह के अलावा, पुरातन हिन्दू काल में तो राक्षस तथा पैशाच विवाह भी वर्णित हैं परन्तु वर्तमान सम्य काल में इसको मान्यता नहीं है।

खंड १५ (ड) के लिए मेरा संशोधन ३७५ इस प्रकार है कि उसमें से "unless the law or any custom or usage having the force of law, governing each of them." ["जब तक विधि अथवा कोई ऐसी रुढ़ि, जो विधि द्वारा संचालित हो, उन में से प्रत्येक को शासित न करती हो"] आदि हटा दिए जायें। विधि एकसी होनी चाहिए अतः खण्ड १५ के अन्तर्गत पंजीबद्ध होने से पहले यह आवश्यक है कि खंड ४ के समस्त उपबन्धों का परिपालन हो गया हो जिससे उस विशेष प्रकार के विवाह जिन पर निमंत्रण लगाया गया हो पंजीबद्ध न हो सकें। अतः उप-खंड (ड.) में निमंत्रण विवाहों रुढ़ि का सहारा लेकर क्यों विवाह की अनुमति दी गई।

इस संबंध में मैं यह भी कहूंगा कि अनुसूची में नियंत्रित रिश्तों में पंजीबद्ध विवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

मैं संशोधन संख्या ३७६ के अनुसार यह बताना चाहता हूं कि खण्ड १७ में वर्णित तो एक तरफा कार्य ही होगा। मैं चाहता हूं कि खण्ड १६ में असफल व्यक्ति को अपील करने का अधिकार दिया जाए। मेरा सुझाव है कि यदि खण्ड १६ के अनुसार आपत्ति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति हो गई हो तथा अस्वीकृति के कारण आपत्तिकर्त्ता को दुःख हुआ हो तो उसको अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए तथा विवाह की अनुमति न मिली हो तो भी खण्ड १७ के अनुसार उसको अपील करने की भी स्वीकृति होनी चाहिए।

श्री आर० के० चौधरी : यदि "Refusing register a marriage to" "विवाह पंजीबद्ध करने से इन्कार करता हो" शब्द हटा दिए जाएं तब मेरे मित्र का लक्ष्य पूरा हो जाता है ?

श्री टंकचन्द : मैं श्री आर० के० चौधरी का इस सुझाव के लिए आभारी हूं तथा चाहता हूं कि मेरे संशोधन ३७६ में इसको स्थान दिया जाए। अतः उस दुःखित व्यक्ति, जिसको विवाह की अनुमति नहीं दी गई है, को अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए।

मैं समझ नहीं पाया कि मेरे बहुत से मित्र औरस तथा जारज पुत्रों की परिभाषा क्यों नहीं समझ पाए। मेरे विचार से विधि-मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी यही परिभाषा दी गई कि विवाह सम्पन्न होने से पहले उत्पन्न संतान ही वैसी कहलाएगी। इस सम्बन्ध में मैं पुरातन विचारधारा रखता हूं। लेकिन यदि उस स्त्री को किसी तीसरे पुरुष से सन्तान होती है तो उन्हें वैध घोषित नहीं किया जाना चाहिए और न उन्हें विवाह करने वाले पुरुष पर थोपा जा सकता है। खण्ड १८ में लिखा है कि विवाह-समारोह की तिथि के पश्चात पैदा होने वाले समस्त बालक (जिनके नाम विवाह प्रमाणपत्र पुस्त में भी दर्ज किए जाएंगे। सभी दृष्टियों से अपने माता-पिता की वैध सन्तान कहलाएंगे। इस खण्ड का ध्यानपूर्वक विश्लेषण कीजिए। मानलीजिए वह किसी तीसरे पुरुष के वीर्य से पैदा हुए हैं। खण्ड १८ के अनुसार उन्हें वैध सन्तान समझा जाएगा। शिष्टता के नाम पर, भाषा की स्पष्टता के हित में आपको इसे "उन

[श्री टंकचन्द]

दो से उत्पन्न सभी बालक" रखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य: यह निहित है।

श्री टंकचन्द: यह निहित हो सकता है। लेकिन प्रश्न और है। आपकी नीयत कुछ भी हो यदि आप इसे तथ्यपूर्ण भाषा में नहीं रखते हैं तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। एक ऐसी स्त्री का उदाहरण लीजिए जिसने अपने पति के साथ विश्वासघात कर किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण किया है तो उस बालक की औरसता का प्रश्न उपस्थित होता है जिसकी उत्पत्ति उसके गर्भ से हुई है लेकिन पति के वीर्य से नहीं। खण्ड १८ पढ़िए। खण्ड २६ में भी यही बात है। आप एक ऐसे व्यक्ति पर पितृत्व थोपना चाहते हैं जो वस्तुतः बालक का पिता नहीं है।

सभापति महोदय: यदि भाषा में किसी प्रकार का संशय है तो उसे स्पष्ट किया जा सकता है।

श्री टंकचन्द: यह स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि कब और किस प्रकार। जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है हम ऐसी संविधि का समर्थन नहीं कर सकते जिसके परिणाम अत्यन्त भयंकर हो सकते हैं।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर): मैं यह संकेत कर दूं कि उसमें कोष्टक में "जिनके नाम विवाह प्रमाणपत्र पुस्त में भी दर्ज किए जाएंगे" शब्द लिखे हैं। स्वाभाविक है कि जब वह जाकर विवाह का पंजीकरण कराएंगे तो अपने बच्चों का नाम भी दर्ज कराएंगे। और यदि वह परस्पर इस निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं कि उनके कौन कौन से बालक हैं तब पंजीकरण न करना उनके विवेक पर आश्रित है।

श्री टंकचन्द: मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि यह उन दोनों से ही सम्बन्धित है। यह किसी पुरुष-विशेष अथवा नारी-विशेष से सम्बन्धित समस्या ही नहीं है समाज को भी कुछ कहने का अधिकार है। मान लीजिए, चाचा इस बात को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसके पुश्तैनी अधिकारों पर इसका प्रभाव पड़ता है।

श्री पाटस्कर (जलगांव): हमारे देश में विवाह के सम्बन्ध में पारसियों की, ईसाईयों की और मुसलमानों की अलग अलग विधियां हैं। हिन्दुओं की विधियां सर्वथा न्यारी हैं। हम इन सब पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस विधान का आधार १८७२ का अधिनियम है जिसमें कहा गया है कि यह एक ही धर्म या विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित व्यक्तियों पर लागू होता है यदि वे विधमनुकूल अथवा वैध रूप में विवाह नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता है, ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति विवाह करना चाहें उन्हें ऐसा करने दिया जाए; उन्हें इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मान लिया जाना चाहिए कि जैसे वह कानूनी दृष्टि से विवाहित नहीं हैं; और उनके बच्चों को जाएज नहीं समझना चाहिए। १८७२ में लोगों में धर्म की भावना ने प्रबल रूप धारण कर रखा था। अब ऐसा नहीं है। समाज प्रगति कर रहा है। अब हम १८७२ के अधिनियम के स्थान पर प्रस्तुत विधान आदिष्ट कर रहे हैं।

हमें इसे हिन्दू उत्तराधिकार विधि से नहीं मिलाना चाहिए उसके लिए हम अलग विधान बना रहे हैं। यदि दो व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हमें उनके उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भी उपबन्ध निर्माण करना चाहिए। पुराने अधिनियम में एक सामान्य उपबन्ध था कि भारतीय उत्तराधिकार विधि से शासित होंगे। भारतीय उत्तराधिकार विधि अपने वर्तमान रूप में आधुनिक विचारधारा के अधिक अनुरूप है।

विभिन्न धर्मों अथवा जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को परस्पर विवाह करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि उनकी वैयक्तिक विधि के

अनुसार इस प्रकार का विवाह सम्भव नहीं है तो हमें असंदिग्ध रूप में ऐसी विधि का निर्माण कर उनके उत्तराधिकारियों के लिए उत्तराधिकार विधि का भी निर्माण करना चाहिए। मुझे याद है, पूना के एक प्रसिद्ध परिवार में एक ही गोत्र के दो व्यक्ति परस्पर परिणय-सूत्र में आबद्ध हुए थे। यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा क्योंकि इस प्रकार के सभी मामलों में सन्देह बना रहता है कि विवाह वैध है अथवा नहीं। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, परिवार को पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है और उस में लोग बरबाद हो जाते हैं। यदि परम्परा अथवा अन्य किसी कारण से कोई सन्देह है तो हम इसे यों ही क्यों छोड़ दें। आखिर उसका उद्देश्य तो विवाह का उपबंध है; किसी भी विधान का आधार अपने आपको किन्हीं निश्चित उद्देश्यों तक सीमित रखना होना चाहिए।

प्रस्तुत अधिनियम के अधीन विवाह करने वाले व्यक्ति, जो अन्य किसी विधि से विवाह नहीं कर सकते थे, उपबन्ध रख सकते हैं जिससे उत्तराधिकार के सम्बन्ध में वे शासित होंगे। इस उपबन्ध का यही प्रभाव होगा कि इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार विधि में परिवर्तन हो जाएगा। आज संयुक्त (सम्मिलित) हिन्दू परिवार लड़खड़ा रहा है। वैयक्तिक विचारधारा सम्बल प्राप्त कर रही है। पुराने दिनों में इसका उपयोग था क्योंकि उस समय यह एकक के रूप में थी। आजकल एकक व्यक्ति है; इसका परिणाम परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विचारधारा है। इस सम्बन्ध में एक मामला है। यह दलील दी जा सकती है कि यदि पिता और माता ४० वर्ष के पश्चात विवाह पंजीकृत कर लें, तो पुत्र उस सम्पत्ति से वंचित हो जाएगा जिसे वह पहले अधिगृहण कर चुका है। मैं नहीं समझता कि विधिपूर्वक विवाह करने वाले वृद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का उपबन्ध निर्माण करने में क्या औचित्य है? यदि हम अस्पष्ट रूप में कोई बात कहें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई ऐसा उद्देश्य हो कि परिवार के स्थान पर व्यक्ति को समाज की इकाई माना जाने लगे तो मैं इससे सहमत हूं। इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यदि सगोत्र होने के कारण किसी विवाह की वैधता में संशय हो तो उपबन्ध का निर्माण होना चाहिए। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। इसमें उल्लेख है---

> "कतिपय मामलों में विशेष प्रकार के विवाह का उपबन्ध करना, इस प्रकार के और कुछ दूसरे प्रकार के विवाहों और विवाह-विच्छेद के लिए पंजीकरण हेतु।"

इस विधान के आधार की ओर देखिए। इसका क्या उद्देश्य एवं अभिप्राय है? खण्ड १५ की वर्तमान शब्दावली अत्यन्त व्यापक है और उसके बुरे परिणाम हो सकते हैं अतः मेरा विचार है कि इसमें यथोचित संशोधन कर दिया जाए।

मैंने संशोधन भेजा था लेकिन दुर्भाग्य से उसमें पर्याप्त बिलम्ब हो गया था। मैं ने (क) के बाद यह सुझाव रखा था :

"(कक) यह संदेहास्पद है कि क्या इस प्रकार किया गया विवाह विधि अथवा विवाह युक्त विवाह पर लागू होने वाली विधि की शक्ति से सम्पन्न परम्परा या रीति-रिवाज के अनुसार वैध एवं विधिसंगत है ;"
शेष विषय अपने वर्तमान रूप में बना रहने दिया जाए।

दूसरी आपत्ति मुझे खण्ड १९ अविभाजित परिवार के सदस्यों पर विवाह का प्रभाव---के सम्बन्ध में है। हम यहां संसद में, नगरों अथवा समाचारपत्रों में कुछ भी कहें, संयुक्त परिवार पद्धति समाप्त हो रही है। गांवों में अभी भी कृषकों में, थोड़ी भूमि के ऐसे अनेक स्वामियों के संयुक्त परिवार हैं। उनका विचार है कि आर्थिक दृष्टि से यह लाभदायक है। मैं नहीं जानता कि हम उन संयुक्त और सम्मिलित परिवारों को तोड़ भी सकते हैं या नहीं; किन्तु

[श्री पाटस्कर]

यह एक जुदा बात है। श्रीमान, मेरी समझ में नहीं आता कि अविभाजित परिवार के एक सदस्य पर इस विवाह का प्रभाव क्यों पड़े; सम्भव है कि ऐसे विवाह ही न हों। मुझे याद है कि पूना और बम्बई जैसे स्थानों में सम्भ्रांत परिवारों के तथाकथित सम्मान्य शिक्षित व्यक्तियों ने इसीलिए विवाह की पंजीकृत विधि से विवाह करना चाहा कि उन्हें विवाह-विच्छेद, आदि की सुविधा मिले जो एक औरत रहती है। यह भी सम्भव है कि सम्मिलित परिवार के सदस्यों की अनुमति से विवाह हो। भला, आप यह क्यों चाहते हैं कि सम्बद्ध पक्ष को अनिवार्यतः परिवार से अलग किया जाय? मान लीजिए कि वर्तमान स्थिति में किसी परिवार का कोई लड़का अपना विवाह पंजीकृत कराना चाहता है; उसका पिता सम्मति नहीं देता, और वह सम्मिलित परिवार का होता है; तो उस समय पिता को भी इस बात का समान अधिकार प्राप्त है कि वह सम्मिलित परिवार से अपने सब सम्बन्ध तोड़ दे और उस लड़के को अलग करे। हिन्दू विधि के अधीन तो मात्र घोषणा से सम्मिलित परिवार टूट सकता है। कदाचित सुधारकों ने यह नहीं जाना कि इससे भलाई होने के बदले बुराई ही होगी। इस प्रकार की विधि लागू करने से आप यह कह कर उस रीति के विवाह को कलंकित करना चाहते हैं कि इसमें जो कोई भी हिन्दू इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करेगा उसका सम्मिलित परिवार से नाता टूट जाएगा।

श्री एस० एस० मोरे: कोई भी प्रगतिशील व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता; वे सभी इस प्रकार के विवाह का विरोध करते हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे: वे इसके पक्ष में हैं।

श्री पाटस्कर: मैं समर्थकों और विरोधकों की बात तो नहीं कर रहा। सर्वप्रथम बात यह है कि अगर ऐसे विवाह में सम्मिलित परिवार की सम्मति नहीं है----यानि पिता, चाचा, ताया, भाई आदि की----तो वे अलग-अलग हो सकते हैं और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार यदि सम्बद्ध व्यक्ति यह सोच ले कि सम्मिलित परिवार में उसकी पत्नी का स्वागत नहीं हो सकता तो वह भी अलग हो सकता है। और ऐसे भी मामले हैं जहां सम्मिलित परिवार के सदस्यों की सम्मति से विवाह हुआ हो----लेकिन ऐसे मामले बहुत कम हैं। किन्तु बदलते हुए आधुनिक समाज में ये सब बातें बदलती रहेंगी; यही कारण है कि मैं ने बम्बई तथा पूना का हवाला दे कर यह कहा था कि वहां के लोग अपने बेटों-बेटियों का विवाह दोनों पुरानी रीत और नई पंजीकरण की रीत से कराते हैं। उन्हें यह करना पड़ता था कि वे विवाह का पंजीयन कराते और बाद में अपने मुनाफे के लिए पुरानी रीत से विवाह कर लेते।

इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर मैं इस खण्ड को लोगों के हित में नहीं समझता। आप इस अधिनियम के अधीन विवाह करने वाले व्यक्ति के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि यदि वह विवाह करेगा तो वह सम्मिलित परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि पिता जरा अनुदार हो और पुराणपंथी हो तो वह इस अधिनियम से लाभ उठा कर यही कहेगा कि यदि उसका लड़का उसकी इच्छाओं के विरुद्ध विवाह करेगा तो उसे उसके (पिता के) साथ रहने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। आप ऐसा खण्ड ही क्यों रखते हैं जिससे तीन ही चार वर्षों में देश के नवयुवक बेघरबार हो जाएं। इन्हीं कारणों से मैं इस खण्ड का समर्थन नहीं कर सकता। चुनांचे मैं ने विमति-टिप्पण में भी यही बताया है कि इस खण्ड से लोग डर जाएंगे और इस रीत से विवाह नहीं कर सकेंगे। श्रीमान, मैं समझता हूं कि यह खण्ड उचित नहीं है। जिस विशेष आधार पर हम ने यह विधान प्रस्तुत किया है, हमें उसी तक सीमित रहना चाहिए। यह केवल हिन्दुओं पर लागू होता है, और किसी पर नहीं। हमारे पास पहले से ही इस प्रकार का एक उपबन्ध है कि जो व्यक्ति परिवार से अलग होना चाहे वह ऐसा कर सकता है; अतः इस नए

उपबन्ध की कतई आवश्यकता नहीं। मैं यहां तक बता दूं कि जो इस समय इस उपबन्ध पर चिल्ला चिल्ला कर जोर दे रहे हैं उन्हें ही इससे बाद में चोट उठानी पड़ेगी। मैं सभा से यही प्रार्थना करूंगा कि यहां केवल बाधा डालने के प्रयोजन से बाधा न डाली जाय। मैं मानता हूं कि हम नवीनता लाना चाहते हैं और पुरानी रीतियों को तिलांजलि देना चाहते हैं----चुनांचि मैं ने इस पर जोर भी दिया था, किन्तु हमें इस में ऐसे उपबन्धों को नहीं रखना चाहिए जिन से भलाई के बदले बुराई हो। मेरे विचार में खण्ड १५ का संशोधन होना चाहिए और खंड १६ को रद्द किया जाना चाहिए। यदि खण्ड १६ रहा तो हिन्दू सम्मिलित परिवार के लड़के इस विधान के अन्तर्गत विवाह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे कलंकित हो जाएंगे। ईसाइयों और मुसलमानों की भिन्न रीतियां हैं; उनके विवाह उन ही के अनुसार होते रहेंगे। हिन्दुओं का उन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ): मैं इस अन्तिम वक्ता से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे खंड १६ रद्द करना चाहते हैं और खण्ड २१ को रखना चाहते हैं?

श्री सी० सी० शाह: खण्ड २१ तो स्वतः सम्मिलित परिवारों के सदस्यों के पक्ष में जाता है।

श्री पाटस्कर: उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आप जब भी विभिन्न धर्मावलम्बियों के विवाह के लिए विधि उपबन्धित करना चाहते हों, तो उन सब के लिए आपको उसी प्रकार विधि उपबन्धित करनी चाहिए जिस प्रकार आपने यहां की है; किन्तु यदि ऐसी बात नहीं तो मैं इस पर ज्यादा जोर भी नहीं दूंगा। मान लीजिए कि लोग उत्तराधिकार विधि से शासित होना चाहते हों, तो....।

श्री सी० सी० शाह: तब तो खण्ड २१ का रूप बदल जाएगा।

श्री पाटस्कर: यदि खण्ड १५ स्वीकार किया गया तो खण्ड २१ का भी उचित रूपभेद किया जा सकता है।

सभापति महोदय: प्रस्तुत संशोधनों के संबंध में मुझे घोषणा करनी है।

पहले के प्रस्तुत संशोधनों के अतिरिक्त खण्ड १५ पर संशोधन संख्या ३६ तथा ५०८ को भी प्रस्तुत हुआ समझा जाएगा।

इस समुदाय में अन्य खण्डों के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :----

खण्ड १७: ३७६।

खण्ड १८: २६८, २६६, ३२०।

नए खण्ड १८ क, १८ ख और १८ ग; २७०।

खण्ड १६: ७६, १३५, १६५, ३७७।

खण्ड २०: ३७८।

खण्ड २१: ८०, ८२, २७४, ३७६।

खण्ड १: २२१, ३३६।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मेरे नाम में जितने भी संशोधन हैं उन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जाय।

सभापति महोदय: पंडित ठाकुर दास भार्गव के नाम में जितने भी संशोधन हैं उन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जाना चाहिए; अतः संशोधन संख्या २६४ भी प्रस्तुत हुआ समझा जाएगा।

श्री बोगावत: संशोधन संख्या १३० के अतिरिक्त, मैं ने संख्या १३४ और १३८ भी प्रस्तुत किए थे।

सभापति महोदय: मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई संशोधन बाकी है जिसे आप सम्मिलित करना चाहते हैं?

श्री बोगावत: संशोधन संख्या १३४ और १३८ छोड़ दिए गए हैं, और उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

डा० जयसूर्य: मेरा संशोधन संख्या १८८ इन में नहीं है। मैं उसे यहां सम्मिलित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: संख्या १८८ तो पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ ६ पर १२ से १६ तक की पंक्तियों का लोप किया जाय।

श्री बांगाबत: मैं प्रस्ताव करता हूं:

(१) पृष्ठ ७ पर, (१) पंक्ति ६ में, "shall" ("---गा") के बाद "not" "नहीं" विशिष्ट किया जाय; और (२) पंक्ति ७ के बाद "Provided that at the time of the marriage either party to the marriage or any other member of the family demands such severance."

["यदि विवाह के अवसर पर विवाह में भाग लेने वाला कोई पक्ष अथवा परिवार का और कोई सदस्य इस प्रकार नाता तोड़ने की मांग करता हो।"] शब्द लगा दिये जाएं।

(२) पृष्ठ ७ पर, पंक्ति १८ में "the issue of such marriage ("इस प्रकार के विवाहकी संतति") के स्थान पर "any issue born after such solemnization or registration."

["इस प्रकार का विवाह सम्पन्न होने अथवा उसके पंजीयन के बाद की संतति"] शब्द रखे जाएं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री वेंकटरामन: इस विधेयक के विरोध में बहुत से बुद्धिमान सांसदिकों के इतना बोलने के उपरान्त, मैं ने इस स्थान पर हस्तक्षेप करने के लिए आप से अनुमति मांगी है। जो लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं मैं उनमें से कुछ के, दो अध्यायों सम्बन्धी मतों का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करूंगा।

मेरे माननीय मित्र श्री पोकर साहेब ने बड़े ही कठोर शब्द कहे हैं। उन्होंने इस विधेयक को अनुपयुक्त, अवैध, महापापी, अत्याचारी आदि कहा है। मुझे डर है कि उन्होंने इंगलिश-भाषा का अपना सारा ज्ञान कहीं इसी पर समाप्त न कर दिया हो। फिर, मेरे माननीय मित्र श्री पाटस्कर ने बार बार पूछा था कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। यदि हम विधेयक का उद्देश्य समझ लें तो इसकी अधिकतर आलोचना तत्वहीन प्रतीत होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के नागरिक को अपने जाति, पंथ, धर्म....

श्री वी० जी० देशपांडे: या लिंग?

श्री वेंकटरामन:....के भेद भाव के भारत के अन्य नागरिक से विवाह करने और उसी विधि से प्रशासित होने की अनुमति देना है। अर्थात, यदि कोई व्यक्ति इस विधि के अधीन विवाह करता है, तो उसके विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार पर यही विधि लागू होगी। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य एक सामान्य विधान बनाना है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति इस विधि के अन्तर्गत न आना चाहे, तो उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है। इस विधेयक के खण्ड १५ में उपबन्ध हैं कि जिन लोगों के विवाह विभिन्न व्यक्तिगत विधियों के अनुसार हुए हैं, वे विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, आदि से संबंधित अपनी व्यक्तिगत विधियों का परित्याग कर सकते हैं, क्योंकि वे आजकल नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इस देश के लिए एक सामान्य नागरिक विधान हो, यदि आप इसे अनिवार्य बनाकर सारे लोगों पर तुरंत लागू करना चाहते हैं, तो हो सकता है देश और संसद विरोध करे।

श्री एस० एस० मोरे: क्या वे व्यक्ति जिनका विवाह बीस वर्ष पूर्व हुआ हो, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को ग्रहण करने की घोषणा करके, उसे अंगीकार नहीं कर सकते हैं?

श्री वेंकटरामन: मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा। अभी तो मैं विधेयक के केवल उद्देश्य का स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि इसका उद्देश्य एक सामान्य नागरिक विधान बनाना है।

मैं यह घोषित कर सकता हूं कि आगे से मुझ पर हिन्दू विधि लागू न होकर कोई और विधि लागू होगी। इस उद्देश्य के लिए पंजीकरण किया जाता है। यदि इस सभा का या उन लोगों का, जिन्होंने इस खण्ड का विरोध किया है कि हिन्दू परिवार में जन्म लेने तथा

हिन्दू विधि के अनुसार विवाह करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार का अन्य रूप अपनाने का कोई अधिकार न होगा, तो उनकी आपत्ति मेरी समझ में आ सकती है। परन्तु यदि वे चाहते हैं कि उत्तराधिकार का अन्य रूप अपनाने के इच्छुकों को ऐसा करने का अधिकार हो, तो इसका कई ढंगों से उपबन्ध किया जा सकता है जिनमें से एक ढंग पंजीयन है।

मेरे मित्र श्री पाटस्कर ने कहा था कि आप खंड १६ में यह क्यों कहते हैं कि परिवार से अनिवार्य विच्छेद हो? यह हिन्दुओं को इस विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह करने तथा पंजीयन करने से रोकेगा। यहां फिर यदि उद्देश्य आपके समक्ष हो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह आवश्यक क्यों है। उद्देश्य है कि एकरूप नागरिक विधान हो। इसी कारण यह खण्ड १६ रखा गया है।

खण्ड (क) पर आपत्ति उठाई गई थी जिसमें उपबन्ध किया गया है कि यदि विवाह सम्पन्न हो गया हो तो उसका पंजीयन हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि विवाह-उत्सव हुआ हो। खण्ड यह नहीं कहता कि विवाह किस रूप में हुआ हो। क्या हम यह कहेंगे कि जिन लोगों ने किसी भी रूप में पारस्परिक सहमति प्रकट करके, अर्थात एक दूसरे के हार डालकर या मुद्रा का आदान प्रदान करके, विवाह किया हो, और दीर्घकाल तक दम्पति-जीवन व्यतीत किया हो, उनको विधि के अधीन पति पत्नी के रूप में पंजीबद्ध न किया जाय? अतः उद्देश्य सर्वथा स्पष्ट है। यदि हम वास्तव में विवाहों को न्यायसिद्ध बनाना तथा विधि-प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, तो खण्ड (क) सर्वथा आवश्यक है।

दूसरी आपत्ति खण्ड (ङ) पर उठाई गई थी। इसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि खण्ड ४ के अधीन आपने रूढ़िगत विधि के अनुसार निषिद्ध-पीढ़ियों के व्यक्तियों में विवाह होना निषिद्ध कर दिया है। इसलिए, खण्ड १५ के अधीन उसकी अनुमति देना असंगत है। इस मत में निश्चय ही कुछ तत्व है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि चाचा तथा भतीजी, या भाइयों के बच्चों में विवाह का होना उचित नहीं है। किन्तु यदि ऐसे विवाह हो गए हैं और यदि लोग इस विधेयक के उपबन्धों का लाभ उठाना चाहें, तो उन्हें इस अधिनियम के अधीन पंजीयन कराने की सुविधा दी जानी चाहिए। स्वभावतया दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आप पिछले दिनों में हुए विवाहों को अनुमति दे सकते हैं, परन्तु आप इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात होने वाले विवाहों के लिए इसके अधीन पंजीयन होने की क्यों अनुमति देते हैं? इस सम्बन्ध में मैं श्री डाभी के संशोधन से पूर्णतया सहमत हूं जिसमें कहा गया है कि निषिद्ध पीढ़ियों में हुए केवल वे विवाह, जो अधिनियम के लागू होने से पहले रूढ़िगत विधि के अनुसार न्यायसिद्ध थे, पंजीबद्ध होने चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी। यदि हम देश भर के लिए एक सा विधान बनाना चाहते हैं, तो क्या भविष्य में कुछ लोगों को निषिद्ध पीढ़ियों में विवाह करने की अनुमति देना और अन्य लोगों को ऐसा करने से रोकना उचित है? इसी कारण तो मैं श्री डाभी के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जहां तक भूतकाल का संबंध है, हम उन लोगों को एक प्रकार की छूट दे रहे हैं जिन्होंने इसलिए विवाह किया था कि उस समय यह न्यायसिद्ध था और उस समय जब कि इसका पंजीयन होता है, तब भी यह जिक्र न्यायसिद्ध विवाह रहता है।

अब मैं खण्ड १७ पर आता हूं। श्री टंकचन्द ने यह कहा था कि केवल विवाह करने वाले व्यक्ति ही नहीं, अपितु आपत्ति करने वालों को भी अपील करने का अधिकार होना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी उपबन्ध के पूर्णतया विरुद्ध हूं जो आपत्ति करने वालों को अपील करने का कोई अधिकार देता है। इसका कारण यह है कि यदि आपत्ति करने वाले को प्रत्येक समय लोगों को विवाह करने में परेशान करने की तथा उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है, तो लोग विवाह कैसे कर सकते हैं? इसका परिणाम

[श्री वेंकटरामन]

यह होगा कि आपत्ति करने वालों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। परन्तु दूसरी ओर विधि में ऐसी आकस्मिक घटनाओं के उपबन्ध हैं। आपत्ति करने वाले सदैव ही विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन व्यवहार न्यायालय में जा सकते हैं और किसी भी ऐसे आधार पर जो विवाह करने वालों को विवाह करने से रोकने की आज्ञप्ति जारी करने के लिए उचित आधार हो, ऐसी आज्ञप्ति के लिए अभियोग चला सकते हैं। अतः यह उचित है कि जहां हम लोगों को विधि के अधीन विवाह करने की सुविधा देते हैं, वहां पंजीयन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए।

खण्ड १८ के बारे में....

सभापति महोदय: मेरा ख्याल है माननीय सदस्य कुछ और समय लेंगे।

श्री वेंकटरामन: पन्द्रह मिनट।

सभापति महोदय: वह कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४, के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—384 LSD—1-2-55—240